खण्ड-217, अंक-4
गुरूवार, 24 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(15 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 217 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३८१–३८५
प्रश्नोत्तर	३८५–४०६
प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना	४०६
प्रदेश के तराई अंचल में निर्मित हो रही किछा मिल की मशीनरी उपलब्ध न होने के कारण तथा बाजपुर मिल की क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो सकने के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	४०७
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी ..	४०७–४०८
बढ़े हुए महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में जल्दी आदेश जारी करने की प्रार्थना ..	४०८
विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा रेलवे की रियायती टिकटों को गलत ढंग से लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४०८–४१०
लोक लेखा समिति में विधान परिषद् के पांच सदस्यों को सहयुक्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४१०–४११
हिन्दी में साहित्य न मिलने पर आपत्ति	४११–४१३
प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर चर्चा के समय भाषणों के लिये समय निर्धारण	४१३–४१४
प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर चर्चा (जारी) ..	४१४–४६३
नतियां	४६४–४६६

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

LEGISLATURE
DEC 1960

बृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४९

अबीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्त राम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्मा राम पांडेय, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर , श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह, विष्ट , श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचन राम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महवीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री

राममूर्ति, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनमिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
राम लाल, श्री
राम शरण यादव, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सूरत प्रसाद, श्री
राम स्वरूप यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायक सिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र श्री
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री

हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १९६०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

मद्यनिषेध परामर्शदात्री समिति

१—श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव), **श्री रामायण राय** (जिला देवरिया) तथा **श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के ग्यारह शुष्क जिलों तथा तीन धार्मिक केन्द्रों में (जहां मद्य निषेध है) के सम्बन्ध में गत वर्ष मद्य-निषेध की नीति की जांच हेतु कोई समिति बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन थे तथा उसके विचारार्थ विषय (Term of Reference) क्या थे ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—जी नहीं। मद्यनिषेध नीति की जांच हेतु नहीं बल्कि मद्यनिषेध परामर्शदात्री समिति, नवम्बर १९५८ में बनाई गई थी और उस समिति के जो सदस्य थे वे विचारार्थ जो विषय (Terms of Reference) था उसका विवरण संलग्न दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ ४६४ पर)

२—श्री भगवतीसिंह विशारद, श्री रामायण राय तथा श्री प्रतापसिंह**—क्या उक्त समिति ने अपना कोई प्रतिवेदन सरकार को दिया है ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां, समिति ने, ३१ मार्च, १९६० को प्रतिवेदन सरकार को दिया है, जो विचाराधीन है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के जिन ११ शुष्क जिले तथा तीन धार्मिक केन्द्रों में अवैध रूप से मदिरा चुवाये जाने, मादक वस्तुओं का उपभोग तथा तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में कमेटी किसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि वहां ऐसी कार्यवाही हो रही है या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है और वह इस समय विचाराधीन है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कमेटी ने स्वीकार किया है कि इस तरह की कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को इस बात की शिकायत मिली थी कि जो ११ शुष्क जिले हैं तथा तीन धार्मिक केन्द्र हैं वहां बावजूद रोकथाम के मद्य का प्रयोग बढ़ता जा रहा है इसीलिये कमेटी बनायी गयी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—मद्य निषेध करने के बाद वहां पर प्रचार कम हो रहा है। लेकिन कुछ न कुछ पीने वाले सब जगह रहते हैं वैसे ही वहां भी हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी जिससे मालूम हो जाय कि उसकी क्या सिफारिशें हैं?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अभी तो रिपोर्ट विचाराधीन है। जब विचार हो जायगा तो कुछ कहा जा सकता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, मुख्य सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि रिपोर्ट अभी विचाराधीन है और गोपनीय है।

श्री रामायण राय—क्या कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि सरकारी अफसर तथा अधिकारियों पर भी मद्यपान पर रोक लगाना अनिवार्य है?

डाक्टर सीताराम—श्रीमन्, बहुत सी सिफारिशें हैं उनमें से इस तरह की सिफारिश हो सकती है लेकिन अभी इसके बारे में कुछ बताना ठीक प्रतीत नहीं होता जब तक विचार पूरा न हो जाय।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि कमेटी ने सिफारिश की है कि राज्य की रेवेन्यू बढ़ाने के लिये मद्य निषेध की नीति को कड़ा करने की अपेक्षा लचीला बनाया जाय?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कमेटी ने सिफारिश की है कि जिन जिलों में मद्य निषेध लागू किया गया वहां जरूरत से ज्यादा बनने लगी है? यदि हां तो कमेटी ने क्या सुझाव दिया है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, सभी कमेटियों की बाबत दस्तूर यह है कि जब रिपोर्ट आती है तो गवर्नमेन्ट के सामने जाती है और गवर्नमेन्ट अपना रिजोल्यूशन लाती है। शायद पालीवाल जी कमेटी की रिपोर्ट की परम्परा से परिचित होंगे। इसलिये जब तक कमेटी की रिपोर्ट पर पूर्णरूप से विचार न हो जाय कुछ कहना अनुचित है और सभी परम्पराओं के बिलकुल विरुद्ध है।

पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली शरणार्थियों की पुनर्वासन व्यवस्था से सम्बन्धित कथित पत्र

३—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के पास, पूर्वीय पाकिस्तान से आने वाले बंगाली शरणार्थियों के बसाये जाने के सम्बन्ध में दिलचस्पी लेते हुए हाल में कोई पत्र भेजा है? यदि हां, तो क्या उसकी मुख्य बातों पर मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी नहीं।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री का ध्यान अभी हाल में समाचार-पत्रों में छपे बंगाल के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में बसे हुए बंगाली शरणार्थियों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं है।

लखनऊ से बच्चों का गायब होना

**४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि गत मास में लखनऊ शहर के ७२ बच्चे गायब हो गये थे ? यदि हां, तो उनमें से कितनों का पता लगा ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—गत मास में लखनऊ शहर में १२ साल तक उम्र के १२६ बच्चों के खोने की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से केवल एक लड़की का पता नहीं चल सका। शेष सब बच्चे मिल गये और उनके अभिभावकों को सौंप दिये गये।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मास में २६ बच्चे किसी गैंग द्वारा भगाये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनमें से कुछ लोग पकड़े गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—गैंग द्वारा तो सूचना नहीं है लेकिन गायब हो गये थे, व्यक्तियों के द्वारा और कुछ वैसे खो गये थे।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १२६ बच्चे गायब हुए थे और जिनमें एक बच्चे का पता नहीं चला, तो लखनऊ पुलिस के उच्चाधिकारियों से सरकार ने पता चलाया कि उनके गायब होने का क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनमें कार्यवाही की गयी। सिर्फ एक बच्चा नहीं मिल सका। पुलिस हमेशा सचेत रहती है। जहां तक कारण का सम्बन्ध है अपने आप भी खो जा सकते हैं और कुछ बहका कर भी ले जाये जा सकते हैं।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस लड़की का पता नहीं लग सका, उसकी उम्र क्या थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—ठीक उम्र क्या थी, इसके लिये सचना की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह—जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि कई कारण हो सकते हैं, भगा कर भी ले जाये जा सकते हैं, तो इन १२६ बच्चों में से जो आदमी भगा कर ले गये, उनमें से कोई पकड़ा गया और उन पर कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री राम स्वरूप यादव—यह तो अल्पसूचित प्रश्न है। सब सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

वाराणासी तथा मिर्जापुर में नये पैसे गलाने का कथित कार्य

**५—श्री गौरी राम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी तथा मिर्जापुर शहर में कुछ प्रमुख बर्तनों के व्यापारियों द्वारा नये दस पैसे तथा दो नये पैसे के सिक्के कई मनों की तादाद में प्रतिदिन गलाये जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, ऐसा कोई मामला वाराणसी या मिर्जापुर में नहीं हुआ।

**६—श्री गौरीराम गुप्त—यदि हां, तो इसका क्या कारण है और उपरोक्त सिक्कों को गलने से बचाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जांच किस विभाग द्वारा करवायी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला अधिकारी हैं, जिला मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस है हमारे पास। उन्हीं से जांच करवाई जाती है।

श्री गौरी राम गुप्त—क्या सरकार इसकी जांच गुप्तचर विभाग के जरिये करवाने की कृपा करेगी ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जांच करवाई गई थी उससे मालूम हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य को अगर कुछ सुराग मिला हो तो अवश्य पता लगाने की कोशिश करेंगे।

शन्तिया काण्ड, कानपुर से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट

७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या नवम्बर, १९५९ के पहले सप्ताह में कानपुर में शन्तिया काण्ड में पुलिस की गोलियों से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु आदि घटनाओं के सम्बन्ध में श्री सिद्दीकी हसन आई० सी० एस० का जो जांच कमीशन मुकर्रर हुआ था उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और सरकार का विचार कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—रिपोर्ट ३१ अगस्त, १९६० के सायंकाल प्राप्त हुई है। रिपोर्ट बड़ी है और आशा की जाती है कि जल्दी ही सरकार विचार कर लेगी।

कृषि बीमा योजना के लिये सुझाव

८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने प्रदेश में कृषि फसलों (गेहूं, चना, धान, गन्ना) का बीमा कराने की कोई योजना बना कर आयोजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु भेजी गयी है ? यदि हां, तो योजना कब भेजी गयी थी और उस पर क्या निर्णय हुआ ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना बनाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—यह इतना सरल प्रश्न नहीं है, फसलों के इन्श्योरेंस का जिस पर कि कोई जल्दी निर्णय हो सके। हमारे देश में भी कहीं पर यह लागू नहीं हो सका है। एक बार एक अमेरिकी टीम यहां पर आई थी। हमने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था कि अमेरिका में भी यह इंश्योरेन्स सफल नहीं हो रहा है। इसलिये इस पर जानकारी हासिल की जा रही है। इसलिये और इसमें अभी क्या-क्या दिक्कतें आयेंगी उनके बारे में अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस बात को देखते हुए कि यह बहुत आवश्यक है कि फसलों का बीमा कराया जाय और माननीय जी अभी रूस से लौटकर आये हैं तो अपने अनुभव के आधार पर इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां तक मुझे अन्दाज हुआ, इसमें इस तरह की कोई क्राप इंश्योरेन्स नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि पंजाब में यह फसल बीमा की योजना लागू कर दी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी, अभी लागू नहीं की गई है। हमने उनसे उनकी योजना मंगाई है और उसे देख रहे हैं। अन्तिम रूप भी शायद उसका अभी नहीं हुआ है।

न्यायालय भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुकर्जी कमीशन की अन्तरिम रिपोर्ट

**९—श्री प्रतापसिंह तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अदालतों में भ्रष्टाचार के लिये मुकर्जी कमीशन ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को दी है उसकी एक प्रतिलिपि वे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं, उसे अभी सदन की मेज पर रखना उचित नहीं होगा। समिति की फाइनल रिपोर्ट आजाने पर और उसपर विचार करने के पश्चात, यदि सदन चाहेगा तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी जायगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि अन्तरिम काल की रिपोर्ट इसीलिये दी जाती है कि उसमें कुछ विशेष सुझाव दिये जाते हैं जिससे कि फाइनल रिपोर्ट होने से पहले वह कार्यान्वित हो जायें। यदि हां, तो यह अन्तरिम रिपोर्ट जो आई है तो इसमें किन विशेष चीजों की ओर इशारा मुकर्जी कमीशन ने किया है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह नीति बता दी है कि जब तक विचार नहीं कर लेते तब तक उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते।

श्री प्रतापसिंह—मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फाइनल रिपोर्ट कब तक आयेगी और जब आ जायेगी तो उस पर विचार करने के बाद सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—फाइनल रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय और लगेगा। निश्चित तिथि का बताना तो बड़ा कठिन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी अन्तरिम रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती और सरकार उस पर पूरे तौर से विचार नहीं कर लेती तब तक उसको सदन की मेज पर रखना उचित नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मन्त्री जी अनुमानतः बताने की कृपा करेंगे कि इसमें अभी कितनी देर लगेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यह बताना बड़ा मुश्किल है।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुए कि सरकार ने जो यह कमेटीज बिठाई हैं वह इसलिये बिठाई हैं कि जो मुसीबतें हैं उस डिपार्टमेन्ट की वह दूर हो जायं और इस बात को देखते हुए कि मुखर्जी कमीशन व सिद्दीक कमीशन और फारेस्ट फैक्ट फाईंडिंग कमीशन इन तीन में से कम से कम दो ने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी हैं, लेकिन इन पर जल्दी विचार नहीं हो रहा है जिससे बड़ा असन्तोष है, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस कमेटी की भी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचे उसपर शीघ्र विचार हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—न जाने कैसे माननीय सदस्य को यह गलत धारणा हो गई कि उसपर विचार नहीं हो रहा है। जो जवाब दिया गया वह यह दिया गया कि विचार हो रहा है।

श्री प्रतापसिंह—जल्दी नहीं हो रहा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, तो उसमें कुछ देर लगती है। जैसी गम्भीर रिपोर्ट है उसी के हिसाब से उसमें समय भी लगता है।

चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तर काशी के सदर मुकाम

**१०—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चमोली, पिठौरागढ़ व उत्तरकाशी में जिले के सदर मुकाम कहां-कहां बनाये गये हैं? (ख) उपर्युक्त जिन जिलों में नये सदर-मुकाम बनाये गये उनके निर्माण के पहले क्या उन जिलों के जन-प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तर काशी के जिलों के जिला मुकाम निम्नांकित हैं।

जिला	जिला सदर मुकाम
१—चमोली ..	चमोली (स्थाई सदर मुकाम गोपेश्वर में बनाया जायगा)
२—पिथौरागढ़ ..	पिथौरागढ़
३—उत्तरकाशी ..	उत्तरकाशी

(ख) जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के जनप्रतिनिधियों से इस बारे में राय न लेने का कारण क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने कल भी एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि किसी काम करने का कारण बताना सरल होता है, न करने का कारण बताना कठिन होता है। बहरहाल जिस विशेष परिस्थिति में जिले बनाये गये जल्दी से जल्दी इनका काम होना था। इनके लिये जो इमारतें वगैरह बनानी हैं उनका रुपया कुछ गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से आना था। उनसे हमारी बात चीत हुई और यह देख करके कि शासन की सुविधा कहां से होगी, इन स्थानों को चुना गया।

और माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि दो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहले हेड-क्वार्टर थे वे ज्यों के त्यों बने रहे और केवल चमोली में बदला गया है, इसलिये कि चमोली में कोई खास जगह नहीं थी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी के पास चमोली के जन प्रतिनिधियों की ओर से कोई ऐसा रेप्रेजेन्टेशन आया कि गोपेश्वर में केन्द्र न बनाया जाय बल्कि अन्यत्र कहीं बनाया जाय जहां सुविधा हो?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा मुझको तो याद नहीं पड़ता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय मुख्य मन्त्री जी यह देखते हुए कि यह सीमावर्ती जिले इसलिये बनाये गये हैं कि सीमा के नजदीक एक डिप्टी कमिश्नर के स्तर का शासक रह सके, इन जिलों के हेड-क्वार्टर्स सीमा के और नजदीक रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं इस बात को मानेंगे कि अगर सीमा के बिलकुल पास रहेंगे तो उन हेडक्वार्टर्स को खतरे में डालना होगा, सीमा से कुछ दूर ही वे रहने चाहिये।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चमोली का जो हेडक्वार्टर गोपेश्वर में बनाया जा रहा है वहां जितनी इसके लिये इमारतों की आवश्यकता है वह बनना प्रारम्भ हो गयी हैं और नहीं तो कब तक प्रारम्भ होगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा खयाल है कि बनना शुरू हो गई हैं। मैं ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन खयाल है कि काम शुरू हो गया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि सीमा से जितनी दूर पियौरागढ़ है उतनी ही दूर अल्मोड़ा भी पड़ता है, तो पियौरागढ़ को लिया गया और अल्मोड़े को छोड़ दिया गया इसका क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं। भारत सरकार, सैनिक अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार की राय से जिसे उचित समझा गया उसको लिया गया, जिसको नहीं समझा गया उसको छोड़ दिया गया।

तिब्बती शरणार्थी शिविर

****११—श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों के कितने कैम्प कहां-कहां हैं और उनमें कितने शरणार्थी ठहराये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों को ठहराने के लिये जिला पियौरागढ़ में सानदेव नामक स्थान पर एक शिविर खोला गया है जिसमें ३१ अगस्त, १९६० को लगभग १९५ शरणार्थी थे। इसके अतिरिक्त जिला उत्तर काशी और चमोली में भी अस्थाई शिविर खोलने का विचार हो रहा है।

****१२—श्री नारायण दत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार उनकी सुख-सुविधा हेतु कितना व्यय कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तिब्बती शरणार्थियों की व्यवस्था का पूरा खर्च भारत सरकार दे रही है और प्रदेश सरकार कुछ भी व्यय नहीं कर रही है।

****१३—श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वर्ष में नीती, माना, ऊंचाधुरा, बेलचाधुरा, निलंग, लिपुलेख आदि उत्तर प्रदेश के दर्रों से होते हुए कितने शरणार्थी प्रदेश में आये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वर्तमान वर्ष में उत्तर प्रदेश के विभिन्न दर्रों से होते हुये कुल ५५३ शरणार्थी प्रदेश में आये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अखिल भारतीय ए० एम० बी० एस० विद्यार्थी परिषद की मांगें

***१—श्री प्रतापसिंह**—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप-संचालक आयुर्वेद, उत्तर प्रदेश को दिनांक २३-७-६० को एक आवेदन अखिल भारतीय ए० एम० बी० एस० विद्यार्थी परिषद् की ओर से भेजा गया है?

यदि हां, तो उसमें किन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अखिल भारतीय ए० एम० बी० एस० विद्यार्थी परिषद् के २३-७-६० के आवेदन-पत्र की मूल प्रति उप-संचालक आयुर्वेद के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थी। अतः उस आवेदन-पत्र की द्वितीय प्रति मंगाई गई है जो २९-८-६० को प्राप्त हुई है।

इस आवेदन में निम्नलिखित तीन बातों की मांग की गई है :—

(१) छात्रों की परीक्षायें किसी प्रमाणित विश्वविद्यालय से हों तथा वर्तमान बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन को केवल रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जाय।

(२) इस पाठ्य-क्रम के छात्रों को भी काशी विश्वविद्यालय के आयुर्वेद कालेज के छात्रों की भांति एम० बी० बी० एस० के कन्डेन्स्ड कोर्स के निमित्त पूर्णरूपेण निष्पक्ष रूप से स्थान प्राप्त हो।

(३) इन स्नातकों का भी पी० एम० एस० २ के समकक्ष वेतन हो।

*२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—परिषद् की मांगों पर विचार किया जा रहा है।

*३—**श्री प्रतापसिंह**—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे समस्त आयुर्वेदिक शिक्षा को किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत करने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन मांगों की ओर माननीय मन्त्री जी ने प्रकाश डाला है उनकी महत्ता को देखते हुए सरकार कब तक अन्तिम विचार कर लेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—समय बतलाना तो बड़ा कठिन है। इस समय इतना ही कहा जा सकता है कि सरकार विचार कर रही है।

श्री रामायणराय—इसमें एक मांग है कि किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत परीक्षा ली जाय तो इसको मानने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस पर विश्वविद्यालय को ही विचार करना है कि वह अपने यहां ऐसी कोई फकेल्टी स्थापित करने के लिये तैयार हैं अथवा नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रदेश में गांवों में गरीब बहुत अधिक ह और वहां एलोपैथिक चिकित्सा का प्रयास सफल हो नहीं सकता इसलिये आयुर्वेदिक ढंग से ही चिकित्सा का प्रबन्ध किया जा सकता है, सरकार इस पद्धति को बढ़ाने का विचार कर रही है इन मांगों को पूरा करते हु?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार का बराबर इस दिशा में प्रयास जारी है कि आयुर्वेद चिकित्सा प्रदेश में बढ़ाई जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इसको आगे बढ़ाने के लिये कुछ किया है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी उसके लिये कुछ प्राविधान किया गया है।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार ने इस बात का निर्णय अन्तिम रूप से कर लिया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को चिकित्सा प्रणाली में एलोपैथिक के मुकाबले प्रथम स्थान होगा या द्वितीय?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जैसा मैंने निवेदन किया, सरकार तो इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दे चुकी है और उसकी तरक्की के लिये बराबर प्रयत्नशील है। अब यह कि उसको एलोपैथिक स्तर पर लाकर रख दिया जाय, यह तो आयुर्वेदक चिकित्सा विज्ञान के जानने वालों पर निर्भर करता है कि वे उसको उसके समकक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर लोग जाना पसन्द नहीं करते और प्रदेश में उनकी कमी भी है, और इनको विश्वविद्यालय के अन्तर्गत न रखने से जो उनके पद हैं वे सुरक्षित नहीं समझे जाते तथा इस बात को देखते हुए कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस पेशे में आ सकें, सरकार इसका कोई प्रबन्ध करेगी कि इनकी परीक्षा भी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ली जा सके।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के द्वारा जिस चीज की ओर ध्यान आकर्षित किया है वह एक महत्व की चीज है। किन्तु हमारी मजबूरियां हैं। इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने हेल्थ यूनिट स्कीम चालू की है। उस स्कीम की सफलता पर ही केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश के गांव-गांव में हेल्थ यूनिट्स कायम की जायेंगी और उसके लिये उन्होंने एलोपैथिक को ही रखा है। इसके लिये हम उनसे लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। निजी भी लिखा-पढ़ी करते हैं और भी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब तक वे अपनी नीति न बदलें और यह प्रश्न हल न हो जाय तब तक इन विद्यार्थियों को ज्यादा पढ़ाना उनके जीवन को नष्ट करना होगा क्योंकि फिर वे बेकार हो जायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि एक यूनीवर्सिटी कमीशन स्थापित है और वह हर प्रकार की शिक्षा के बारे में विचार कर रहा है, उसको आयुर्वेदिक शिक्षा की कोई फैकल्टी कायम करने के प्रश्न को रेफर करने की कृपा करेंगे ताकि वह उस पर विचार कर सके?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्यों को यह जान कर संतुष्ट हो जाना चाहिये कि अभी दो वर्ष पूर्व एक कान्फरेंस देश के कई प्रमुख वैद्यों की बुलाई गयी थी जिसमें कि आयुर्वेदिक शिक्षा का सिलेबस तैयार किया गया था और अभी हाल में भी करीब एक महीना पहले, दिल्ली में एक कान्फरेन्स बुलाई गयी जिसकी अध्यक्षता प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन श्री नन्दा ने की थी और उसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री करमरकर भी सम्मिलित हुये थे। उसमें उत्तर प्रदेश के लिये जो सिलेबस तैयार किया गया था उसको स्वीकार कर लिया गया है और उसी सिलेबस के अनुसार अब सारे देश में पढ़ाई की जायेगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि अभी वे आयुर्वेदिक पद्धति को ज्यादा अपनाने नहीं जा रहे हैं और यह भी देखते हुए कि प्रदेश में डाक्टरों की कमी है, क्या वे प्रदेश में एल० एम० पी० की पढ़ाई को, जो कि पहले होती थी, फिर से चालू करने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—ऐसी कोई योजना सरकार के सामने नहीं है।

[१५ सितम्बर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों के कम्पाउण्डर

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को वार्षिक औषधि प्रदान करने का आधार क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को वार्षिक औषधि प्रदान करने का आधार रोगियों की संख्या पर निर्भर करता है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों में प्रदेश में कितने अनट्रेन्ड कम्पाउण्डर हैं तथा क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रदेश के आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालयों में कुल ६०० कम्पाउण्डर हैं। अभी तक यह सब अनट्रेण्ड माने जाते थे क्योंकि सरकार ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी कम्पाउण्डरों के लिये किसी परीक्षा को मान्यता प्रदान नहीं की थी। अगस्त, सन् १९६० में सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि जो कम्पाउण्डर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, वे ट्रेण्ड समझे जायं :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश की सहायक वैद्य अथवा सहायक हकीम की परीक्षा पास हो,

(ख) कम्पाउण्डर के पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हों तथा

(ग) जिनकी सेवा की अवधि कम से कम २ साल हो गई हो।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनट्रेण्ड कम्पाउण्डरों का वेतन क्रम क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अनट्रेण्ड कम्पाउण्डरों का वेतन क्रम ४५—२—६५ रु० है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोगियों की मासिक संख्या देखी जाती है या वार्षिक संख्या के आधार पर दवाई दी जाती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—रोगियों की संख्या के अनुपात से औषधि दी जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो आदेश अगस्त, १९६० में गया है उसके मुताबिक ६०० कम्पाउण्डरों में से कितने अनट्रेण्ड समझे जायंगे ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी— क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन औषधालयों की औषधि की पूर्ति में किन स्थानों से सरकार प्रोवाइड करती है ? क्या रिसर्च इंस्टीटयूट से भी इसकी पूर्ति करने का कोई प्रबन्ध है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—औषधियों का निर्माण हमारी राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में होता है और वहीं से वह राजकीय चिकित्सालयों को भेजी जाती हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोगियों की संख्या सरकार जो चिकित्सालय के प्रबन्धक या चिकित्सक कहते हैं उसी को मान लेती है या उसको मालूम करने के उनके कोई और साधन हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य— जितने रोगी रोजाना चिकित्सालय में अपनी चिकित्सा कराने आते हैं उसी के हिसाब से औषधि देने का निश्चय किया जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने पूछा है कि रोगियों की संख्या प्रतिदिन या प्रतिमास या प्रतिवर्ष कितनी आती है, इस बात की सरकार स्वयं जांच कराती है या वहां से लिख कर जो जांच भेजते हैं उसी को मान लेती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वह तो अधिकारी जांच करते हैं। प्रत्येक चिकित्सालय में रजिस्टर होता है दैनिक रोगियों का, जिसमें जो रोगी आते हैं उनके नाम दर्ज किये जाते हैं। उसी से सारा हिसाब सरकार के पास आता है और उसी के मुताबिक औषधियां दी जाती हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—यह जो अनट्रेण्ड कम्पाउण्डर्स हैं इनको ४५ रुपया वेतन मिलता है तो ट्रेण्ड कम्पाउण्डर्स का वेतन क्या है?

श्री बलदेवसिंह आर्य— ट्रेण्ड कम्पाउण्डर्स का वेतन-क्रम ४५ से १०० है।

श्री भगवतीसिंह विशारद— क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सालयों का कोई सालाना एलाटमेंट होता है या मासिक मरीज आते हैं उनके हिसाब से एलाटमेंट घटता बढ़ता रहता है?

श्री बलदेवसिंह आर्य— वार्षिक होता है।

स्टेट सोल्जर्स बोर्ड के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*४—**श्री प्रतापसिंह**—सोलजर्स बोर्ड के कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में क्या सरकार दिनांक २५-३-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि सोल्जर्स बोर्ड के कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला सरकार ने कब किया और इसका पालन कब किया गया?

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—शासन ने स्टेट बोर्ड के ७ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश २३ सितम्बर, १९५९ को जारी किये। इनका पालन ४ मार्च, १९६० को किया गया।

*५—**श्री प्रतापसिंह**— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने लोगों को स्थायी किया गया और कितनों को नहीं और क्यों?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल— ११ तृतीय श्रेणी के तथा ४ चतुर्थ श्रेणी के स्थायी पदों पर क्रमशः ८ व ३ कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है। एक तृतीय व एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अन्य २ तृतीय श्रेणी के पदों पर वर्तमान कर्मचारी अस्थायी रूप से रहेंगे क्योंकि उनमें से एक मिलिटरी पेन्शनर है तथा दूसरा अधिक आयु का है।

श्री प्रतापसिंह— क्या यह सही है कि स्टेट सोल्जर्स बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वह विभाग के आदेशों का पालन अमूमन नहीं किया करते और इसी का कारण है कि २३ सितम्बर, १९५९ को जो आदेश जारी हुआ उसकी पालना ४ मार्च, १९६० को हुई?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल— यह तो सही नहीं है कि पालन नहीं करते लेकिन आदेश के पालन में बिलम्ब जरूर हुआ है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय माल मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि २३ सितम्बर, १९५९ को जो आदेश जारी किया गया उसकी पालना ४ मार्च, १९६० तक किन कारणों से नहीं की गई?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, स्टेट सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी ने कतिपय बातों के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां की थीं जिन पर विचार-विमर्श होता रहा और बाद में जब अन्तिम आदेश दिये गये तो उसका उन्होंने पालन किया।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सूचना मान कर कि २३ सितम्बर, १९५९ को जब आदेश जारी किया गया उसका एक हफ्ते तक जब पालन नहीं हुआ तो मैं रेवेन्यू मिनिस्टर और रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिला लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी ६ महीने तक उसको अपनी फाइलों में दाबे रहे, रेवेन्यू सेक्रेटरी के ऊपर कोई जांच करने की कृपा करेंगे?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

*६-७—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[स्थगित]।

बैरई गांव में कथित दरार

*८—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या जुलाई, १९६० में अतिवर्षा के कारण कालपी के निकट बैरई गांव में जमीन में खतरनाक दरार पड़ गई है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं। उक्त गांव में ऐसी कोई दरार नहीं पड़ी।

*९—श्री गरीबदास—यदि हां, तो सरकार ने इस घटना की जानकारी करने की क्या कार्यवाही की?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रश्न नहीं उठता।

अकबरपुर तहसील में होने वाली चकबन्दी

*१०—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में चकबन्दी कब से और किस परगने से प्रारम्भ होगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इस विषय में सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह निश्चय कब तक हो जायगा कि अकबरपुर तहसील के किन परगनों में चकबन्दी किस तारीख को शुरू की जायगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, अभी सदर तहसील का कार्य पूरे तौर से समाप्त नहीं हुआ है। जब वहां कार्य समाप्त हो जायगा उसके बाद चकबन्दी निदेशक जिलाधीश से परामर्श करके अपना प्रस्ताव भेजेंगे उस पर विचार किया जायगा।

*११-१३—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—[स्थगित किये गये।]

*१४-१५—श्री लक्ष्मणराव कदम—[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में नये अस्पताल खोलने की जानकारी

*१६—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में सरकारी अस्पताल खोलने की कोई योजना उसके विचाराधीन है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

*१७—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में १९६०-६१ में किन-किन स्थानों पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयां खोलने की व्यवस्था की जा रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१८—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊनाथ भंजन में महिला अस्पताल खोलने की योजना कब तक कार्यान्वित होगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—चूंकि मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में एक महिला अस्पताल पहले से ही खुला हुआ है, अतः वहां महिला अस्पताल खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्रामराय—क्या मंत्री जी को मालूम है कि वहां पर जो महिला अस्पताल खुला हुआ है उसकी बिल्डिंग कई वर्षों से अधूरी है और काम बिल्कुल नहीं चल रहा है?

श्री बलदेवसिंह आर्य भवन—निर्माण के लिये आदेश दिये जा चुके हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्थानीय जनता ने उस अस्पताल के भवन-निर्माण के लिये कितना रुपया दिया और सरकार की ओर से कितने रुपये का अनुदान दिया गया?

श्री बलदेवसिंह आर्य—स्थानीय जनता ने इस अस्पताल के भवन-निर्माण के लिये कितना धन दिया इसकी सूचना नहीं है। सरकार ने ३८ हजार रुपये की स्वीकृति दी थी।

बुलन्दशहर जिला जेल

*१९—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या समाज-कल्याण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या बुलन्दशहर की जिला जेल शहर से बाहर हटाये जाने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक उक्त जेल शहर के बाहर बन जायेगी?

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—जी नहीं। फिलहाल यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पहले भी यह प्रश्न विचाराधीन रह चुका है?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां, १९४८ में इस प्रश्न पर विचार किया गया था और १६,३६,७४४ रुपये का खर्चा बताया गया था। उस समय इमारती सामान नहीं मिलता था, इसलिये यह प्रश्न तब से अब तक नहीं उठा।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—पहले किन कारणों से विचाराधीन था जो अब नहीं है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—पहले इमारती सामान नहीं था। उसके बाद धन उपलब्ध नहीं हो सका और अब तो उसकी कीमत भी बहुत बढ़ गई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि बुलन्दशहर की जिला जल शहर के निकट है जिसके कारण जेल के अधिकारियों और बन्दियों को बहुत दिक्कत होती है और उसे दूर करने के लिये पहले सरकार ने सोचा था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, इस तरह की १०, ११ जेलें और भी हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि बुलन्दशहर के नागरिकों ने सुझाव दिया था कि जेल की भूमि का मूल्य इतना होगा जितना रुपया जेल की नयी इमारत बनाने में भी नहीं लगेगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसा सुझाव नहीं आया, बल्कि इसके विपरीत था कि जितना रुपया भूमि और मलवे से मिलेगा उससे जेल बनाने की कीमत कहीं ज्यादा है।

*२०-२१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[स्थगित किये गये।]

विलय राज्यों के मेडिकल सर्विसेज के पदाधिकारियों के मामले

*२२—**श्री राजेन्द्रदत्त** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बनारस, रामपुर, टेहरी-गढ़वाल राज्यों का जब से उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण हुआ है तभी से वहां की मेडिकल सर्विसेज के पदाधिकारियों का जो प्रदेश के अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं seniority और fixation of pay का मामला उसके विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस समय केवल निम्नलिखित डाक्टरों की seniority के मामले सरकार के विचाराधीन हैं :

बनारस, रामपुर, टेहरी गढ़वाल राज्यों के वे डाक्टर जो पी० एम० एस० द्वितीय (पुरुष) में रक्खे गये हैं ।

Fixation of pay का कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजेन्द्रदत्त—११, १२ वर्ष विलीनीकरण होने के पश्चात् और उनका रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी अब तक क्यों नहीं तय हो पाया और कब तक तय होने की आशा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार विचार कर रही है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही निर्णय हो जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—राज्यों के और बाहर वालों के वेतन में कितना अन्तर है, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि वह विचाराधीन है ।

*२३—**श्री राजेन्द्रदत्त**—[आठवें बुधवार के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

*२४-२६—**श्री मदन गोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)—[स्थगित किये गये ।]

परगनाधीश प्रतापगढ़ के विचाराधीन दुरुस्ती कागजात के मुकदमे

*२७—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़, तहसील प्रतापगढ़ के अन्तर्गत १ फरवरी, १९५९ से २८ फरवरी, १९५९ तक हाकिम परगना, प्रतापगढ़ के न्यायालय में कागजात दुरुस्ती के कितने मुकदमें दायर हुये ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—३१ ।

*२८—**श्री गुप्तार सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मुकद्दमों में ग्राम बझान के कितने मुकद्दमे थे और उनमें आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—एक भी नहीं ।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुसम्मात कलपा कुंवर बनाम हरमोहन सिंह, ग्राम बझाना, का ऐसा मुकद्दमा चल रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—संभव है कि चल रहा हो लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न १ फरवरी से २८ तक का था । फरवरी से पहले या बाद में दायर हुआ होगा ।

*२९-३१—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—[आठवें बुधवार के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

*३२—**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)—[स्थगित किया गया ।]

जौनपुर जिले में महिला मंगल केन्द्र

*३३—**श्री रामलखन सिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जौनपुर जिले में ग्राम तथा नगर में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने केन्द्र खोले गये हैं उनमें इतने समय में कौन-कौन से कार्य किये गये तथा कितना रुपया वित्तीय वर्ष १६५८-५६ तथा १६५६-६० में खर्च किया गया ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामलखन सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न का उत्तर आने में देर क्यों हो रही है और कब तक आ जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसमें थोड़ी सी कठिनाई इसलिये है कि प्रश्न का एक अंग यह भी था कि कौन-कौन से कार्य किये गये हैं । जैसे ही सूचना आ जायेगी, मैं उसे शीघ्र ही दे दूंगा ।

*३४-३५—**श्री अब्दुलरऊफ लारी**—[हटा दिये गये] ।

*३६-३८—**श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह** (जिला गोंडा)—**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर) तथा **श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—[स्थगित किये गये ।]

*३६-४०—**श्री अहमद बख्श** (जिला मुजफ्फरनगर)—[स्थगित किये गये ।]

वाराणसी में मारवाड़ी अस्पताल, गोदौलिया, की सहायता बढ़ाने तथा भेलूपुर अस्पताल का भवन बनाने की प्रार्थना

*४१—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मारवाड़ी अस्पताल, गोदौलिया, वाराणसी को प्रतिवर्ष सरकार कितने रुपये की आर्थिक सहायता देती है ? क्या अस्तपाल का विस्तार करने के लिये सरकार आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—६,००० रु० आवर्त्तक । इस चिकित्सालय के विस्तार के हेतु अनुदान देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन अभी नहीं है ।

*४२—**श्री ऊदल**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भेलूपुर वाराणसी राजकीय अस्पताल को, जिसका भवन एकदम जर्जर हो गया है, बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक भवन का निर्माण हो जायेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, चूंकि इस विषय में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है अतः निश्चित तिथि बता सकना संभव नहीं है ।

श्री ऊदल—क्या यह सही है कि मारवाड़ी अस्पताल के प्रबन्धकों ने कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा है कि अस्पताल का वे विस्तार करना चाहते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस अस्पताल के व्यवस्थापकों ने ऐसा एक प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार को भेजा है ।

*४३—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—[हटा दिया गया] ।

*४४—**श्री शिवप्रसाद नागर**—[स्थगित किया गया ।]

उदेश्वर प्रबन्ध समिति, ज्वालापुर के सम्बन्ध में शिकायतें

*४५—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उदेश्वर प्रबन्धक समिति ज्वालापुर, जिला सहारनपुर के संबंध में कुछ शिकायतें जिलाधीश सहारनपुर को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—आवश्यक सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

कानपुर में क्षय रोग शैयाओं को बढ़ाने की प्रार्थना

*४६—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या १९४७ की तुलना में १९५९ में कानपुर शहर व जिले की मृत्यु संख्या दुगुनी यानी प्रतिमास लगभग ६२ तक पहुँच गई है जिसका कारण टी० बी० का रोग है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

*४७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या न्याय मंत्री को पता है कि कानपुर शहर और जिले में लगभग ४०,००० टी० बी० के रोगी हैं और इतनी बड़ी संख्या में रोगियों की चिकित्सा करने के लिये कानपुर में केवल सौ पलंग की व्यवस्था है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अभी तक क्षय रोगियों के विषय में कोई सर्वे नहीं हुआ है जिसके आधार पर यह बतलाया जा सके कि कानपुर शहर और जिले में कितने क्षय रोगी है । कानपुर शहर में क्षय रोगियों की चिकित्सा के लिये ८४ पलंगों की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त एक टी० बी० क्लीनिक मजदूरों के लिये है । आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्षय रोग निवारण के लिये टी० बी० क्लीनिक अधिक लाभदायक समझे जाते है ।

*४८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या न्याय मंत्री, यह अनुभव करते हुए कि कानपुर जैसे बड़े श्रमिक शहर और जिले में क्षय रोग की महामारी व्यापक रूप से बढ़ रही है उसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहायता देने में प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर में ५० शैय्याओं का एक आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने का विचार है । इसके अतिरिक्त कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अन्तर्गत बीमायुक्त कर्मचारियों के लिये १०० शैयाओं का एक क्षय अस्पताल बनाने का विचार है । इस वर्ष कानपुर में सीने के रोगों का ५२ शैयाओं का एक अस्पताल खोलने के लिये मंजूरी दी गयी है जो तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में चालू हो जायगा ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कानपुर में क्षय रोग की निरन्तर बढ़ती को ध्यान में रखते हुए आम जनता के लिये श्री गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज में ८४ शैयाओं को अपर्याप्त समझ कर २५० शैय्याएं बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सरकार ने जो विचार किया वह मैंने उत्तर में बता दिया है । ये ८४ शैय्याएं मेडिकल कालेज में नहीं हैं, बल्कि लाला लाजपत राय अस्पताल में २२, आई० डी० अस्पताल में ५०, टी० बी० क्लीनिक प्राइवेट में १२ हैं । इस तरह से ८४ हैं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कानपुर महानगर में क्षय रोग पर काबू पाने के लिये, आम जनता के लिये टी० बी० क्लीनिक की आवश्यकता अनुभव कर, टी० बी० क्लीनिक की स्थापना पर विचार करेंगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जैसा कि उत्तर में बताया गया कि ५० शैय्यायों का आईसोलेटेड वार्ड बनाने का विचार है, वह भी सभी लोगों के लिये है। जिस टी० बी० क्लीनिक के खोलने की स्वीकृति दी गयी है, वहां भी सभी लोग इलाज पा सकेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि कानपुर में टी० बी० के बीमारों की संख्या अधिकाधिक होती जा रही है पिछले कुछ सालों से, तो क्या ऐसी हालत में उसका सर्वेक्षण कराने के लिये और उसके बाद उसके निवारण करने के तरीके सुझाने के लिये किसी कमेटी के बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से इस सरकार के पास कोई ऐसा सुझाव आया है कि कानपुर में जो टी० बी० की बीमारी बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिये यह सरकार कोई योजना बनाकर भेजे तो केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कानपुर शहर में टी० बी० के बढ़ते हुए रोग के कारणों का पता लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसी कोई योजना सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिन कारणों की वजह से सरकार कानपुर में टी० बी० को बढ़ते हुए देखकर भी न तो उसका सर्वेक्षण कराना चाहती है और न कोई विशिष्ट कमेटी ही बिठाना चाहती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार टी० बी० के रोगियों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है इसलिये आपके इस सुझाव को कार्यान्वित करने की आवश्यकता सरकार नहीं समझती।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि टी० बी० का रोग जो कानपुर में बढ़ रहा है उसकी संख्या सबसे अधिक श्रमिकों के बीच में है और जो टी० बी० क्लीनिक हैं उनमें श्रमिकों को स्थान नहीं मिल पाता है इसलिये क्या सरकार उनके लिये टी० बी० पेशेन्ट्स होम बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

*४९—श्री ऊदल—[स्थगित किया गया।]

*५०-५१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[हटा दिये गये।]

लगान में कथित वृद्धि

*५२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधिवासियों व सीरदारों के लगान में १९६० में कोई वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी तथा क्यों ? इससे सरकार की आय में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं। लगान की दर (rate) में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू में यकायक इधर बहुत वृद्धि हुई है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो आपने पूछा नहीं था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लगान में कोई बदलाव किया गया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं ।

सामाजिक तथा नैतिक आरोग्यता के अन्तर्गत राज्यगृह

*५३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक तथा नैतिक आरोग्यता तथा उत्तर रक्षा सेवा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५९–६० में पांच राज्यगृह स्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो यह गृह प्रदेश में कहां-कहां स्थापित हैं और प्रत्येक राज्यगृह में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही स्थापित किया जायेगा ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६५ पर)

*५४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त केन्द्रों की स्थापना पर वित्तीय वर्ष १९५९–६० में कितना धन व्यय हुआ और क्या यह सारा धन भारत सरकार देगी तथा योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६५ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन राज्यों में प्रशिक्षण के लिये ३५,४१३.७६ रुपये खर्च किये गये तो यह प्रशिक्षण किस विषय के थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सिलाई, कढ़ाई, टोकरी आदि बनाने तथा कार्डिंग आदि के प्रशिक्षण हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि शोधक और अशोधक संस्थाओं से विमुक्त हुए पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है जिन्हें पुनःस्थापन के लिये सदन से सहायता दी गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय इसके संबंध में मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं ।

बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के अन्तर्गत वेद वेदांग विद्यालय, जोशीमठ, धर्मशालायें व मन्दिर

*५५—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ मंदिर कमेटी की ओर से कोई विद्यालय चलाया जाता है ? यदि हां, तो उस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है तथा पढ़ाई का विषय और पद्धति क्या है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां, श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी की ओर से जोशीमठ में एक वेद वेदांग विद्यालय दिनांक २२–१०–५८ से चलाया जा रहा है, जिस पर प्रति वर्ष लगभग १४ हजार रुपया व्यय होता है।

विद्यालय में संस्कृत, वेद दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष तथा कर्मकांड के विषय पढ़ाये जाते हैं। संस्कृत पढ़ाने की पद्धति अष्टाध्याई है।

*५६—**श्री नागेश्वरप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बद्रीनाथ मंदिर कमेटी तीर्थ यात्रियों के लिये धर्मशालाओं की व्यवस्था करती है? यदि हां, तो ऐसी धर्मशालायें ३० अप्रैल, १९६० तक कहां-कहां बन गई हैं और आगे कहां-कहां बनाने की योजना है?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां, कुछ व्यवस्था की जाती है। निम्न स्थानों में धर्मशालाएं बनीं हैं।

(१) पौड़ी
(२) कीर्तिनगर
(३) रुद्रपुरप्रयाग
(४) पीपलकोटी
(५) बेला कुची रोड
(६) जोशीमठ
(७) पाण्डुकेश्वर (दो)
(८) लाभवगढ़
(९) (१) गुजराती धर्मशाला (दो)
(२) आंध्र धर्मशाला
(३) लक्ष्मी बाई धर्मशाला
(४) नवंदान्द ट्रस्ट धर्मशाला
(५) जौभण्डार
} (बद्रीनाथ में)
(१०) गुप्तकाशी
(११) केदारनाथ
(१२) तुंगनाथ

भविष्य में निम्न स्थानों में धर्मशालायें तथा पैसेन्जर रोड बनाने की योजना बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के विचाराधीन है।

(१) श्रीनगर
(२) गुप्तकाशी
(३) गौरीकुण्ड
(४) रामपुर
(५) त्रिजुगी नारायन
(६) केदारनाथ (दो)
(७) बद्रीनाथ
(८) जोशीमठ
(९) पान्डुकेश्वर
(१०) लम्बागर तथा
(११) हनुमानचट्टी

*५७—**श्री नागेश्वरप्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तराखंड के किन-किन मंदिरों की देखभाल उपर्युक्त कमेटी करती है और उन मंदिरों की गूंठ गांवों द्वारा वार्षिक आय कितनी है?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी संलग्न सूची में दिये गये मंदिरों की देखभाल करती है। उन मंदिरों की गूंठ गांवों द्वारा वार्षिक आय १५,४९८ रुपये ३४ नये पैसे है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६६ पर)

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह विद्यालय चल रहा है, यह स्थायी रूप से चल रहा है या अस्थायी रूप से?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—स्थायी रूप से।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय का जो खर्च है, इसमें सरकार भी कुछ मदद देती है? यदि हां, तो कितने रुपये की?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—पहली अप्रैल, ५८ से मार्च, ५९ तक ५,७३७ रु०४३ न० पै० दिया गया, ५९-६० में १४,७३७ रु० ५३ न० पै० दिया गया और पहली अप्रैल, ६० से अगस्त, ६० तक ६,८६० रुपया दिया गया यानी कुल अब तक लगभग २७,३३४ रुपये ९६ नये पैसे दिये गये हैं। ये सब रुपये बद्रीनाथ कमेटी फंड से दिये गये हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन धर्मशालाओं का जिक्र किया गया और जो बनने वाली हैं, उनमें सरकार की ओर से विशेष तौर पर कितने धर्मशालाओं की व्यवस्था वहां यात्रियों के लिये की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार की ओर से व्यवस्था करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, यह तो बद्रीनाथ कमेटी की ओर से व्यवस्था की गयी है।

छिबरामऊ तहसील में बागों के लगान की वसूली

*५८—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में लगान वसूल करने वाले अमीनों ने बागों का लगान आठ साल का इकट्ठा वसूल किया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं।

*५९—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? क्या जिन काश्तकारों से आठ साल का इकट्ठा रुपया वसूल किया गया है, उन्हें अगले साल लगान में कुछ रियायत मिलेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रश्न नहीं उठता।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर बागों का लगान ८ साल का नहीं वसूल किया गया तो कितने साल तक का वसूल किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, वर्तमान फसल की वसूली के साथ एक साल का बकाया वसूल किया गया।

रिहन्द डूब क्षेत्र में कथित भुखमरी

*६०—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार को इस बात की सूचना पिपरी श्रम रक्षा समिति एवं विधायक द्वय, मिर्जापुर द्वारा जुलाई, १९६० के प्रथम पक्ष में मिली है कि रिहन्द डूब क्षेत्र में १२ व्यक्ति एक सप्ताह में भुखमरी के शिकार हुये ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं। कथित साधनों के द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। कुछ समाचार-पत्रों में इस प्रकार की खबर जरूर छपी थी जिसकी जांच कराने पर भुखमरी का आरोप बिल्कुल असत्य व निराधार सिद्ध हुआ।

*६१—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार रिहन्द डूब क्षेत्र भुखमरी कांड की जांच किसी न्यायिक कमीशन द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं। इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उनके पास श्रम रक्षा समिति, पिपरी, का ऐसा कोई आवेदन-पत्र आया था कि वहां भुखमरी है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया, मान्यवर, यदि कोई आया हो तो उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन—जो रिहन्द डूब क्षेत्र में १२ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भुखमरी का समाचार मिला है, उसमें किस अधिकारी के द्वारा जांच कराई गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जांच कलेक्टर ने की। जिन विधायकों की तरफ से कहा गया था कि उनके वक्तव्य के आधार पर किया गया, उनमें से एक ने—श्री आनन्द ब्रह्म-शाह ने उसका खंडन किया और वह छप गया। दूसरे विधायक से सम्पर्क नहीं स्थापित हो सका। इसके अतिरिक्त एक सर्वोदय कार्यकर्ता श्री चिन्तन दास तथा भूतपूर्व विधायक श्री ग्रामवासी ने वहां जाकर उसका खंडन किया है। समाचार पत्र 'नवजीवन' में उनका खंडन छपा हुआ है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—इस प्रश्न में जिन १२ व्यक्तियों का जिक्र है, वह मर चुके हैं या जीवित हैं, क्या इसकी जांच सरकार ने कराई है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, समाचार पत्रों में तो कोई नाम नहीं दिया गया, और जांच का नतीजा यह है कि जुलाई के प्रथम पक्ष में किन्हीं भी १२ व्यक्तियों की मृत्यु ही नहीं हुई। भूख से मरने का तो प्रश्न ही नहीं है, जिस क्षेत्र और पक्ष का जिक्र है उस क्षेत्र में १२ व्यक्ति उस पक्ष में मरे ही नहीं।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने कहा कि एक विधायक ने खंडन किया है और दूसरे से सम्पर्क नहीं स्थापित किया जा सका, तो क्या दूसरे विधायक ने भी इस बात का खंडन किया है कि १२ व्यक्ति नहीं मरे?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मैंने उत्तर दिया कि जिला अधिकारी दूसरे विधायक से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके।

*६२-६४—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—[स्थगित किये गये।]

खटीमा तहसील में भूमि वितरण के सम्बन्ध में आरोप पत्र

*६५—**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील खटीमा, जिला नैनीताल की भूमि एलाट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई आरोप-पत्र मंडल कांग्रेस कमेटी, खटीमा द्वारा उसके पास हाल ही में भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी हां। उक्त पत्र को जिलाधीश नैनीताल के पास जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये भेज दिया गया है। अभीष्ट प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

जमानियां तहसील में जमींदारी मुआवजा की रकम में घपला

*६६—**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील में भूतपूर्व जमींदारों के मुआवजे की रकम से एक लाख से अधिक रुपया घपला करके तहसील के कर्मचारी एवं कुछ दलालों ने निकाल लिया है? यदि हां, तो सरकार जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है और जिन लोगों के रुपये निकाले गये हैं उनकी क्षति की पूर्ति के लिये वह क्या सोच रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३१ अगस्त, १९६० तक केवल ८,३०८ रुपये ५३ नये पैसे के जमींदारी विनाश तथा अधिवासी प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के घपले का पता चला है। इसमें अब तक (३१-८-६०) प्राप्त जानकारी के अनुसार दो तहसील कर्मचारियों, एक दलाल तथा पांच मुख्तारों की साजिश का पता चला है। दोनों कर्मचारी नौकरी से अलग करके गिरफ्तार कर लिये गये हैं और पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध जांच कराई जा रही है। साथ में उक्त दलाल भी गिरफ्तार है और उसके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। यह तीनों व्यक्ति

[श्री हुकुम सिंह बिष्ट]

भारतीय दंड विधान की धारा ४१७/४१९/४२०/४६७, तथा ४६८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं और इन्हीं धाराओं के अन्तर्गत पांच मुख्तारों में से एक मुख्तार का अभियोग-पत्र दिनांक १७ अगस्त, १९६० को न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है, शेष मुख्तारों के सम्बन्ध में अभी छान-बीन जारी है। मुख्तारों ने अभी तक (३१-८-६०) २,०५६ रुपये ६३ नये पैसे सरकारी खजाने में जमा कर दिये हैं और २,७७४ रुपये ४९ नये पैसे सही मध्यवर्तियों को देकर उनसे रसीदें प्राप्त कर ली हैं। शेष ३,४७७ रुपये ४१ नये पैसे की क्षति की इसी प्रकार से पूर्ति करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है यदि इस दशा में शीघ्र सफलता न मिली तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिये दिवानी की कार्यवाही की जायगी।

दौलतपुर ग्राम के निकट भूमि में दरार

*६७—श्री गरीबदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम दौलतपुर, परगना व जिला जालौन में जुलाई, १९६० में गांव के निकट धरती फट गई है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां।

*६८—श्री गरीबदास—यदि हां, तो सरकार ने गांव की सुरक्षा के लिये उक्त घटना का परीक्षण करवाया है या नहीं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—घटना के ४ दिन के अन्दर ही जमीन स्वयं ही समतल हो गई। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। अतएव परीक्षण करवाने की कोई आवश्यकता नहीं हुई।

*६९—श्री गरीबदास—क्या यह सही है कि उस भूमि के पास का बरसात का सभी पानी उसी फटी हुई भूमि में चला गया है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं।

श्री गरीबदास—जो दरार पड़ गई थी वह कितनी लम्बी चौड़ी थी और कितनी गहराई तक थी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, जो दरार पड़ी थी वह ७० हाथ लम्बी, १ फुट चौड़ी और २० हाथ गहरी थी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समतल जमीन पानी से हो गई है या मिट्टी से?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—समतल तो मिट्टी से ही समझी जायगी। पानी भरेगा तो समतल नहीं कही जा सकती है।

श्री नन्दराम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दरार पड़ने का क्या कारण था और उस दरार से कितनी क्षति हुई?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—कारण की तो जांच नहीं हुई क्योंकि वह स्वयं समतल हो गई। कोई क्षति नहीं हुई।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि भूमि कितनी गहराई तक फटी है?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया।

प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार मैंने एक ही प्रश्न को स्वीकार किया है। एक काम रोको प्रस्ताव बरसात के बारे में है। उसके लिये मैंने यह कर दिया है कि जितने जिलों के बारे में यहां पर वक्तव्य हो चुके हैं बाढ़ के सम्बन्ध में उसके बाद जहां बाढ़ आयी है वह ३, ४ जिले हैं जैसे बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और शायद हरदोई भी है। इनके विषय में जो भी प्रस्ताव मेरे पास आ गये हैं उनको मैंने न्याय मंत्री जी के पास भेज दिया है और उनसे कहा है कि उनके बारे में सूचना १७ तारीख को संक्षेप में दे दें और वे सहायतार्थ क्या क्या कार्यवाही कर रहे हैं वह भी बता दें। मैंने उनको लिख कर भेज दिया है।

श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, इतनी भयानक वर्षा हुई है, मकानात गिरे हैं, बहुत से लोग मरे हैं और फसल बरबाद हुई है....

श्री अध्यक्ष—मैंने मंत्री जी को भेज दिया है सब।

श्री उग्रसेन—(जिला देवरिया)—जो बयान दिया था श्रीमन्, उसमें देवरिया का जिक्र नहीं था।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर भेज दें।

श्री रूमीसिंह (जिला शाहजहांपुर)—तहसील पुवायां में कई मृत्युएं हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने सब सूचनायें भेज दी हैं।

प्रदेश के तराई अंचल में निर्मित हो रही किछा मिल की मशीनरी उपलब्ध न होने के कारण तथा बाजपुर मिल की क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो सकने के कारण उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार मैंने श्री नारायणदत्त तिवारी का एक लोकमहत्व का प्रश्न स्वीकार किया है जो इस प्रकार है।

"प्रदेश के तराई अंचल में निर्मित हो रही किछा मिल की मशीनरी अभी तक उपलब्ध न होने के कारण उक्त मिल को वर्तमान "सीजन" में न चलाये जा सकने एवं बाजपुर मिल की क्षमता का भी पूर्ण उपयोग न हो सकने के कारण नैनीताल, बरेली, रामपुर, पीलीभीत एवं मुरादाबाद जिलों के तराई–भावर क्षेत्र में हजारों किसानों के लगभग डेढ़ करोड़ मन गन्ने, जिसे कि इसी निश्चित आशा पर उक्त किसानों ने उत्पादित किया कि किछा मिल इस सीजन में ही चल जावेगी, और बाजपुर फैक्ट्री भी ठीक चलेगी, के 'क्रशिंग' हेतु कोई प्रबन्ध अब तक नियोजित न होना, जिससे कि उक्त क्षेत्र के सभी गन्ना काश्तकार आशंकित एवं ग्रस्त हैं।"

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप वक्तव्य आज देंगे या और किसी रोज?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—परसों दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, अब तो परसों सदन उठ जायगा। मैंने कहा था कि उरई जिले में एक हंगर स्ट्राइक हो रही है पुलिस के जुल्मों के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष—वह तो नियम ५२ में आपने दिया था और जो प्रश्न महत्व का था उसी को मैंने आज ले लिया।

श्री गौरीशंकर राय—अब तो सदन २ दिन में उठ जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप कल दे सकते हैं।

बढ़े हुए महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में जल्दी आदेश जारी करने की प्रार्थना

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, २५ जुलाई को राज्यपाल महोदय के भाषण में साढ़े पांच रुपये की वृद्धि का एनाउन्समेंट हुआ था मगर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए। तो म आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोगों में ज्यादा असंतोष व्याप्त न हो, शीघ्र आदेश जारी कराने की कृपा करेंगे जिससे लोगों में संतोष की लहर दौड़ जाय।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न बेवक्त है।

विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा रेलवे की रियायती टिकटों को गलत ढंग से लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

***मुख्य मंत्री** (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—पार्लियामेन्ट में उत्तर प्रदेश विधान सभा के जिन सदस्य की ओर संकेत किया गया था वह श्री हरदयालसिंह पिपल हैं। उनकी एक दरख्वास्त १८ मार्च, १९६० को इस आशय की प्राप्त हुई कि वह हाथरस किला से कांगड़ा मन्दिर तक के लिये परिगणित जाति के किसानों और श्रमिकों की एक स्पेशल ले जाना चाहते हैं। प्रादेशिक टूरिस्ट विभाग ने रेलवे के पास इस दरख्वास्त को इस सिफारिश के साथ भेज दिया कि उनके लिये २९ मार्च से ११ अप्रैल तक के लिये प्रबन्ध कर दिया जाय, परन्तु चूंकि यह फसल काटने का समय है इसलिये इसमें किसान न रहेंगे केवल श्रमिक रहेंगे। यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य सरकार इस आयोजन के संबंध में अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी।

२९ मार्च को स्पेशल रवाना हुई। बीच में रेलवे अधिकारियों को कुछ सन्देह हुआ कि इसमें जो मुसाफिर सवार हैं वह ऐसे नहीं हैं जिनके लिये स्पेशल की अनुमति ली गयी थी। उन्होंने राज्य सरकार को अपने सन्देह की सूचना दी। जब ११ अप्रैल को स्पेशल लौटी तो मुसाफिरों की जांच की गयी। २९८ १/२ मुसाफिरों में से २६ परिगणित जाति के श्रमिक थे। १३७ ऐसे किसान थे जो परिगणित जातियों के नहीं थे, शेष ऐसे लोग थे जो न श्रमिक थे और न किसान थे। यह भी मालूम हुआ कि इनमें से अधिकांश लोगों को ऐसा मालूम भी नहीं था कि स्पेशल केवल परिगणित जाति के श्रमिकों के लिये थी। यह सूचना मिलने पर अलीगढ़ के जिला मैजिस्ट्रेट को और जांच करने के लिये कहा गया। उनकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि श्री पिपल ने अलीगढ़ में सूचित किया था कि नगरकोट स्पेशल चलाई जायगी जिसमें सभी प्रकार के यात्री शरीक हो सकेंगे। यह भी मालूम हुआ कि प्रत्येक यात्री से २५ रुपये किराया लिया गया जब कि आने-जाने का किराया ९.२१ हो हुता था। सरकार ने यह निश्चय किया कि इस मामले में अदालती कार्यवाही की जानी चाहिये। कानूनी परामर्श यह है कि मुकदमा रेलवे की ओर से दायर होना चाहिये। उनको लिख दिया गया है कि वह इस संबंध में यथोचित कार्यवाही करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जो केन्द्रीय मंत्री श्री एस० बी० रामास्वामी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए—

"The State Governments concerned have got to sponsor it and issue a certificate that it is meant for kisans and each of the passengers has also got to produce a certificate from the Commissioner or the District Magistrate concerned that he is a kisan or she is a kisan."

बतलायेंगे कि किसान या सरकार ने इसको स्पांसर किया था और ऐसे सर्टिफिकेट कि ये लोग किसान हैं या हरिजन हैं खुद दिये थे या किसी और अधिकारी ने दिये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट को ऐसे सर्टीफिकेट देने पड़ते हैं और इस बात की जांच हो रही है कि टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट के पास जो कागज रखा गया वह जाली था या कसा था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जब पैसेंजर ट्रेन चेक हुई तो लोग जो गलत तौर पर उसमें बैठ गये थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके नाम व पते नोट कर लिये गये थे। क्या यह भी सही है कि नाम व पते गलत बतलाये गये और वे भाग गये ?

श्री अध्यक्ष—यह रेलवे पुलिस से ताल्लुक रखता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—प्रान्तीय सरकार के डी० एम० तथा पुलिस से इसका ताल्लुक है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन लोगों को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था, उन्होंने तो कोई अपराध किया नहीं था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—जांच किस विभाग का कौन अधिकारी कर रहा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई खास जांच की बात नहीं है। खाली जांच इतनी रह गयी है कि जो सर्टिफिकेट दिया गया वह कैसे दिया गया। इसे टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट देखेगा। कोई और जांच नहीं रह गयी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या गत वर्षों में ऐसी स्पेशल ट्रेनों का आयोजन किया गया था और जिन व्यक्तियों द्वारा आयोजन किया गया था उनमें यह माननीय सदस्य भी थे जो कि इस ट्रेन के आयोजन में भी थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे नहीं मालूम।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जिन माननीय सदस्य का इस मामले से संबंध है वे सरकारी पक्ष के हैं या विरोधी पक्ष के हैं।

श्री अध्यक्ष—सरकारी पक्ष या विरोधी पक्ष का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—हरदयाल सिंह पिपल जिनका नाम मुख्य मंत्री जी ने लिया वे कांग्रेस टिकट से सदन में आये हैं या किसी और पार्टी के टिकट से सदन में आये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा ऐसा खयाल है कि अगर किसी आदमी का मामला जाब्ता फौजदारी से संबंधित है तो उसके राजनीतिक विचारों को नहीं पूछना चाहिये और मैं ऐसा समझता हूं कि जब इस सदन के किसी माननीय सदस्य की बात हो तो ऐसी बात पूछना कोई यूजफुल नहीं मालूम होती, लेकिन बतलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वे कांग्रेस पार्टी के हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इन्हीं माननीय सदस्य के खिलाफ गलत इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट बनाने और उसी आधार पर बी० ए० पास करने की जांच हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे नहीं मालूम। अगर माननीय सदस्य को मालूम है तो वे इन बातों को गवाहों के रूप में अदालत में पेश कर देंगे।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इसमें २९ या कुछ ऐसे ही लोग परिगणित जाति के थे और बाकी लोग न श्रमिक थे न किसान थे, तो वे किस तरह के लोग थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ तो मेरा खयाल है वकील थे, अलग अलग पेशों के लोग थे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री पिपल ने और अलीगढ़ जिले के हरिजन अफसर ने यह प्रमाणित किया था कि ये सभी हरिजन हैं और किसान हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं जरूर किया होगा नहीं तो स्पेशल इनको मिलती ही नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस घटना के पूर्व माननीय हरदयालसिंह पिपल के खिलाफ ऐसी शिकायत उनके पास आयी थी कि उन्होंने कुछ लोगों से कोआपरेटिव सुपरवाइजर, नायब तहसीलदार और केन विभाग में नौकरी दिलाने के लिये कुछ रुपया लिया है और मुख्य मंत्री जी ने उसकी जांच करायी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इस वक्त याद नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी माननीय सदस्य के बारे में ऐसा सवाल पूछना प्रेसफुल नहीं होता तो क्या भविष्य में मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी माननीय सदस्य को ऐसा काम करना भी प्रेसफुल नहीं मालूम होता, कृषक समाज या और जितनी भी संस्थायें ऐसी बनी हैं उनको कोई कंसेशन देने के पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेस को ऐसे आदेश देंगे कि वे पूरी छानबीन कर लिया करें ताकि उनका एक्सप्लायटेशन न हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा खयाल है कि एक्सप्लायटेशन को शायद ही किसी का हुआ हो और हम अपनी तरफ से तो ध्यान रखते ही हैं। बाकी माननीय सदस्यों को भी खुद अपनी तरफ से ध्यान रखना चाहिये।

लोक लेखा समिति में विधान परिषद् के पांच सदस्यों को सहयुक्त करने का प्रस्ताव

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—

"यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक-लेखा समिति में १९६०-६१ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, यह प्रस्ताव बहुत दिनों से इस आदरणीय सदन के विचाराधीन है । सर्व प्रथम भूतपूर्व सभापति, श्री मदनमोहन उपाध्यक्ष ने चार या साढ़े चार वर्ष पूर्व इसी प्रस्ताव को इस सदन में प्रस्तुत किया था और उस समय इस पर विचार कुछ विशेष कारणों से जो विषय पहले से चल रहे थे उन पर विचार जारी रहने के कारण स्थगित हो गया था। यह प्रश्न इसलिये भी उठा था कि संविधान के अनुच्छेद १५१ में यह है —

"भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राज प्रमुख के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको उस राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवायेगा ।" इस अनुच्छेद के अनुसार जो एकाउन्टेन्ट जनरल साहब रिपोर्ट पेश करते हैं कम्पट्रोलर ऐंड आडिटर जनरल को वह दोनों सदनों में पेश होती है । इसलिये यह भी अधिकार विधान परिषद् को हो जाता है कि एकाउन्ट्स की वह जांच कर सके। तो अगर विधान परिषद् अपनी अलग पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बना ले तो हमें भी दिक्कत हो सकती है, परस्पर विरोधी सिफारिशें भी हो सकती हैं और जो सरकारी कर्मचारी लोक-लेखा समिति के सामने उपस्थित होते हैं उनके भी समय का दुरुपयोग हो सकता है । जब विधान परिषद् के सदस्यों ने इस प्रकार की इच्छा जाहिर की तो यह विचार चला । मैं समझता हूं कि लोक-लेखा समिति के संबंध में ऐसी ही प्रथा लोक-सभा में भी है और वहां भी प्रति वर्ष ऐसा ही प्रस्ताव होता है कि राज्य सभा के कुछ सदस्य सहयुक्त किये जायं ।

श्रीमन्, मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह समिति पूरी विधान सभा की ही रहेगी और यह आपके ही अधीन, यानी स्पीकर के ही डायरेक्शन में चलने वाली समिति होगी । और ये केवल एसोशियेटेड मेम्बर्स होंगे और जैसी वित्तीय मर्यादा है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वैसे लोक लेखा समिति में वोट करने की नौबत नहीं आ पाती यह कन्वेन्शन है, लेकिन फिर भी इनको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा अगर कभी नौबत भी आ जाये। इसीलिये शब्द "सहयुक्त" प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, संविधान की मर्यादा के अनुसार एकाउन्ट की जांच हो और विधान परिषद् के सदस्यों की सलाह भी हमें मिलना चाहिये इसलिये यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में १९६०–६१ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

हिन्दी में साहित्य न मिलने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—अब तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रादेशिक प्रारूप पर विचार होगा । किन्तु इस पर (श्री नन्दराम जी की ओर संकेत करते हुए) आप का कहना है कि आपको हिन्दी में एक ही पुस्तिका मिली है। अंग्रेजी में तो फाईव ईयर प्लान और स्टेटमेंट्स दोनों दिये हुए हैं। हिन्दी में प्रारूप तो दिया जा चुका है सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मान्यवर, केवल एक ही पुस्तिका हमको दी गयी है तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप के संबंध में और वह भी संक्षिप्त और इसके अलावा कोई भी पुस्तक हिन्दी में नहीं दी गयी ।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने तो तीन पुस्तकें हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हमें केवल एक पुस्तिका मिली है । मैं समझता हूं कि संसद सदस्यों के सम्मेलन के संबंध में जो छोटी सी पुस्तिका मिली है आप शायद उसे देख रहे होंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय भारतीय जी का अर्थ है कि सेकेन्ड वाल्यूम है उसका रूपान्तर हिन्दी में नहीं है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—हमें केवल एक ही पुस्तिका मिली है और कोई पुस्तिका इसके अतिरिक्त मिली नहीं।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बता सकेंगे कि क्या यह हिन्दी में किताब बाद में दे दी जायगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, बाद की बात तो मैं कह नहीं सकता लेकिन इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लम्बा चौड़ा विस्तृत स्टेटमेन्ट अंग्रेजी में है इसलिये इसको अंग्रेजी में जारी करना पड़ता है कि प्लानिंग कमीशन और दूसरे स्टेट के मेम्बरों से हमको बातचीत करनी पड़ती है। उनके सामने अंग्रेजी में चीजें रखनी पड़ती हैं। इसलिये उसको अंग्रेजी में जारी करना पड़ा। जहांतक प्रारूप का प्रश्न है वह हिन्दी में मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त बहस के दौरान में नहीं हो सकता।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह नहीं हो सकता। मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष—मजबूरी है तो ठीक है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि उन्हें दूसरे स्टेट्स के लोगों से या प्लानिंग कमीशन से बातचीत करनी पड़ती है तो हमें भी तो माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत करनी पड़ती है हम उनसे किस आधार पर बातचीत करें। हमारा तो सैलरी बिल भी जब अंग्रेजी में ट्रांस्लेट होता है तब हम तन्खवाह पाते हैं। हम अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो मुख्य मंत्री जी हमारी मजबूरी भी तो महसूस करें ताकि हम लोग भी उनसे कुछ बातचीत कर सकें।

श्री अध्यक्ष—आपके पास जो प्रारूप हिन्दी में दिया गया है उससे आप बहस कर सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हिन्दी वाली बात के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस समय तो कठिनाई है माननीय मुख्य मंत्री जी की। मैं समझता हूं कि बहस के दौरान में देना उनके लिये संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन हिन्दी में क्या वह इसको प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि योजना के बारे जब वह जनता का सहयोग चाहते हैं तो हिन्दी भाषी जनता के विचार के लिये आंकड़े उनके सामने जाने चाहिये। तो क्या वह आगे के लिये आज्ञा देंगे कि वह हिन्दी में प्रकाशित हो ?

श्री अध्यक्ष—फाइनल स्टेज में हो जाय तब।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—अगर इसमें कुछ परिवर्तन हुए तो सब बेकार जायगा। फाइनल स्टेज के बारे में मुख्य मंत्री जी बतायें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, २३ तारीख को इसके ऊपर अंतिम रूप से विचार होना है और जो इसका अंतिम रूप होगा वह जरूर प्रकाशित होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, अंग्रेजी की प्रतियों को रखे हुए एक हफ्ता हो गया। इसमें हिन्दी में अनुवाद हो सकता था। अनुवाद न करने की ढिलाई है। केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने का कोई सवाल नहीं है। इसकी प्रति हिन्दी में करने के लिये बार-बार आग्रह करने पर भी नहीं कारई गई। अंग्रेजी से अनुवाद न करना और हिन्दी में प्रति न देना एक तरह से जिद मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष—आपने अपने विचार प्रगट कर दिये कि सात रोज पहले यह कह दिया गया था। गवर्नमेन्ट ने भी उत्तर दे दिया कि उनको जितनी बहस के लिये आवश्यकता थी उतना प्रारूप दे दिया है। उस पर बहस हो सकती थी। लेकिन उनकी कठिनाई थी और इतनी जल्दी हिन्दी में छपवा कर स्टेटमेंट तैयार कर देना संभव न था। अंग्रेजी में उन्हें जरूरत थी और उनको २३ तारीख को केन्द्र में पेश करना है। अब इसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमान् जी, हमारे अधिकारों की आप हिफाजत कर सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी जानते नहीं हैं और इस सदन की भाषा भी हिन्दी है। अंग्रेजी की जो पुस्तिका दी गई है उसमें आंकड़े दिये हुए हैं और हम लोग उनसे अनभिज्ञ रहेंगे तो हम क्या सुझाव दे सकते हैं। आप हमारे हकों की हिफाजत करें। वैसे यह सरकार सारी चीजें विदेशी [**] भाषा में ही पेश करती है और जनता को अंधेरे में रखने की कोशिश करती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि किसी भाषा को जंगली कहना ठीक नहीं है और अनुचित है। मैं समझता हूं कि काफी प्रश्नोत्तर हो चुके हैं और सरकार ने अपनी कठिनाई भी बता दी है। अब आपको पंचवर्षीय योजना पर बहस करना है। यह महत्व की चीज है। कुछ लोगों की यह शिकायत थी कि केन्द्र से रुपया बहुत कम मिलता है, इसके ऊपर सदन में विचार नहीं हो पाता और सरकार सीधे बातचीत करती है केन्द्रीय सरकार से और पंचवर्षीय योजना का आखिरी प्रारूप आ जाता है और बहस होती है तो वह बेकार जाती है। इसलिये प्रारूप के वक्त मौका देने के खयाल से यह विवाद तय किया गया है। हम लोगों में से शायद ही कोई सज्जन ऐसे होंगे जो थोड़ी अंग्रेजी न जानते हों और किसी दोस्त से जानकारी हासिल करके वे बहस कर सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि बहस प्रारम्भ कर दी जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता था कि अभी एक माननीय सदस्य ने [**] जंगली भाषा कहा तो किसी भाषा के लिये ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले ही कह दिया है कि यह अनुचित है। यह कार्यवाही से हटा दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से किसी भाषा का अपमान करना अनुचित है।

प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर चर्चा के समय भाषणों के लिए समय निर्धारण

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड फाइव ईयर प्लान पर जो विवाद हो रहा है उसमें सभी सदस्य इंटरेस्टेड हैं इसलिये मैं समझता हूं कि समय के संबंध में कुछ नीति निर्धारित कर ली जाय तो अच्छा हो। मेरा सुझाव है कि माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल के लिये समय का कोई प्रतिबन्ध न रखा जाय। वह स्वयं देख लेंगे। बाकी नेताओं के लिए साधारणतया २० मिनट और यदि आवश्यक समझें तो और कुछ दे दें तथा साधारण सदस्यों के लिये दस मिनट समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—साधारण सदस्यों के लिए १५ मिनट से कम न दें। दस मिनट का मैं सदैव विरोध करता हूं, जब भी रखते हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक नेताओं का सम्बन्ध है उनको जितना समय देना चाहें, दें। मुझे आपत्ति नहीं है। मगर मेम्बरों के लिए कम से कम १५ मिनट का समय हो। इससे कम नहीं होना चाहिए।

नोट:—[**] यह अंश माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—चूंकि आप खड़े हो गये इस लिए मुझे याद आ गया, मैं यह करना चाहता हूं कि जो किसी कमेटी के अध्यक्ष हों या मैं देखूंगा कि जिन्होंने विशेष अध्ययन किया है तो उनके लिए मैं १५ मिनट, या नेताओं के बराबर भी २० मिनट दे दूंगा। बाकी आमतौर पर, जो अपने जिले की जरूरतों की केवल बातचीत करते हैं या दो चार बातें अपने जिले को कहना चाहते हैं उन्हें १० मिनट काफी होंगे। अगर सब को १५ मिनट दे दें तो जो अपने जिले की बात करना चाहेंगे उनमें से बहुत से लोग बोल न सकेंगे। इसलिए आमतौर पर जो मदन पांडेय जी ने कहा है, उसे स्वीकार करना चाहिए। नेता सदन और नेता विरोधी दल के लिए समय का निर्धारण न होगा। बाकी बीस मिनट नेताओं के लिए रहेगा। और अगर मैं यह देखूंगा कि बहुत अच्छा अध्ययन करके कोई वक्ता आये हैं तो उन साधारण सदस्यों को भी २० मिनट का मौका दे दूंगा, १५ मिनट की क्या बात है। लेकिन आमतौर पर १० मिनट ही रहेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। जहां पर समय का निर्धारण हुआ है उसमें नेता विरोधी दल, और नेता सदन का सवाल नहीं उठता। लेकिन जो दस और बीस मिनट का समय निर्धारण किया गया है उसमें मंत्री और उपमंत्री अन्य नेताओं के साथ चलेंगे या दस मिनट में चलेंगे?

श्री अध्यक्ष—बीस मिनट का मार्जिन रख लिया है। उसमें ले लेंगे।

प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर चर्चा

***श्री मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो रूप रेखा बनायी है वह माननीय सदस्यों के सामने है। मुझे ऐसी आशा है और ऐसा विश्वास है कि उन्होंने निश्चय ही उसका अध्ययन किया होगा। हमारा यह दावा नहीं है कि इससे अच्छा प्लान, या मसविदा तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि जहां तक प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान रखते बना हमने ध्यान में रखा, विशेषज्ञों को अपने राज्य से और बाहर से भी बुला कर उनसे राय ली। इस बात का भी खयाल रखा कि कितने साधन हम को उपलब्ध हो सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर हम जैसा कुछ प्लान बना सके, उसको हमने सदन के सामने रखा है। इस प्लान के सम्बन्ध में दो बातें कही जा सकती हैं, दो शिकायतें हो सकती हैं। एक तो यह कि यह बहुत बड़ा है, या यह कि यह बहुत छोटा है। यदि केवल हमारे सामने के लिहाज से देखा जाय तो प्लान बहुत बड़ा है। हम ६०० करोड़ रुपये की बात करते हैं, लेकिन किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश अकेले अपने बल बूते पर ६०० करोड़ रुपये किसी तरह से नहीं निकाल सकता। यदि हमसे कोई कह दे कि हम आपको ६०० करोड़ रुपये का प्लान देते हैं, ६०० करोड़ रुपये आप दे दीजिये, तो यह ऐसी बात है कि हम नहीं कर सकते।

यदि हमारे साधनों की बात देखी जाय तो प्लान बहुत बड़ा है। जब हमने प्लान बनाया है, तो निश्चय है कि हमने उस बड़ी रकम को रखा है, जिसकी कि हम आशा करते हैं कि हमको केन्द्र से मिलेगा और हम समझते हैं कि वह हमारा हक है और हमको केन्द्र से मिलना चाहिए। यदि हमारी आवश्यकताओं की दृष्टि से देखा जाय तो प्लान छोटा है। हमारी आवश्यकतायें बहुत बड़ी हैं। और बहुत सी हमारी कमियां हैं। उन कमियों को जब हम देखते हैं तो ६०० करोड़ रुपये का प्लान कुछ भी नहीं होता। मेरा खुद का ऐसा खयाल है, गवर्नमेंट का ऐसा खयाल है कि यह प्लान छोटा है।

यह कहा जा सकता है कि जब आप प्लान बना रहे थे तो और बड़ा प्लान बनाते। लेकिन उस पर एक बन्धन है। प्लानिंग कमीशन ने सब बातों को देख कर यह निश्चय किया कि सारे देश के लिए दस हजार करोड़ का प्लान होना चाहिए। जो कुछ भी देश की आवश्यकतायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके सामने थीं, और बहुत बड़ी आवश्यकतायें देश की हैं, लेकिन अपने देश के अन्दर से, विदेशों से किसी भी प्रकार से जितना भी रुपया मिल सकता था उसको ध्यान में रखते हुए वह इस नतीजे पर पहुंचे कि इससे बड़े प्लान का बोझ यह देश उठा नहीं सकता। साढ़े दस हजार करोड़ का प्लान रखा और आपने देखा कि अभी पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने इसको मंजूर किया।

अब साढ़े दस हजार करोड़ का तो सारे देश का प्लान है। उसमें भी प्लानिंग कमीशन ने यह निश्चय किया कि करीब-करीब ३६ सौ करोड़ का प्लान प्रदेशों के सम्बन्ध में है यानी ३६ सौ करोड़ रुपया प्रदेशों के हाथ से खर्च हो। इस पर भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने अपनी मुहर लगायी। अब इस ३६ सौ करोड़ में हमारा हिस्सा जितना हो सकता था वह हमने रखा। वैसे रखने को हम चाहें जितना रख दें लेकिन व्यावहारिक बात यह है कि किसी भी हालत में हम इस बात की आशा करें कि ६ सौ करोड़ से बहुत ज्यादा हमको मिल सकेगा, यह असम्भव है। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से हम ६ सौ करोड़ रुपये की आशा करते हैं और अपना प्लान हमने उसी हिसाब से बनाया। इससे ज्यादा बनाने में एक और दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए कि हम एक बड़ा प्लान बनावें और प्लानिंग कमीशन से वह कट जाय और कट जायगा ही जब बहुत बड़ा प्लान होगा, तो उसमें बहुत कुछ काट छांट हो जाने के लिहाज से अपने प्लान में शोधन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जल्दी में शोधन करने में कुछ जरूरी चीजें छट जायेंगी। इसलिए अच्छा यही होता है कि व्यावहारिक दृष्टि से प्लान ऐसा बनाया जाय जिससे कि मंजूर होने की बहुत कुछ सम्भावना हो और जिसके लिए हम लड़ सकें, प्रेस कर सकें, दबाव डाल सकें कि इतना तो उचित है। इस दृष्टि से हमने ६०० करोड़ का प्लान बनाया है।

यह कहा जा सकता है कि हम ६०० करोड़ की बात कहते हैं, लेकिन कागज पर तो ६९३ करोड़ की बात है। इतना ही नहीं एक सप्लीमेंट्री कागज जो बंटा है उसको देखा जाय तो २४, २५ करोड़ और बढ़ जाता है। इस तरह से तो यह ७ सौ करोड़ का हो जाता है। उसकी एक वजह है। ६९३ करोड़ की बात जो हम करते हैं वह वास्तव में ६९३ करोड़ है नहीं। वह यों है कि जो प्लानिंग कमीशन ने बनाया है उसमें उन्होंने बहुत सी चीजों के लिये बांट दिया है कि इतना रुपया स्टेट सेक्टर में, इतना रुपया सेंट्रल सेक्टर में। तो जितना स्टेट सेक्टर में आया उसमें से हमने अपना हिस्सा रख लिया। कुछ चीजों में उन्होंने बांटा नहीं। मिसाल के लिए पब्लिक हेल्थ है, उसमें ३ सौ करोड़ रुपया उन्होंने लिख दिया। लेकिन इस ३ सौ करोड़ में कितना सेंट्रल सेक्टर में होगा और कितना प्रादेशिक सेक्टर में होगा यह उन्होंने अभी तय नहीं किया है। अब हमारी दिक्कत यह थी कि हम कितना अपने यहां रखते। तो हमने हिसाब में सुविधा के लिए उस ३ सौ करोड़ को प्रादेशिक सेक्टर में रख लिया और उसके बाद उसका १/६ करके अपने प्लान के अन्दर शामिल कर लिया। अब आगे चल कर इसमें से जितना निकल जायगा उसी हिसाब से हमारा कम हो जायगा। यानी कल को यह तय हो जाय कि प्रादेशिक सेक्टर में कुल जमा ६० करोड़ रहेगा। तो हमारे प्लान में ६० करोड़ की जगह १० करोड़ ही रह जायगा।

ऐसे ही हाउसिंग में है जिसमें अलग-अलग नहीं किया है, सोशल वेलफेयर में अलग-अलग नहीं किया है, कम से कम जब प्लान छपा तब नहीं किया था। इस वजह से ६९३ करोड़ की जो बात है, उसमें जब यह निश्चय हो जायगा और विभाजन हो जायगा कि स्टेट सेक्टर में कितना आता है तो उसी अनुपात से हमारा हिस्सा आप से आप कम हो जायगा और वह ६०० करोड़ के करीब पहुंच जायगा। इस ६०० करोड़ में एक बात यह है कि १५३ करोड़ की वह योजनायें हैं जो कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में शुरू हुईं और थर्ड फाइव ईयर प्लान में चलेंगी। बाकी जो ६०० करोड़ में से बचता है वह नयी योजनाओं के लिए है। १५३ करोड़ पुरानी चीजों के लिए जो कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में शुरू हुई और अभी कम्प्लीट नहीं हुई, थर्ड फाइव ईयर प्लान में चलेंगी।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज से थोड़े दिनों पहले हमने उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट के सदस्यों की एक बैठक यहां बुलायी थी और सभी सदस्यों को वे चाहे किसी पार्टी के हों, निमंत्रण दिया था। यह हमारे लिये बड़ी खुशी की बात है कि सब सदस्य तो नहीं आये—करीब ६० के आ सके थे— लेकिन प्रायः सभी पार्टियों के सदस्य वहां आये और यह भी बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो सामग्री उनके सामने रखी वह यह तो नहीं है कि जो यहां सदन में हमने प्रस्तुत की है, इसलिये कि एक तो, यह खाका उस समय तैयार नहीं था और दूसरे यह उचित भी नहीं था कि यह चीज हम उनके सामने रखते, तो हमने उनके सामने जो सामग्री रखी उसमें मोटे तौर पर अपनी कठिनाइयां थीं और हम क्या चाहते हैं यह था। सच पूछा जाय तो हमने यहां प्रस्तुत किताब के प्रथम दो चैप्टर्स में जो है, उस साहित्य को रखा। हमारे लिये बड़ी खुशी की बात है कि चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हों—उसमें जनसंघ के भी सदस्य थे, कम्युनिस्ट भी थे और प्रजा समाजसवादी पार्टी के सदस्य भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे—सभी ने हमारा समर्थन किया इस बात में कि उत्तर प्रदेश का हक है, अधिकार है कि उसको और ज्यादा सहायता मिलना चाहिये। जो हमने एक ढांचा बनाया था, आधार बनाया था सहायता का, उसका प्रायः सभी लोगों ने समर्थन किया और यह विश्वास दिलाया कि चाहे वे किसी भी दल के हों सब उसका समर्थन करेंगे और मुझे विश्वास है कि यहां भी यही बात होगी।

हम सब प्रदेश में रुचि रखते हैं। प्रदेश में शासन चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सब यह चाहते हैं कि प्रदेश सम्पन्न हो, सुखी हो और इसमें किसी को आपस में मतभेद नहीं है। मतभेद हो नहीं सकता। इसी प्रकार की सहमति हमको पार्लियामेंट के सदस्यों से भी मिली। उन्होंने कुछ गलतियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया और हम स्वयं जानते हैं कि कुछ गलतियां हैं। मिसाल के लिये हमारा सेकिंड प्लान २५३ करोड़ रुपये का था, लेकिन उसमें से २० करोड़ खर्च नहीं हो सकेगा। अभी काम नहीं हुआ, समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम अन्दाजे से जानते हैं कि करीब २० करोड़ रुपये के खर्च नहीं हो सकेगा। और यह उचित बात भी नहीं है कि २५३ करोड़ रुपये में से केवल २३३ करोड़ ही खर्च हो। बुरी बात है, लेकिन नहीं खर्च हो सका।

इसके दो तीन कारण हैं। एक कारण तो यह है कि विदेशी मुद्रा न मिलने की वजह से हमारे कितने ही कामों में बहुत देर लग गयी या कुछ रुक गये। दूसरा कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार से मंजूरी कई जिलों के लिये बहुत देर से आयी। तीसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार ने प्लान में कई बार बदलाव किये या प्लानिंग कमीशन ने बदलाव किये। एजूकेशन में भी ऐसा ही हुआ, पहले मंजूरी एक चीज की हुई और बाद में केन्द्र के विभाग ने उसे बदल दिया। एक चीज एक बार आयी और दूसरी बार दूसरी चीज आयी और उसके कारण हमको अपना प्लान बदलना पड़ा। लेकिन केवल केन्द्रीय सरकार या प्लानिंग कमीशन का ही दोष हो ऐसी बात नहीं है। हमारी तरफ से भी गलतियां हुई और उनको हम स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिये हमारे यहां किसी चीज के लिये मंजूरी देने के लिये हम सदन से उसके लिये बजट पास करते हैं और उसके बाद सेक्रेटेरियट से आज्ञा जाती है विभागों के पास कि यह काम शुरू कर दिया जाय। हमारे यहां से आज्ञा जाने में भी देर हुई और हमने उसे ठीक करने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि ऐसा आगे से नहीं होगा। लेकिन देर हुई और उसकी वजह से काम में दिक्कत पड़ी।

फिर दूसरे, विभागों में जितना अच्छा कोआर्डिनेशन होना चाहिये उतना कोआर्डिनेशन हम कायम नहीं कर सके खास तौर से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दूसरे विभागों में। और जो २० करोड़ की रकम है उसमें से अच्छा खासा हिस्सा ऐसा है कि जो इमारतों के लिये था। कई विभाग हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, इन सब को इमारतों की जरूरत पड़ती है। उनके लिये रुपया रख दिया गया था और हुआ यह कि या तो नक्शे नहीं बने या पहले से जमीन का प्रबन्ध नहीं हो सका। इस तरह के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से इमारतें नहीं बन

सकी और रुपया लैप्स हो गया। और भी कारण हैं रुपया लैप्स हो जाने के, लेकिन एक कारण यह भी है कि जितना कोआर्डिनेशन होना चाहिये विभागों में, उनको मिल कर जिस तरह से काम करना चाहिये था, दोनों को पैरलेल होना चाहिये था, वह हम नहीं कर सके। इसमें हमारी गलती है, हमारे दफ्तरों की गलती है, हम मिनिस्टर लोगों की भी गलती है, हम इसको मानते हैं और इसको दुरुस्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा प्रोसीजर है, वह भी अच्छा हो, उसमें सुधार हो, इसके लिये भी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। जो गलती है, उसको हम स्वीकार करते हैं, और उसको स्वीकार करने में कोई शर्म की बात भी नहीं होनी चाहिये। मैं यह आशा करता हूं कि आप लोगों की जानकारी में भी जो प्रोसीजरल गलतियां होंगी, उनको आप हमें बतायेंगे ताकि उससे हम कुछ फायदा उठा सकें और उनको दूर कर सकें।

एक चीज और है जिसका जिक्र मैंने पार्लियामेंट के सदस्यों के सामने भी किया था और आज आपके सामने भी करता हूं। वह चीज यह है कि जो हम ६०० करोड़ की बात करते हैं यह सच पूछिये तो एक मिनिमम है। यही नहीं यह ६०० करोड़ की रकम इतनी मिनिमम है जिसमें कुछ भी कमी होने से हमारा काफी नुकसान हो सकता है और हमारे बहुत से काम रुक सकते हैं।

अभी थोड़े दिन हुए, आपने देखा होगा, हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक प्रश्न पूछा था कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में इन्डस्ट्रीज बढ़ी, उनसे काफी देश का रुपया लोगों के हाथ में आया, तो जो रुपया आया वह कहां गया? इसकी जांच पड़ताल होगी कि जिन लोगों के पास बड़ी-बड़ी रकमें गयीं उसका क्या हुआ? इसका उत्तर तो मैं जानता नहीं, लेकिन जहां तक एक साधारण व्यक्ति की बात है उसके बारे में मैं जरूर कह सकता हूं। किसी भी चीज की ठीक प्रकार से तस्वीर खींचे बिना हमें उसकी पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती, किसी भी रोग की तस्वीर खींचे बिना उस रोग का सही तरीके से निदान नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे काश्तकार की हालत कुछ जरूर अच्छी हुई है। इस तरफ से आंख बन्द कर लेने से कोई फायदा नहीं है। पहले के मुकाबले उसकी आज हालत जरूर अच्छी है। आज वह कपड़े भी अच्छे पहनने की कोशिश करता है, खाना भी खाता है, पक्के मकान बनाने की भी कोशिश करता है।

अब एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर जब सचमुच काश्तकार की हालत अच्छी है पहले से, तो फिर वह रुपये का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता। अगर आमदनी को बढ़ाना है तो वह बिना इन्वेस्टमेंट के तो बढ़ नहीं सकती। अगर हमारे मामूली आदमी की हालत अच्छी है तो फिर रुपये का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी। इसके साथ-साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारा देश अन्डर डेवलप्ड कन्ट्री है और जितने भी अन्डर डेवलप्ड कन्ट्रीज हैं उनमें भी यह चीज देखने को मिलेगी कि जो एक मामूली आदमी है, जो बहुत दिनों से नंगा-भूखा रहा है, अगर उसके पास कुछ पैसा आता है तो पहले वह उस पैसे से अपना पेट भरेगा, अच्छा खाना खायेगा, कपड़ा पहनेगा और जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करेगा। वह कभी उस रुपये को बचा कर बैंक में नहीं रखेगा। वह उस पैसे को पहले अपने ऊपर खर्च करेगा उसे अल्पबचत योजना में नहीं जमा करेगा, न उसे सरकारी ऋण में देगा। हर अन्डर डेवलप्ड कन्ट्री में जो व्यक्ति भूखा रहा है वह पहले अपने खाने पर पैसे को खर्च करेगा, जो नंगा रहा है, वह कपड़ों पर खर्च करेगा, जो फटे, चिथड़े कपड़े पहनता रहा है, वह पहले कपड़ों पर खर्च करेगा और अच्छे कपड़े पहनेगा, जो गन्दे मकान में रहा है, वह साफ मकान में रहने की कोशिश करेगा।

यही प्रत्येक व्यक्ति की बात है, प्रत्येक समाज की बात है, प्रत्येक अन्डर डेवलप्ड कन्ट्री की बात है। अगर थोड़ा बहुत पैसा उनके पास आता है तो पहले वह नैसेसीटीज आफ लाइफ (necesities of life) पर खर्च होता है। जिन चीजों से वह वंचित रहा है, पहले वह उस पर खर्च करता है। वह खुद इनवेस्ट नहीं कर सकता और उसके लिये एक ही

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उपाय है कि उनके लिये गवर्नमेंट इनवेस्ट करे। गवर्नमेंट को उनके लिये इनवेस्ट करना होगा। गवर्नमेंट को पूंजी लगानी होगी, रुपया इनवेस्ट करना होगा ताकि उनकी हालत अच्छी हो, इतना पैसा उनके पास बच सके कि वे अपनी रोजाना की आवश्यकताओं को पूरा करके कुछ पैसा इनवेस्ट कर सकें। इसीलिये हम कहते हैं कि ६०० करोड़ की जो रकम है वह मिनिमम है। और प्रदेश भी हैं और उनकी भी आमदनी है। आल इंडिया इनकम का जो एवरेज है वह किताबों में दिया हुआ है, मैं उसको कहने की जरूरत नहीं समझता, वह उसमें देखा जा सकता है। उनकी बराबरी करना तो दूर रहा, हम जहां पर थे उससे कुछ ही आगे बढ़ सके होंगे। इसलिये गवर्नमेंट को रुपया इनवेस्ट करना होगा और जब तक वह काफी मात्रा में नहीं करेगी तब तक लोग इस लायक नहीं हो सकते कि उनकी हालत बढ़ सके। इसलिए हम जोर देते हैं कि हमारे लिए इरिडक्यूसिबिल मिनिमम है ६०० करोड़ रुपये का।

अब हम अन्न की बात कहते हैं। अन्न की बात कहते वक्त हमको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। जो इसके विद्वान हैं उनकी राय है कि हमारी जनसंख्या २ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इसके मानी यह हैं कि तीसरे प्लान का समय होते होते हमारे प्रदेश की आबादी ८ करोड़ से कुछ ऊपर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि ५ वर्ष के बाद ६, सवा छै करोड़ का नहीं बल्कि हमें ८ करोड़ आदमियों का पेट भरना है और कई तरीके से भरना है। हमारे यहां एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो निरामिष भोजी हैं, जो मांस नहीं खाते या बहुत थोड़ा खाते हैं। उनके लिए वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स—दूध या उससे निकली हुई चीजों—का प्रबन्ध करना है और मांस भोजियों के लिए चाहे मछली या दूसरे अन्न के अतिरिक्त चीजों का प्रबन्ध करना है, क्योंकि हमारा देश विशेष रूप से अन्न खाने वाला है। यूरोप में अन्न लोग कम खाते हैं। कई देशों में रोटी का दाम ही नहीं लेते, इसलिए कि रोटी नाममात्र के लिए खाते हैं। हमारे यहां मांस खाने वालों का भी मुख्य खाना अन्न है। तो अन्न तो है ही, हमें और चीजों की भी वृद्धि करनी है। अन्न की जब हम बात करते हैं, तो कितने ही लोगों के लिये हमें अन्न का प्रबन्ध करना है।

स्कूलों की बात तो आपने देखी ही है। हमारे यहां जितने स्कूल होने चाहिए उतने नहीं हैं। जितने लड़कों को पढ़ना चाहिए उतने नहीं हैं और लड़कियों की संख्या तो बहुत कम है।

चिकित्सालय की बात यह है कि जितने अस्पताल और डाक्टर होने चाहिए उतने नहीं हैं और हर क्षेत्र में, जिस किसी क्षेत्र में आप निगाह डालें तो कमी ही कमी है। और जिस किसी समाज में इन चीजों की कमी की पूर्ति नहीं होती तो चाहे संस्कृति या गाना बजाना कितना ही आगे बढ़े, थोड़े दिनों में इन चीजों को भी रक्षा हम नहीं कर सकते। सांस्कृतिक बातों की रक्षा के लिए भी भौतिक चीजों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए इन कमियों को पूरा करना होगा।

हमारे देश में इस वक्त खेती पर जो लोग आश्रित हैं उनका परसेन्टेज ६९.८ है। किसी भी अच्छे सम्पन्न देश के लिये ५० परसेन्ट भी काफी होता है, ५० और ६० प्रतिशत तो होना ही चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में खेती पर आश्रित लोगों की संख्या ७४ प्रतिशत है और पूर्व में तो ८२ प्रतिशत है। अब आप सोचिये कि जब इतने आदमी जमीन के ऊपर आश्रित हैं तो वहां कैसे उन्नति होगी। कैसे तरक्की हो सकेगी? खेती के जरिये से कितना ही पैदा किया जाय, हमारा देश रूस, आस्ट्रेलिया और कनेडा की तरह से नहीं है जहां आबादी थोड़ी और जमीन बहुत ज्यादा है। वहां ट्रैक्टर से या किसी तरह से खेती की जाय लेकिन यहां तो फालतू जमीन नहीं है। यहां हम खेती के अच्छे तरीके निकाल सकते हैं, रुपया खर्च कर सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, इरिगेशन का इन्तजाम कर सकते हैं, लेकिन इन सब लोगों को अकेले खेती से कभी भी सम्पन्न नहीं बना सकते।

लोगों के लिये उद्योग चाहिये—बड़े उद्योग भी और छोटे उद्योग भी। बड़े उद्योगों से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। बेरोजगारी दूर करने के लिये छोटे उद्योग भी चाहिये। बड़े उद्योग कुछ चीजों को बनाते हैं, उनके बनाने से करोड़ों रुपये जो हम विदेशों में खर्च करते हैं उसका विदेश में जाना बन्द होता है। कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। एक रोजगार के चारों तरफ कई छोटे-छोटे रोजगार फैल जाते हैं। लेकिन बेरोजगारी की जहां तक बात है, बहुत बड़े पैमाने पर छोटे रोजगार हम को चाहिये।

छोटे रोजगार के लिये दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो सड़कों की दूसरी बिजली की। देहातों में सामान पहुंचाने के लिये चाहे वह खाद हो या कोई दूसरी चीज हो और देहात का सामान बाहर लाने के लिये ताकि आसानी से बिक सके और उसका मूल्य अच्छा मिल सके और छोटे उद्योगों के जरिये से बना माल बाहर पहुंचाने के लिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप देखें कि जहां कई प्रदेशों में विद्युत की परसेन्टेज, मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई वहां उत्तर प्रदेश में करीब-करीब वह उतनी की उतनी ही रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले जितनी बिजली थी उतनी ही बाद को भी रही। कोई छिपी बात नहीं है, आपको मालूम होगा कि हमारे यहां एक स्कीम तैयार की गई थी जो कि हमारे यहां की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, रिहन्द डैम (बिजली योजना) उसको प्लान कोर में जगह नहीं दी गई थी यानी वह प्लान की आवश्यक अंग नहीं बनाई गई थी। उसके लिये हमको बहुत काफी लड़ाई लड़नी पड़ी, कई तरह की लड़ाई, तब कहीं जाकर रिहन्द डैम को उसमें जगह मिली। यह उत्तर प्रदेश की दिक्कत थी। बहरहाल अगर हमको अपने यहां के लोगों को रोजगार देना है खेती से उन को हटाना है, यानी जमीन पर एक प्रकार से जो बोझ हैं उनको हटाना है, तो छोटे रोजगारों की जरूरत होगी और उनके लिये बिजली की जरूरत होगी। इसी से आप देखेंगे कि प्लान में हमने किन चीजों पर ज्यादा जोर दिया है। हमने कृषि पर सबसे अधिक जोर दिया है। इसके लिये हमने २८३ करोड़ रुपया रखा है, डिस्मल्स को हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से हमने बिजली और उद्योगों के लिये २०९ करोड़ रुपया रखा है। हमने यातायात के लिये साढ़े ४६ करोड़ रुपया रखा है। इसी दृष्टि से हमने उद्योग, बिजली, सड़क खेती, इन चीजों के लिये सबसे ज्यादा धन रखा है। खेती से मतलब है एनिमल हस्बेंडरी वगैरह सभी कुछ क्योंकि यह सब मिली-जुली चीजें हैं। इससे अन्दाजा होगा कि हमको किन चीजों की सब से ज्यादा जरूरत है जिन्हें हमने प्लान में रखने की कोशिश की है।

कभी-कभी एक बात की यह शिकायत होती है कि उत्तर प्रदेश के लिये हम बहुत ज्यादा रुपये की मांग करते हैं। दूसरे यह भी शिकायत होती है कि हम आबादी का जिक्र करते हैं। हम कहते हैं कि पापुलेशन की बेसिस पर हमको रुपया मिलना चाहिये, उस की शिकायत होती है। दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी कुछ ऐसे समाचार-पत्र जिनको कि ज्यादा ज्ञान होना चाहिये उनकी तरफ से भी ऐसी शिकायत होती है, यह अफसोस की बात है। एक बात की मुझ को जरूर खुशी है कि जबसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस तरफ जोर देना शुरू किया और पार्लियामेन्ट के मेम्बरों की मीटिंग हुई तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग कमीशन के दरबार में इसका असर हुआ और कुछ न कुछ ध्यान इस तरफ दिया जाता है। जब उत्तर प्रदेश को देने की बात होती है तो वह यह देखते हैं कि कहीं पापुलेशन बेसिस के हिसाब से बहुत फर्क तो नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब हम रुपये की मांग करते हैं तो हम कोई भिक्षा नहीं मांगते, खैरात देने की बात नहीं करते। आज इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, करीब-करीब सात करोड़ की हमारी आबादी है। अगर यह प्रदेश आज स्वतन्त्र देश होता तो हमारी आमदनी के जरिये बहुत से होते। वह जरिये आज हमारे पास नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार के पास हैं। मिसाल के लिये कस्टम को ले लीजिये। यह एक ऐसा जरिया है जो केन्द्रीय सरकार के पास है। उस रुपये में से अगर हमको कुछ मिलता है तो वह हमारा उचित हक है, हमारा जायज

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हक है, कोई भिक्षा या खैरात की बात नहीं है। देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की यह एक ऐसा बिजिनेस है जिसमें केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार दोनों शरीक हैं, कुछ वह करते हैं कुछ हम करते हैं। सम्मिलित आमदनी में हमारा जो हक है उसको हम मांगते हैं। ऐसा अगर न किया जाय तो उसका क्या परिणाम होगा? परिणाम यह होगा कि इतना बड़ा प्रदेश जिसमें देश का छठा हिस्सा रहता हो पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जायगा। पांच वर्षों में इस देश के दूसरे प्रदेशों में तो और तरक्की हो जायगी और उसका परिणाम होगा कि हम और भी पीछे हो जायेंगे। आखिर इस बात को कौन पसन्द करेगा कि हमारे देश का इतना बड़ा टुकड़ा अनडेवलप्ड रह जाय, अविकसित रह जाय, इसे कोई पसन्द नहीं करेगा। यहां पर बार-बार हम स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके, बुन्देलखंड और पूर्वी जिले जो बैकवर्ड हैं, उनके लिये हम बार-बार कहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह सबके बराबर आवें। इसी तर्क से हम यह भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई टुकड़ा भी पीछे नहीं रहना चाहिये, नहीं तो वह गिरा हुआ टुकड़ा सारे हिस्से को पीछे खींच लेगा।

जब हम आबादी की बात करते हैं तो हम यह नहीं कहते कि ठीक अरियमैटिक के हिसाब से रुपया, आना और पाई हमारी आबादी के हिसाब से दिया जाय। हम यह भी नहीं कह सकते कि चूंकि हमारी आबादी १७.५ परसेन्ट है तो प्लानिंग कमीशन के रुपये का ठीक हमको १७.५ परसेन्ट दिया जाय। हम जानते हैं कि और प्रदेश बहुत पिछड़े हुये हैं। उनको ज्यादा मिलना चाहिये। लेकिन आबादी की एक अच्छी कसौटी है। और प्रदेशों को उनकी आबादी के लिहाज से न तो बहुत ज्यादा और न बहुत कम होना चाहिये। किन्हीं प्रदेशों को जितना आबादी के लिहाज से मिलना चाहिये, उससे कहीं ज्यादा मिला है। हम उनकी तरक्की से बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन साथ ही हमारी तरक्की न करना सारे देश के लिये हानिकारक होगा। बाज प्रदेश यह कहते हैं कि हम ज्यादा रुपया सेन्टर को देते हैं। मिसाल के लिये बम्बई कह सकता है कि हम इनकम-टैक्स में बहुत रुपया देते हैं। वह कह सकते हैं कि उनको ज्यादा ही मिलना चाहिये। उसके लिये हमारा जवाब है कि अगर बम्बई के बड़े-बड़े कारखाने जो माल तैयार करते हैं वह सारा का सारा माल बम्बई के प्रदेश में बिक जाय तो हमको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो माल वे तैयार करते हैं वह सारे ही देश में बिकता है। हैड आफिस या कारखाना उनका बम्बई में रहा हो, लेकिन अगर माल उत्तर प्रदेश में भी बिकता है, तो यह मानना होगा कि उत्तर प्रदेश के आदमी के खरीदने से बम्बई के आदमी की आमदनी बढ़ती है और वह इनकम टैक्स देता है। रुपया आया कहां से? कितना बंगाल ने दिया, कितना बिहार ने दिया, कितना उत्तर प्रदेश ने दिया, इस सबकी एक मोटी सी कसौटी आबादी है। आबादी के हिसाब से बने हुये सामान की खपत होती है।

इसी सदन में, मान्यवर, एक दिन प्राइस पालिसी की बात आई। दो शब्द उसके सम्बन्ध में मैं कहना जरूरी समझता हूं। प्लान में यह बहुत जरूरी है कि कीमतों में अधिक अन्तर या व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये। मसलन, अन्न बहुत महंगा हो गया, तो काम करने वालों को, मजदूरों को या सरकारी कर्मचारियों को महंगा मिलेगा। सरकारी काम करने वालों की महंगाई भत्ता ज्यादा देना होगा, इन सब बातों से प्लान में फर्क आता है। कुछ सामान ऐसा है जो लग्जरी का है जैसे मोटरकार, कितने आदमी ऐसे हैं जो मोटरकार खरीदते हैं? उसकी कीमत बढ़ती है तो बढ़ जाय, उससे कोई असर प्लान पर नहीं पड़ता है। लेकिन कपड़ा और अन्न जैसी चीजों के दामों में बहुत ज्यादा व्यति-क्रम नहीं होना चाहिये। उसके लिये किया क्या जाय? अगर काश्तकारों की मार्केटिंग सोसाइटीज बनती हैं और दूसरी तरफ कनज्यूमर्स की, गल्ला खरीदने वालों की बनती है, तो बीच वाला जो दाम बढ़ा देता है वह नहीं बढ़ेगा। इससे कीमतें कुछ कन्ट्रोल में आ सकती हैं। केन्द्रीय सरकार की कोशिश

से कपड़े की कीमत कुछ घटाई भी जा रही है। लेकिन अगर अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ता है तो चोरबाजारी भी होगी और कीमतें भी बढ़ेंगी। हमारी सबकी कोशिश यही होनी चाहिये कि अन्न का उत्पादन पूरे तौर से बढ़े। इसकी तरफ हमको विशेष रूप से ध्यान देना है।

कई चीजें और हैं जिनके लिये हम प्लानिंग कमीशन से बातें कर रहे हैं। हमारे प्लान में एक बड़ी भारी कमी यह होती है कि जिस समय प्लान बनता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को कितनी-कितनी आमदनी किन-किन जरियों से होगी, हम भरसक कोशिश करते हैं कि इसे आंक लें और लिख लें, लेकिन जैसे गृहस्थी में बहुत सी बातें पहले से नहीं मालूम होती हैं वैसे ही राज्य में होता है कि बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो पहले से नहीं मालूम हो सकते। जैसे अभी छत्तर मन्जिल की इमारत गिर गई। हमारे प्रदेश में सैकड़ों वर्ष पुरानी बहुत सी ऐसी इमारतें हैं कि अगर वे गिर जावें तो क्या हो? ये बातें प्लान में नहीं आ सकती हैं। तो इससे प्रादेशिक सरकारों को बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे नान-प्लान्ड आइटम्स के लिये भी कुछ रुपया होना चाहिये।

एक दूसरी बात और है। मैं आशा करता हूं कि उसमें भी आप मेरा समर्थन करेंगे। मैंने अभी बताया था कि २० करोड़ रुपये के लगभग हम खर्च नहीं कर सकेंगे और उसके कुछ कारण भी बतलाये। एक और बड़ा कारण रुपया लैप्स होने का यह है कि प्लान बनने और शुरू होने के बाद यदि कुछ दिन के अनुभव से हमको यह मालूम होता है कि हम किसी विभाग में उसका पूरा रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे तो इस समय हम उसे दूसरे विभाग में काम में नहीं ला सकते हैं जिसमें कि जरूरत है। मान लीजिये शिक्षा विभाग की इमारतों के लिये कुछ रुपया रखा गया था और इमारती सामान नहीं मिल रहा है। तो वह रुपया किसी दूसरे विभाग में काम में लाया जा सके, इसके लिये भी हम प्लानिंग कमीशन से खास-तौर से, और केन्द्रीय सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्लान इतना रिजिड या कड़ा नहीं बनाना चाहिये बल्कि प्रादेशिक सरकारों को अधिकार होना चाहिये कि आवश्यकता देख कर, २, ३ वर्ष के अनुभव के आधार पर, हम किसी रुपये को दूसरी मद में खर्च करना चाहें तो कर सकें ताकि जरूरी काम हो सकें, और रुपया लैप्स न हो।

इस सम्बन्ध में यह भी सवाल हो सकता है कि ६०० करोड़ रुपया प्लानिंग के लिये आवेगा कहां से? यह बात असम्भव है कि हम उत्तर प्रदेश में इतना रुपया जमा कर सकते हैं। साथ ही हम यह भी आशा नहीं कर सकते हैं कि सारा का सारा रुपया केंद्रीय सरकार हमको दे देगी। कुछ हम देंगे और कुछ केन्द्रीय सरकार देगी। मैं फिर कहता हूं कि हम खैरात नहीं चाहते हैं। यदि हम अपने प्रदेश को उन्नत करना चाहते हैं तो हमें त्याग के लिये तैयार रहना होगा, हमें कमर कसनी होगी और बोझा उठाना होगा। अभी आपने नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल के बारे में पढ़ा होगा। हमसे पूछा जाता है कि हम कितना रुपया खर्च करने के लिये तैयार हैं। हम उसका जवाब नहीं दे सकते। पहले हमको यह मालूम होना चाहिये कि केन्द्र से कितना रुपया मिल सकता है, तभी हम बता सकते हैं कि हम कितनी हिम्मत कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी अकेले गवर्नमेन्ट की ही नहीं है। आगे यदि बढ़ना है तो हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश की जनता को इस बात के लिये तैयार करना होगा कि तरक्की के लिये कुछ त्याग करे। कुछ कष्ट सहने को तैयार हो, अपनी कमर कसने को तैयार हो, वगैर इसके जो तरक्की हम चाहते हैं वह तरक्की नहीं हो सकती। कभी-कभी ऐसा पढ़ने में आता है कि उत्तर प्रदेश की हालत ग्रिम है, आशाजनक नहीं है। लेकिन इसमें निराशा की कोई बात नहीं है, हमारी कोई खराब हालत नहीं है। न तो हमारी प्लानिंग कमीशन से कोई लड़ाई है, न केन्द्रीय सरकार से हमारी कोई लड़ाई है न प्लानिंग कमीशन से हमारी शत्रुता है और न केन्द्रीय सरकार से हमारी शत्रुता है। हम और वह सब मिल कर सूबे की तरक्की करना चाहते हैं। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि वे हमारी कठिनाइयों को समझेंगे तथा हमारे अधिकारों को देखकर रुपये पैसे

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

से हमारी मदद करेंगे। लेकिन फिर भी हमें यह याद रखना है कि हम और आप मिलकर एक दूसरे के सहयोग से ही अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे हमारे कितने ही मत-भेद हों लेकिन इस काम में जब तक हम और आप एक विचार के हैं, जब तक हमें एक दूसरे का सहयोग प्राप्त है, उत्तर प्रदेश की पुण्य-भूमि अन्धेरे में नहीं मालूम पड़ती। इन शब्दों के साथ जो हमने योजना का खाका बनाया है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, पिछड़े हुये देशों को विकसित करने के लिये उनको समृद्धशाली और गौरवशाली बनाने के लिये, यह आवश्यकता होती है कि एक व्यवस्थित आर्थिक नीति को और व्यवस्थित ढंग से योजना बनाकर संचालित करने की। मान्यवर, अपने प्रदेश में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई है और अब दूसरी पंच-वर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है और आज हम सब लोग इस आदरणीय सदन में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार कर रहे हैं। यह दिन न केवल आदरणीय सदन के लिये बल्कि प्रदेश की कोटि-कोटि जनता के लिये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है।

हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करते समय, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलताओं और असफलताओं पर भी विचार करना पड़ेगा, उन सफलताओं और असफलताओं से प्राप्त हुये परिणामों पर भी विचार करना होगा। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चित्र को अपने सामने रखेंगे तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं, उसको सही-सही तैयार कर पायेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को यदि हम देखें तो मैं निःसंकोच और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें असफल रही हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में ५०-५१ में प्रतिव्यक्ति आय २५८·२६ रुपया थी और ५८-५९ में प्रति-व्यक्ति २५९.०२ रुपया थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ५०-५१ में और ५८-५९ में हमारी प्रगति लगभग नहीं के बराबर हुई। इसी बात को यदि मुख्य मन्त्री जी के शब्दों में कहूं तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि ५०-५१ में हमारी जो आय थी वही ५८-५९ में रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे राज्य की औसत आमदनी १३.८ प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय आमदनी ३२.१ प्रतिशत बढ़ी है। इसका कारण बताते हुये कि हम राष्ट्रीय आमदनी के साथ-साथ अपने प्रदेश की आमदनी को क्यों नहीं बढ़ा सके हैं उन्होंने कहा कि यह इसलिये हुआ चूंकि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण नहीं हुआ इसलिये और प्रदेशों और देश की अपेक्षा हम आगे बढ़ने में पीछे रहे हैं।

(इस समय १ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये।)

मैं इसी तथ्य के अनुसार यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जो पर कैपिटा आमदनी बतलाई जाती है, वह भी भ्रमपूर्ण है। अगर आप कहें कि औद्योगिक क्षेत्र के प्रदेशों की आमदनी ज्यादा है, तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे प्रदेश के भी उन व्यक्तियों की जो कि साधन सम्पन्न हैं, अच्छी जगहों पर हैं, पूंजीपति हैं, उनकी आमदनी ज्यादा हुई है, लेकिन जनसाधारण की आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसलिये हमको तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि अब उसकी तरक्की हो रही है और हमारा उनका जीवन सुधरने जा रहा है।

श्रीमन, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और जैसा कि अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बतलाया कि हमारे यहां लगभग ७४ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। इतना ज्यादा लोगों का खेती के ऊपर निर्भर रहना और साथ ही अपने प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को अच्छे ढंग पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलाये जाना एक कठिन बात है। इसलिये हमें दूसरी तरह के साधनों पर और अपनी आमदनी के दूसरी तरह के स्रोतों पर विचार करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां हम अपने प्रदेश के कृषि उत्पादन को बढ़ावें वहां औद्योगीकरण की ओर भी ध्यान दें। मान्यवर, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है उसमें भी हम सारे प्रदेशों से पीछे हैं। हमारे यहां गेहूं का प्रोडक्शन साढ़े ८ मन फी एकड़ रहा है, उसको बढ़ाने के लिये जो चेष्टा की गई है उसमें हम असफल रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब टार्गेट तय करते हैं तो सारे प्रदेश भर का तय करते हैं। हमें टार्गेट तय करना चाहिये फी एकड़ का और उसका उत्तरदायित्व किसानों के ऊपर छोड़ना चाहिये कि तुमको फी एकड़ इतना अन्न पैदा करना है और उनको इस तरह के साधन मुहइया करने चाहिये जिससे कि फी एकड़ जितना टार्गेट निश्चित किया जाय उतनी पैदावार बढ़ा सकें। हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि हमारे पास जितनी जमीन है उसी में इंटेसिव तरीके से मेहनत और परिश्रम करके अन्न के उत्पादन को आगे बढ़ा सकें। खेती सम्बन्धी तमाम सुविधायें प्रदान करने के लिये आवश्यक है कि उन तमाम बातों को इस तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाय।

मान्यवर, जहां कृषि की बात है, वहीं पर औद्योगीकरण की भी बात है। अगर इस प्रदेश को उद्योग-धंधों में पीछे रखा गया तो जिस तरह बेकारी का रूप बढ़ता जा रहा है उसकी विभीषिका का सामना हम नहीं कर सकेंगे। इसलिये आवश्यकता है कि यहां औद्योगीकरण किया जाय। जो प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, मुझे बड़ा दुख है कि औद्योगीकरण का कोई प्राविधान किसी विशेष क्षेत्र के लिये मुझे देखने को नहीं मिला है, जो रखा गया हो। मुझे केवल यह बतलाया गया है कि जो राजकीय उद्योग का प्राविधान पहले से है, उनमें केवल एक्सटेंशन की बात है यानी चुर्क सीमेंट फैक्टरी और प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी लखनऊ को ही कुछ बढ़ाया जायगा। इसके अलावा और कोई राजकीय संस्थान बनाने की बात नहीं कही गयी है। बड़े दुख की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र में हम ५ साल तक उसी स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति में हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी कोई ऐसा संकेत नहीं किया गया है कि कोई कल कारखाना हमारे प्रदेश में खुलने वाला है। जो लोग निजी क्षेत्र में पूंजी लगाना चाहते हैं, या जो लोग कल-कारखाने खोलना चाहते हैं, आवश्यकता इस बात की थी कि इस योजना के प्रारूप में इस बात का स्पष्ट रूप में संकेत किया जाता कि जो लोग अपनी पूंजी इनवेस्ट करना चाहते हैं और जो लोग कल कारखाने खोलना चाहते हैं उनको सरकार किस प्रकार की सुविधायें प्रदान करेगी और उनकी किस तरह से सहायता करेगी।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को एक चीज और बतला दूं कि मेरी जानकारी है कि बहुत से लोग कल-कारखाने खोलना चाहते हैं आप जानते होंगे कि पंजाब प्रदेश के लुधियाना में नीटिंग की तमाम फैक्टरीज लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग इस तरह की फैक्टरी स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की ओर से उसको कोई सहायता नहीं की जा रही है इसलिये वह फैक्टरियां स्थापित नहीं की जा रही हैं। इस प्रारूप में, निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किये जा रहे हैं, उनकी संभावनाओं तक का जिक्र नहीं है। मान्यवर, इस तरह से अगर औद्योगिक क्षेत्र की उपेक्षा की गई तो न तो पूंजी का विकास होगा न बेकारी की समस्या हल होगी, और न जो लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम मिल सकेगा।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में दो मुख्य उद्योग-धंधे हैं। एक टैक्सटाइल और दूसरा शक्कर। टैक्सटाइल में दिन प्रति दिन गिरावट आती जा रही है। जो माल हमारे यहां बनता है उसकी खपत जिस रूप में होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। हर साल एक दिन ऐसा जरूर इस सदन में विचार करने के लिये होता है और सवालों के जरिये से जानकारी होती है कि हजारों गांठे कपड़ा मिलों में स्टाक रहती है और बिक्री नहीं होती है। उसका कारण यह है कि टैक्सटाइल मिलों की हालत खराब है। उनको सुधारने के लिये, नये ढंग के यंत्र लगाने के लिये और उनकी हालत अच्छी बनाने के लिये कोई व्यवस्था प्रारूप में नहीं की गई है।

[श्री भगवती सिंह बिशारद]

इसी तरह से शुगर मिल्स की हालत भी खराब है । उत्तर प्रदेश में शुगर की रिकवरी १० प्रतिशत है जब कि बिहार में ११ प्रतिशत और दक्षिण में ११.५ से १२ प्रतिशत तक है । तो हम रिकवरी में भी पीछे हैं । खेती में भी हमारे यहां पर एकड़ ३७५ मन गन्ना होता है जब कि दक्षिण में हजार मन तक पैदा होता है । क्या कारण है ? कारण यह है कि हमारे यहां ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में सिंचाई के साधन नहीं हैं । १० वर्ष पहले हमारे प्रदेश की शुगर की सप्लाई लगभग ६० प्रतिशत थी जो घटते-घटते ४० या ४७ प्रतिशत के करीब आ गई है । इसका क्या कारण है ? इस पर भी विचार करने के लिये आवश्यकता थी कि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट की या किसी कमेटी की योजना रखी जाती ।

जहां बड़े उद्योग-धंधे हैं वहीं छोटे भी हैं । लेकिन इन छोटे उद्योग-धंधों के संचालन की ओर सरकार ने प्रारूप में जो योजना निश्चित की है वह निराशाजनक है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग गुड़ का उद्योग है । सारे प्रदेश के लोग जहां पर कि ईख और गन्ना होता है इसकी कमाई से अपना जीविकोपार्जन करते हैं । लेकिन खंडसारी और शुगर की जो स्थिति चली है उससे हर क्षेत्र में धीरे-धीरे उसकी व्यवस्था कम होती जा रही है । आवश्यकता इस बात की है कि गुड़ उद्योग को सहायता दी जाय और जिस तरह से पहले गुड़ का उद्योग चलता था उसको कायम रखा जाय । शुगर में हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं और गुड़ का उद्योग भी नष्ट हो रहा है, इस तरह से हम ग्रामोद्योग में भी पिछड़ते जा रहे हैं ।

लघु उद्योग और ग्रामोद्योग के सिलसिले में इस प्रारूप में लगभग २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमें बताया गया है कि २५ करोड़ रुपया इंवेस्ट होगा तो उसमें १ लाख २५ हजार ८०० व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और ४ लाख ६२ हजार ५०० व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से काम में लगाया जाएगा । इस प्रकार से २५ करोड़ की पूंजी को देखें तो मालूम होगा कि २ हजार रुपया प्रति व्यक्ति इंवेस्ट करने से एक आदमी को काम मिलेगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह इंवेस्टमेंट १,५०० रुपया का था । १,५०० रुपया इंवेस्टमेंट होने पर एक आदमी को काम मिलता था । अब यह १,५०० से २ हजार हो गया । यह इस बात का द्योतक है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश में मूल्यों में वृद्धि होगी । जहां १,५०० रुपया लगने से एक आदमी को काम मिलता था वहां इस योजना में २ हजार रुपया लगने से एक व्यक्ति को काम मिलेगा । यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश में मूल्यों में वृद्धि होगी । लेकिन इस प्रारूप में सरकार ने इस बात का कोई संकेत नहीं किया कि इसकी रोक-थाम के लिये वह क्या करेगी । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह योजनाकाल में मूल्यों की वृद्धि को रोके । रोके ही नहीं बल्कि उनको कम करे अगर लोगों को ज्यादा दाम देकर ही चीजें मिलीं तो यह निश्चित है कि न तो हमारा उत्पादन बढ़ा है और न लोगों की आमदनी में ही कुछ इजाफ़ा हुआ है ।

मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री जी ने प्राइस पालिसी की बात संकेत रूप में कही । लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी नीति क्या होगी । मेरा सुझाव है कि अगर प्राइस पालिसी की कोई बात करते हैं तो उनको यह भी स्वीकार करना चाहिये कि प्राइस पैरिटी करेंगे । गांव में जो चीजें पैदा होती हैं और जो औद्योगिक कारखानों में चीजें पैदा होती हैं उनके मूल्यों में किसी न किसी तरह की समानता रहनी चाहिये । आज गांव का किसान चाहे जितना गेहूं पैदा करे, लेकिन जब वह अपनी आवश्यकता की मिलों द्वारा बनी हुई चीजें खरीदने जाता है तो उसमें उसका सारा श्रम चला जाता है, वह चीजें उसको महंगी मिलती हैं । उसकी सारी उपज उनके हाथों में चली जाती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार को प्राइस पालिसी निश्चित करते समय प्राइस पैरिटी का भी ध्यान रखना चाहिये ।

मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खेतिहर और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या दी गई संख्या के अनुसार करीब ३१ लाख हो जायगी । इस योजना में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि वह कितने आदमियों को काम दे सकेंगे । दो योजनायें समाप्त हो गई हैं । तीसरी योजना शुरू होगी, लेकिन यह नहीं बता सके हैं कि कितने लोगों को काम दिया गया और जब ३१ लाख आदमी बेकार होगा तो उसको कहां खपायेंगे ?

मान्यवर, लेबर वेलफ़ेयर के सिलसिले में १,३४,००,००० रुपये खर्च होंगे यह बताया गया है । वह भी ५ साल में खर्च होंगे । अगर इसका हिसाब लगावें तो करीब २,५०,००० रु० हर महीने प्रदेश में लेबर वेलफ़ेयर में तृतीय योजना में खर्च होंगे और इसको अगर हर मजदूर में बांटें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इसका खर्चा १ नये पैसे से भी कम हर मजदूर पर पड़ेगा और इसमें वही मजदूर शामिल हैं जो मिलों में काम करते हैं, दूसरी जगह के नहीं। इसलिये मैं कहूंगा कि मजदूर बस्तियों पर लेबर वेलफ़ेयर के सिलसिले में जो बताया गया उसमें कुछ इजाफ़ा होना चाहिये। मजदूर बस्तियों में प्ले ग्राउन्ड सेन्टर्स बच्चों के लिये तथा आदमियों के लिये होने चाहिये। इसके साथ-साथ उन मजदूर बस्तिओं में १, २ घर इस तरह के अवश्य बनने चाहिये जिनमें उनके मेहमान ठहर सकें, उनके सामाजिक कार्यों में, बारात वगैरह ठहर सकें और साथ ही साथ छोटी छोटी डिसपेंसरीज़ और मेटरनिटी सेन्टर्स उन बस्तियों में कायम होने चाहिये । मान्यवर, इस समय मजदूरों की सामाजिक अवस्था को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा का भी कोई प्रबन्ध किया जाय । मुझे दुख है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया ।

इसके साथ ही साथ यह आशा करूंगा कि मजदूर की जो परिभाषा है उसमें भी परिवर्तन किया जाय और मजदूरों को वेलफ़ेयर में मिलने वाली जितनी सुख सुविधायें हैं वह दूसरे मजदूरों को भी प्रदान की जायं ।

मान्यवर, अन्त में मैं कहूंगा कि आज प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने प्रदेश को समृद्धशाली बनाना चाहता है, गौरवशाली बनाना चाहता है । लेकिन यह तभी हो सकता है जब इसके लिये दृढ़ संकल्प हो और जन सहयोग हर प्रकार से प्राप्त हो और यह तभी हो सकता है जब हर आदमी को यह मालूम हो जाय कि जो योजना बन रही है उससे हमारे प्रदेश का कल्याण होगा । इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को या सरकार को स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिये कि तृतीय योजना-काल में जनता पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगायेंगे । अगर टैक्स लगे तो मैं बता देना चाहता कि हमारे प्रदेश की जनता अब टैक्सों के बोझ को ज्यादा बरदाश्त नहीं कर सकती है । इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा सरकार और मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको वह योजना के प्रारूप को सुधारने में इस्तेमाल करें । मैं अपनी ओर से तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने प्रदेश को समृद्धशाली बनाना चाहता हूं और उसके लिये हर तरह से त्याग और बलिदान करने के लिये तैयार हूं, लेकिन सरकार को चाहिये कि वह उन नीतियों को जिनके द्वारा प्रदेश का जन जीवन प्रभावित नहीं हो रहा है जब तक उनमें सुधार नहीं होगा तब तक किसी तरह की योजना सम्पन्न नहीं हो सकती ।

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले तो सरकार को बधाई दूंगा कि जो रूपरेखा तृतीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत की और जो निश्चय उन्होंने अपने प्रदेश को समृद्धशाली बनाने का किया, यह सही है कि आज प्रदेश का व्यक्ति यह सोचता है और चाहता है और इस चीज के लिये तैयार है कि वह अपने प्रदेश को जल्दी से जल्दी जहां तक हो सके समृद्धशाली बनाये और वे तमाम बातें जो इसे समृद्धशाली बनाने के लिये आवश्यक हैं उन सभी साधनों को एकत्रित करके अपने देश की उन्नति करे ।

पहली पंचवर्षीय योजना एक तरह से अनुभव की चीज थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी हम निश्चित रूप में आगे बढ़े और अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में कदम रखने जा रहे हैं । इस योजना को अध्ययन करने से यह स्पष्ट होगा कि उन सभी साध्य तथा साधनों को एकत्रित किया गया है जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यदि उन तमाम मनसूबों का इम्पलिमेंटेशन ठीक ढंग से किया गया तो अवश्य ही हमारा प्रदेश उन्नति करेगा । किसी भी प्लान में चाहे वह पहली पंचवर्षीय योजना हो या दूसरी, मनसूबे हमारे हमेशा अच्छे रहे हैं। लेकिन केवल लक्ष्य निर्धारित करने से ही हम तरक्की नहीं कर सकते । वास्तव में जो चीज है वह है प्लान का इम्पलीमेंटेशन ।

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

मुझे इस बात के कहने में कोई गुरेज नहीं कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश किया गया तो उसमें भी बहुत अच्छे मंसूबे थे । जो मंसूबे थे उनमें से काफी पूरे हुए, लेकिन काफी संख्या में ऐसे मंसूबे रह गये जो कि अभी तक जारी हैं ।

कुछ मंसूबे ऐसे थे जिनका पूरा होना नितान्त आवश्यक था । वे शायद अभी तक जारी हैं और पूरे नहीं हो सके गो कि उनको पूरा हो जाना चाहिये था ।

इस अवसर पर मैं आपका ध्यान उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो नेपाल की तराई में है और लाखों की संख्या में हमारे भाई वहां पर आबाद हैं । बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो, दो हमारी पंचवर्षीय योजनायें बीत गयीं, लेकिन एक २५ मील की हमारी सड़क नहीं बन पाई । सरकार का लक्ष्य है कि उन पिछड़े हुए इलाकों की वह उन्नति करे, लेकिन क्या हमारी इंजीनियरिंग फैल हो गयी । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने उस सड़क को प्रायमिकता दी, लेकिन वह सड़क नहीं बन पाई । यह एक मिसाल मैंने दी । लेकिन आज जब हम कहते हैं कि अपने प्रदेश को समृद्धशाली बनाना है और हम यह भी कहते हैं कि ७४ फी सदी जनता हमारी देहात में रहती है तो हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हमारा यह मंसूबा गांव वालों तक पहुंचे । यह देखा गया है कि आमतौर से मामूली ब्लाक वगैरह तो जरूर काम करते हैं, लेकिन जो हमारा खेती को उन्नतशील बनाने का लक्ष्य है, जो उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है उसकी प्रगति इतनी आहिस्ता है कि उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं । यह दूसरी बात है कि कहीं पर प्राकृतिक आपदायें हमें घेरती हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम अपने में यह भावना न कायम कर लें कि हमको देहात तक पहुंचना ही है तब तक सफलता मिलना मुश्किल है । आज इसमें दो रायें नहीं हैं कि हमारे प्रदेश में बेकारी फैली हुई है, भूखे और नंगों की तादाद काफी है, शिक्षा का अभाव है, ये सारी चीजें हैं । हमें इन बातों को अपने सामने रखना है ।

जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, यह सही है कि प्लान हमारा रिजिड नहीं होना चाहिये, यानी एक आइटम का रुपया किसी कारण से अगर व्यय न कर सकें तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसी दूसरे मंसूबे पर उसको न लगा सकें, लेकिन इस हालत में तो प्लान को रिजिड होना ही चाहिये कि जिन-जिन चीजों को हमने प्रायोरिटी दी है उस पर हम स्टिक करें । रोज मंसूबे बदलना अच्छी बात नहीं है । मैं मिसाल के तौर पर बतलाता हूं कि किसी वक्त में आपने यह निश्चय किया कि किसी भी मंसूबे के लिये ४० फी सदी व्यय जनता का होगा और ६० फी सदी सरकार का होगा और फिर कुछ दिनों के बाद आपने कहा कि नहीं, अब ऐसा होगा कि ६० फी सदी व्यय जनता का होगा और ४० फी सदी सरकार का होगा । इससे जनता में बेचैनी फैली । उसमें जनता को यह खयाल होता है कि उस क्षेत्र के साथ तो यह सुविधा बरती गयी और जब हमारा वक्त आया तो हमारे साथ यह किया गया । तो इस सिफ़यर में तो हमको रिजिड होना चाहिये । यही नहीं, हमने यह भी देखा कि जो जिलों में प्लानिंग कमेटियों ने एक प्रायोरिटी की बेसिस पर ब्लाक्स को खोलने का निश्चय किया उस प्रायोरिटी को बीच-बीच में गड़बड़ किया गया । यह सही है कि आपकी एक पालिसी बदली और उसके आधार पर ही आपने प्रायोरिटीज को बदला है, लेकिन उसका तरीका यह नहीं है । जब प्लान नीचे से बन कर आयी हो तो नीचे की राय लेना आवश्यक हो जाता है । आज आप एक क्षेत्र में जा कर यह कहते हैं कि फलां डेट में यह ब्लाक खुल जायगा और फिर आप उसकी प्रायोरिटी को बदल देते हैं तो उस क्षेत्र की जनता की आशायें निराशा में परिणत हो जाती हैं ।

एक चीज और है । जैसा हमने कहा, असली चीज इम्प्लीमेंटेशन है । मन्सूबा चाहे अच्छे से अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक न हो तो जो आशा की जाती है वह पूरी नहीं हो पाती । इसलिये मैं फिर जोर दूंगा कि जो आपके परफारमेन्सेज हैं उनका आडिट बहुत ही मजबूती के साथ होना चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो प्लान हमारी बने उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी रुकावट न हो और समय से हो । अगर हमारी एक प्लान रुक जाती है तो उससे लगे हुये बहुत से मनसूबे रुक जाते हैं । इसलिये आवश्यकता है कि आडिट आफ परफारमेन्स की पूरी व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, एक बात मुझे और कहनी है कि जहां तक तीसरी पंचवर्षीय आयोजना का ताल्लुक है जो भी कीमत इसके लिये होगी हमारे प्रदेश की जनता उसको वहन करने के लिये तैयार है, किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि वह काम जो कि प्रोडक्तिव हों वह किये जायं और व्यूटीफाइंग टेंडेंसीज जिन पर बेकार धनराशि का व्यय हो, केवल डिमांस्ट्रेटिव जिनकी वैल्यू होती है उनको प्राथमिकता न दी जाय, बल्कि वह स्कीमें जिससे हमारे देश की पैदावर बढ़े, हमारे देश की पूंजी बढ़े उन्हीं तमाम स्कीमों को प्राथमिकता दी जाय, जैसे बिजली का फैलाव, सड़कों को बनाना, कृषि के क्षेत्र में वह सभी साधन एकत्रित करना जिनसे उत्पादन बढ़े और छोटे-छोटे उद्योग धंधों को फैलाना। ऐसी-ऐसी चीजों पर यदि हम अपनी पूंजी व्यय करेंगे तब ही हम यह कह सकेंगे कि हमारे प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अवश्य ही हमारा प्रदेश और देश समृद्धिशाली होगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहापुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन के सामने प्रस्तुत किया है और यह आशा प्रकट की है कि इस आयोजना के द्वारा हमारा प्रदेश समृद्धिशाली होगा। हमारे प्रदेश के निवासियों का स्तर ऊंचा होगा। उनके इस कथन में तथ्य का निश्चय करने के लिये हमें इससे पहले की दो पंचवर्षीय योजनाओं पर विचार करना होगा कि आया उनके होते हुये हमारा प्रदेश कितनी उन्नति कर सका और कहां तक हमारा जीवनस्तर आगे बढ़ा। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर ४८ सौ करोड़ और दूसरी पर ७२ सौ करोड़ पया व्यय हुआ। इतना अधिक व्यय करने के बाद हम कहां तक समृद्धिशाली हुये इसके लिये हमें किसी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देहातों के निवासी जिनकी संख्या का औसत माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वी जिलों में ८२ और शेष जिलों में ७४ फीसदी बताताया है उनकी स्थिति में कहां तक सुधार हुआ है इस पर हमें विचार करना है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यदि इस देश के १४ प्रदेशों में से एक भी प्रदेश अथवा किसी प्रदेश का कोई भाग पीछे रह जाय तो वह पीछे रहा हुआ भाग दूसरे उन्नतिशील भागों की भी टांग पकड़कर घसीटेगा। मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो ७४ फीसदी आदमी देहातों में बसते हैं, जिनके जीवन का आधार कृषि है उनका जीवन स्तर जहां था वहीं है आगे नहीं बढ़ा है। यदि इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया तो निश्चय है कि ये ७४ फीसदी प्रदेश की समृद्ध को भी पीछे घसीटकर ले जायेंगे और प्रदेश की उन्नति में बाधा पड़ेगी। मैं समझता हूं कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की असफलता से हमारे प्रदेश और देश में जो निराशा है उसको देखते हुये इस प्रारूप पर विचार करते समय सरकार विशेष ध्यान रखेगी कि ७४ फीसदी जनता जो दो पिछली योजनाओं के समय आगे नहीं बढ़ सकी है उनको आगे बढ़ायेगी।

जो खर्चा गत दो योजनाओं पर हुआ है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यदि हमारे पास धन होता और हम बेरहमी के साथ उस धन को उड़ाते तो अफसोस न होता, लेकिन जो धन व्यय हुआ है वह दूसरे देशों से कर्ज ले कर व्यय किया गया है और हमें यह कर्जा व्याज के साथ अदा भी करना पड़ेगा। अगर हम अपनी इन योजनाओं के द्वारा अपने उत्पादन को इतना बढ़ा ले गये होते कि हम अपने कर्जे को अदा करने में समर्थ हो जाते तो मैं समझता हूं कि हमारा कर्जा लेना और इतना अधिक पया व्यय करना सार्थक हुआ है। लेकिन पिछली दो पंच वर्षीय योजनाओं का परिणाम हमारे सामने है और उससे मैं कह सकता हूं कि हमारा देश मकरूज हुआ है और ऐसी स्थिति में आ गया है जो आज समृद्धशाली बनाने की कल्पना कर्जे के बोझ से दबे होने के कारण हम शताब्दियों तक नहीं कर सकेंगे। गत दो योजनाओं के काल में हमारी गरीबी, मंहगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, फिर कैसे मंत्री जी अपनी योजनाओं की सफलता के गीत गाते हैं।

मान्यवर, मैं आंकड़े के गोरखधंधे में तो पड़ना नहीं चाहता हूं और इसलिये भी नहीं पढ़ना चाहता हूं कि आंकड़े की पुस्तिका इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को हिन्दी में नहीं दी गई है और मैं समझता हूं कि ७५ प्रतिशत से ज्यादा ऐसे माननीय सदस्य हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। इसलिये वह इन आंकड़ों संबंधी पुस्तिका अंग्रेजी में बांटकर सरकार अंग्रेजी न जानने वाले माननीय सदस्यों को आंकड़ों के ज्ञान से महरूम रखना चाहती है इसलिये मैं अपने भाषण में आंकड़ों का कोई हवाला नहीं दूंगा।

[श्री देवनारायण भारतीय]

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन कामों की पूर्ति की अवधि रखी गई थी कि वह पूरी हो जायेंगी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय भी पूरा हो गया है और अभी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्य भी पूरे नहीं हो सके हैं। हम कैसे इन योजनाओं पर विश्वास करें ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन कार्यों के पूरे होने की आवश्यकता थी, मैं मान्यवर आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल आरम्भ हुआ और समाप्त भी हो गया, लेकिन उन कामों को अभी तक आरम्भ भी नहीं किया जा सका है इससे ज्यादा लज्जा की बात हमारी सरकार के लिये और क्या हो सकती है ? मैं समझता हूं कि इन योजनाओं के भुलावे में समाजवादी समाज की स्थापना का मखौल बनाया जा रहा है और हम लोगों को मृग-मरीचिका के फंदे में डालकर सरकार फंसाना चाहती है।

मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे देश पर १० हजार करोड़ रुपया व्यय होगा। इसमें से ६०० करोड़ रुपया हमारे प्रदेश पर व्यय होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका ब्यौरा भी दिया था कि यह धनराशि कहां-कहां पर व्यय होगी।उन्होंने बताया कि २८३ करोड़ रुपया हमारे प्रदेश की कृषि पर व्यय होगा और २०९ करोड़ रुपया विद्युत् पर व्यय होगा। मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके शब्दों में ७४ से ८२ प्रतिशत जनसंख्या देहातों में रहती है जिसकी गुजर कृषि पर ही निर्भर रहती है और अपने प्रदेश में इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६०० करोड़ रुपया वह व्यय करना चाहती है। क्या सरकार ने इस कृषि पर गुजर करने वाली जनसंख्या का औसत इस ६०० करोड़ में रखा है ? सरकार ने केवल २८३ करोड़ रुपया कृषि के लिये रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उक्त औसत पर ही रखना चाहिये था जो ७४ प्रतिशत जनता के खर्चे में आता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ६०० करोड़ का ७४ प्रतिशत कृषि के लिये न रखकर तो देहात की जनता के साथ अन्याय किया है। विद्युत् पर २०९ करोड़ सरकार खर्च करना चाहती है परन्तु ग्रामीण जनता को लघु उद्योगों के लिये भी बिजली नहीं देना चाहती इस पर भी सरकार ग्रामीण जनता का हितैषी होने का दावा करती है।

दूसरी बात यह भी है कि देहात के लिये केवल दो आवश्यक चीजें थीं जिनकी ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिये था। एक तो सिंचाई के साधनों की उन्नति की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये था और दूसरे देहातों में यातायात की ओर जाना चाहिये था। आज हमारे सिंचाई विभाग की जो रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है उसके अनुसार पिछली दो योजनाओं में सिंचाई के समस्त साधनों पर व्यय करने पर भी आज ३३ फीसदी से अधिक सिंचित रकबा नहीं है। देहाती क्षेत्र में तब तक सरकार को संतोष नहीं करना चाहिये जब तक एक एकड़ कृषि भूमि भी ऐसी रह जाय जिस पर सिंचाई का प्रबंध सरकार न कर सके तभी हमारा उत्पादन उन्नति कर सकता है, अन्यथा नहीं। मैं चाहता यह हूं कि सिंचाई की ओर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यातायात की ओर ८६ करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्री पंच वर्षीय योजना में देना स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि यह ८६ करोड़ पूरा का पूरा भी देहात में यातायात के साधनों की उन्नति करने में व्यय किया जाय। शहरी सड़कों को ज्यादा चौड़ी करना, उन पर सीमेंट या कोलतार करना, अथवा उन सड़कों के किनारे सुन्दर-सुन्दर गमले टंगवाना, इस से योजना की पूर्ति नहीं हो सकती। योजना की पूर्ति जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुये ही हो सकती है, जब कि देहातों का प्रत्येक भाग यातायात के साधनों से परिपूर्ण हो जाय। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आज देहात में यातायात के साधन नहीं के बराबर हैं। हमारी सरकार को यातायात के साधनों को देहात में बढ़ाने की ओर अग्रसर होना चाहये और जो धन सरकार यातायात में खर्च करने जा रही है उसका अधिकांश भाग हमारे देहात में यातायात के साधनों के बढ़ाने में व्यय करना चाहिये।

मैं यह भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाओं की विफलता का कारण विभागीय कर्मचारियों में फैला हुआ भ्रष्टाचार है। जहां तक विरोधी दल का सम्बन्ध

है विरोधी दल भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में जागरूक रहा है । विरोधी दल ने समय-समय पर अपने कर्त्तव्य का पालन किया है और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि सरकार की अमुक योजना विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण निष्फल होने जा रही है । समय-समय पर शारदा सागर, नानकसागर, माताटीला डैम या रिहन्द डैम के बारे में सरकार का ध्यान विरोधी दल ने आकृष्ट किया है और इन महा योजनाओं की कमजोरियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और जिन इंजीनियरों के संचालन में इन योजनाओं का इंम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उन इंजीनियरों के अनर्गल कार्यों की ओर सरकार का ध्यान समय-समय पर विरोधी दल ने आकृष्ट किया है । परन्तु फिर भी सरकार ने हमारी चेतावनी पर ध्यान न देकर एक न एक उपाय से उन इंजीनियरों को बचाने का प्रयत्न किया है । उस भ्रष्टाचार को रोकने की ओर योजनाओं को मजबूती के साथ सफल बनाने की ओर सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया इस पर मुझे दुख है ।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम शिक्षा की ओर उचित व्यय नहीं कर सकते । हमारे यहां विद्यालयों की कमी है । हमारे यहां योग्य अध्यापकों की कमी है और विद्यालयों में शिक्षिकाओं की कमी है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कन्याओं की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जायगा, विशेष रूप से देहातों में कन्या विद्यालय नहीं खोले जायेंगे, तब तक शिक्षा की उन्नति ऊंचे स्तर पर देखने की सरकार की आशा मृग-तृष्णा मात्र है ।

मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चिकित्सालय हमारे प्रदेश में बहुत कम संख्या में हैं । जो हैं भी, वे एलोपैथिक आधार पर हैं । आज भी, मान्यवर प्रश्नों के उत्तर देते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया था कि एलोपैथिक इस देश की चिकित्सा व्यवस्था स्वीकार कर ली गई है और उसी के आधार पर देहातों में भी चिकित्सा का प्रबंध किया जा रहा है । मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि आये दिन इस सदन में प्रश्न उठते हैं कि प्रत्येक जिले में चार-चार, छः-छः एलोपैथी के हास्पिटल बिना डाक्टरों के चल रहे हैं । देहातों में जो एलोपैथी की शिक्षा पाये हुये डाक्टर हैं वह जाकर के काम नहीं करना चाहते । इधर आयुर्वेद को आप प्रोत्साहन नहीं देना चाहते । परिणाम क्या होगा ? माननीय स्वास्थ्य मंत्री के कथनानुसार जो मरने वाले ही हैं वे तो मरेंगे ही, उन्हें रोक कौन सकता है । देश चिकित्सा की सुविधा से वंचित रह जायगा और विशेषकर प्रदेश की वह जनता जो कि देहातों में रहती है । देहातों में रहने वालों के लिये तो आयुर्वेदिक चिकित्सा ही सबसे उत्तम है और उसी के खर्च को वह बर्दाश्त कर सकते हैं । उसी के द्वारा उनकी चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिये । मान्यवर, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस ओर सरकार ने अपनी योजना में ध्यान नहीं दिया है । मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोला जाय और प्रदेश भर में जितने विद्यालय आयुर्वेद के हैं उन सबको उस विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया जाय । उनके द्वारा जो ग्रेजुएट शिक्षा पाकर के निकलें उनका एक जाल सा देहातों में बिछा दिया जाय और आयुर्वेदिक औषधियां ही वितरित की जायं । तभी हमारे देहात में रहने वाले ७४ फीसदी निवासियों का कल्याण हो सकता है और वे रोग से मुक्ति पा सकते हैं ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्राइस पैरिटी का कुछ जिक्र करना चाहा, लेकिन जिक्र करते-करते वह उस बात को टाल गये और उन्होंने कोई भी निश्चित बात सदन में इस बारे में नहीं कही । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक प्राइस पैरिटी की बात सरकार निश्चय नहीं कर लेती, जब तक सरकार इस बात का प्रबंध नहीं करती कि देहात में रहने वाली जनता जो कृषि के द्वारा अपना उत्पादन करती है उसकी पैदा की हुई वस्तुओं के और बड़े-बड़े कारखानों से पैदा की हुई वस्तुओं के मूल्यों में सन्तुलन नहीं किया जायगा तब तक देहात की पैदावार चाहे जितनी भी बढ़ जाय, देहातियों की उन्नति नहीं हो सकती । देहात के निवासी जो भी पैदा करते हैं वह उन वस्तुओं के खरीदने में, उनका मूल्य देने में खर्च कर देते हैं जो कि कारखानों से तेज दामों पर उन्हें खरीदनी पड़ती हैं । इसलिये सरकार को इस बारे में एक निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये और प्राइस पैरिटी की बात को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिये जिससे कि देहात के लोगों का कुछ कल्याण हो सके ।

[श्री देवनारायण भारतीय]

मान्यवर, अब मैं दो चार बातें अपने जिले के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। एक मैं ऐसा सुझाव देना चाहता हूं जिसकी कि मैं प्रान्तीय स्तर पर सब से अधिक आवश्यकता समझता हूं और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस काम को शामिल करे। शाहजहांपुर जिले का फर्रुखाबाद जिले से सम्बन्ध एक प्रान्तीय सड़क के द्वारा है। उस पर रामगंगा और गंगा दो महान नदियां पड़ती हैं। उन दोनों नदियों पर पुल नहीं है जिसके कारण प्रदेश का मध्य और दक्षिणी भाग उत्तरी भाग से बिलकुल अलाहिदा हो जाता है। राजनीतिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी उन पुलों का बनना आवश्यक है। इसलिये मैं सरकार से इस बात के लिये प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों पुलों को वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करे।

शाहजहांपुर जिले में कुछ सड़कें ऐसी थीं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जानी चाहिये थीं, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुईं। एक सड़क बदायूं से जलालाबाद के लिये बन रही है। मैं समझता हूं कि जिस चाल से वह बन रही है उसी चाल से बनती रही तो वह तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक भी पूरी नहीं हो सकेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार उसको जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करे। नयी सड़कों में भी जो जिले के स्तर पर योजनाओं के अन्दर शामिल होकर के सरकार के सामने आ रही हैं वह एक तो कटरा खुदागंज के बीच की सड़क है जो दस मील का टुकड़ा है, जिसके पूरा न होने से हमारे जिले की आर्थिक उन्नति में बाधा पड़ रही है। दूसरी सड़क कांठ से मदनापुर के बीच में है। यह भी १० मील का टुकड़ा है और इसके पक्के होने की नितांत आवश्यकता है। इसके पक्के न होने से तहसील तिलहर और जलालाबाद के अधिकांश भाग के निवासी लोग अपना माल शाहजहांपुर तक भेजने में असमर्थ रहते हैं। तीसरी सड़क है जरीमपुर से ढाईघाट के बीच, जिसको पक्का होना चाहिये। इसको पक्का करने से हमारे जिले के ही नहीं बल्कि आस-पास के जिले के लोगों को भी सुविधा हो जायगी। इसके अतिरिक्त पुवायां से पूरनपुर तक एक कच्ची सड़क मौजूद है, मैं चाहता हूं कि सरकार उसे भी पक्का कराने की कृपा करे।

मैं एक बात और कह कर अपना कथन समाप्त करूंगा। हमारे यहां रामगंगा ऐसी नदी है जो छोटी-छोटी नदियों से मिल कर एक ऐसा जाल बना लेती है जिससे जिले के यातायात के साधन खत्म हो जाते हैं और मलेरिया का प्रकोप, उस क्षेत्र में बारहों महीने बना रहता है। इसी तरह से जिले के उत्तरी भाग में शारदा और गोमती ऐसी नदियां हैं कि जो छोटी-छोटी नदियों से मिल कर ऐसा ही जाल बना लेती हैं जिससे कि वहां मलेरिया और अन्य बीमारियां साल भर छायी रहती हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ट्रान्स रामगंगा और ट्रांस गोमती एरिया के लिये वह ऐसी योजनायें बनाये, चिकित्सा के वहां ऐसे साधन स्थापित कर दे और दूसरे ऐसे उन्नति के काम करे कि जिससे वहां लोगों को इलाज की सुविधा हो जाय, लोगों का स्वास्थ्य उन्नत हो और प्रति वर्ष जो अनेक मृत्युयें वहां होती हैं उनमें कमी हो। इन शब्दों के साथ में इस तृतीय पंचवर्षीय योजना का विरोध करता हूं।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—श्रीमन्, मेरा यह सौभाग्य है कि आज तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त कर सका हूं। योजनायें सारे संसार में सबसे पहले रूस ने बना कर उन्नति करने का प्रयास किया। उसकी योजना के भीतर एक खास आदर्श और लक्ष्य को सिद्ध करने की एक ऐसी प्रणाली थी कि जिसके द्वारा उसे साध्य को सिद्ध करना आवश्यक था। हमारे देश ने जिस योजना को स्वीकार किया था वह भी करीब-करीब अपनी आवश्यकताओं और अभावों को दूर करने के लिये एक निश्चित कदम उठाने की प्रणाली थी जिससे हम अपने अभावों के खिलाफ और आवश्यकताओं के लिये युद्ध जारी करके देश में आर्थिक स्वाधीनता ला सकें।

जहां तक प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का सम्बन्ध है, हम कहां तक अग्रसर हुये यह हम से और आप से छिपा नहीं है, लेकिन अब तीसरी पंचवर्षीय योजना जब हम लागू करने जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं, तो हमारे लिये आवश्यक है कि हम पीछे की ओर भी देखें, अगर हम पीछे की ओर देखते हैं तो क्या हमारे जो उद्देश्य और लक्ष्य थे उनमें हम पूर्णतया कामयाब हुये हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमें पूरी-पूरी सफलता उन योजनाओं में नहीं मिली। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ अनिवार्य कारण हैं जिनकी वजह से हम सफल नहीं हो सके। आज सब से बड़ी कमी जो हमारे देश में है वह है लोगों में उत्साह की, प्रेरणा की कमी है और आगे बढ़ने का जो हौसला होना चाहिये, उसकी कमी है। हमारा देश जो सदियों से गुलाम रहा है, जिसका चरित्र विदेशी शासन में बिगड़ चुका है, वह देश स्वाधीन होने के बाद इतने दिन तक मेहनत करने के बाद भी, जो प्रेरणा उसमें होनी चाहिये थी, वह आज नहीं है। अभी हम में जो चीज होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी है। हम लोगों को जिस तरह से कठोर परिश्रम करके अपने देश को ऊपर उठाने के लिये जो काम करना चाहिये थे वे हमने नहीं किये, हमने उतना कठोर परिश्रम नहीं किया। जो अभिरुचि हम में होनी चाहिये थी, वह खत्म हो चुकी है। आज हमारी हालत उच्छृंखल-सी हो गयी है। किसी भी चीज को आप देखें उसकी मौलिकता का स्वरूप बिगड़ चुका है और आगे हम कौन-सा स्वरूप लाना चाहते हैं इसके लिये भी लोगों के दिमाग साफ और सही नहीं हैं। हमारे देश की जो पुरानी संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, जिसके आधार पर हम चला करते थे, वह सभ्यता और संस्कृति आज लोगों में नहीं पायी जा रही है। देहात के लोगों में तो, और वह भी उन लोगों में जो बाहरी दुनिया के लोगों के सम्पर्क से दूर रहे हैं, वह पुरानी संस्कृति और सभ्यता देखने को मिलती है, किन्तु जो लोग बाहरी दुनिया के लोगों के सम्पर्क में आये, और जिन्होंने नवीन बातों को ग्रहण किया, उनमें वह सभ्यता और संस्कृति नहीं रही है। सरकार की ओर से इसके लिये बराबर प्रयास भी किया जाता रहा है, किन्तु उसके बावजूद भी हममें उस चीज का अभाव है.....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठ जायं, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—इस समय इतने महत्वपूर्ण विषय पर विवाद हो रहा है और सदन में एक भी मिनिस्टर उपस्थित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं यह उचित है कि सदन में कैबिनेट का कोई न कोई मिनिस्टर अवश्य उपस्थित रहे क्योंकि जब थर्ड फाइव ईयर प्लान पर बहस हो रही है तो यह जरूरी है। माननीय उप-मंत्री जो यहां बैठे हुये हैं, वे इसका ध्यान रखें।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री रामलक्षण तिवारी—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सरकार की कोशिशों के बावजूद भी देश आगे नहीं बढ़ा है। इसके अलावा हम उस लक्ष्य की ओर भी बढ़ते हुये दिखलाई नहीं दे रहे हैं जो हमारा लक्ष्य था और वह लक्ष्य ऐसा है जिसकी परिभाषायें दुनियां में भिन्न-भिन्न प्रकार से होती आई हैं। अगर उस परिभाषा के पीछे कोई दार्शनिक आधार रहा, तब तो उसकी परिभाषा के अनुसार हम समाजवाद की ओर बढ़ें, और अगर कोई दार्शनिक आधार उसके पीछे नहीं रहता तो हम उस ओर बढ़ने में नाकामयाब रहे। आज भी दुनियां के जितने मुल्क समाजवाद का नारा देते हैं और उनके पीछे कोई दार्शनिक आधार न होगा, तो वे कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह से हमने भी जो अपना समाजवाद का लक्ष्य घोषित किया है, उसकी नींव कहां है, उसको किस आधार पर हम कायम करना चाहते हैं, यह सब बातें ऐसी हैं जिनको स्पष्ट तरीके से जनता के सामने आना चाहिये था। अगर जनता उस मूल आधार को समझ करके अपने मंजिल की ओर बढ़ती तो वह जरा भी इधर-उधर नहीं होती, बल्कि अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाती। इन चीजों को पूरी करने के लिये सरकार के हाथों में सरकारी मशीनरी है.....

श्री प्रताप सिंह—व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जो व्यवस्था दी वह आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जायगी और वह शिरोधार्य है, लेकिन अभी तक कोई मिनिस्टर

[श्री प्रताप सिंह]

नहीं आये। दूसरी चीज यह निवेदन करूंगा कि बजट के दौरान में अधिष्ठाता महोदय और उपाध्याय महोदय ने रूलिंग दी है कि फाइनेंस मिनिस्टर तो बैठें ही, लेकिन जिसकी ग्रांट हो वह मिनिस्टर भी बैठे। थर्ड फाइव ईयर प्लान और भी महत्वपूर्ण है और मुख्य मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के सुझाव मांगे हैं। मुख्य मंत्री जी अगर आवश्यक काम से बाहर रह सकते हैं तो अन्य मंत्री तो कम से कम यहां रहें—वह बात दूसरी है कि कोई मंत्री स्टेशन से बाहर हों। इसलिये बजट वाली रूलिंग को आप लागू करें जिससे हम चीजों को हृदयंगम करा सकें।

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—जैसा अभी आपने फरमाया, मिनिस्टर साहब से अर्ज किया गया है, थोड़ी देर में वह आ रहे हैं। जहां तक यहां सबकी मौजूदगी का ताल्लुक है, मैं यकीन दिलाता हूं माननीय सदस्य को कि हर बात बड़ी गौर से सुनी जा रही है और मैं उनकी हर बात को नोट कर रहा हूं और उनकी तमाम बातों से पूरा लाभ उठाने की कोशिश की जायगी। कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो मिनिस्टर कंसर्न्ड तक पहुंच न जाय और जितना नफा उठाया जा सके वह न उठाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं आपकी भावनाओं का उन्होंने इजहार कर दिया, एक मंत्री महोदय अभी आयेंगे, इसलिये यह भाषण जारी रखा जाय।

श्री रामलक्षण तिवारी—मान्यवर, जिस सरकारी मशीनरी को हाथ में लेकर हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उसके विषय में भी सरकार को थोड़ी जांच करनी चाहिये कि आया जिस मशीनरी के द्वारा हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं वह इस काम के लिये उपयुक्त हैं या नहीं और अगर उपयुक्त नहीं हैं तो उनको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है और उनको हटा करके कौन-सी ऐसी ताकत पैदा की जा सकती है या संगठन पैदा किया जा सकता है जिसके द्वारा ये बोजानएं ठीक तरह से पूरी की जा सकें। जो भी सरकारी यंत्र है उसको अगर ठीक तरह से नियंत्रित किया जाय तो कोई कारण नहीं है कि वे योजनाओं को सफल बनाने में योगदान न दे सकें, लेकिन दुर्भाग्य से इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। योजनाओं के लिये रुपये से भी बढ़कर आवश्यक वस्तु शिक्षा और उसका प्रसार हुआ करता है। शिक्षा की जहां तक हमारी स्थिति है उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह कहा गया है कि हमें इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन थर्ड फाइव ईयर प्लान में उस शिक्षा पद्धति को बदल करके कौन-सी शिक्षा पद्धति जारी की जायगी और उसमें कौन-सा आमूल परिवर्तन किया जायगा, इस ओर कोई संकेत नहीं मिलता है।

(लाल बत्ती होने पर।)

मैं समझता हूं कि बीच में बहुत डिस्टरबेंस किया गया है, हमारा समय थोड़ा ठीक से....

श्री अधिष्ठाता—जो बीच में थोड़ा-सा विक्षेप हुआ उसके लिये मैंने दो मिनट का समय आपका और बढ़ा दिया। अगर कोई विशेष बात कहना चाहते हों तो दो मिनट में उसको समाप्त कर दें।

श्री रामलक्षण तिवारी—मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से इस सदन में भर-पेट बोलने के लिये अवसर नहीं मिल सका। ऐसी योजना के समय भी अगर कुछ कहने का पूरा-पूरा अवसर.....

श्री अधिष्ठाता—जो ख्वाहिश आपकी है, वह बहुत से माननीय सदस्यों की होगी, लेकिन मजबूरी है।

श्री रामलक्ष्मण तिवारी—हां, मैं देख रहा हूं। तो मैं यहां सारी बातें एबरप्टली खत्म करना चाहता हूं और कुछ निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं।

हमारे पूर्वी जिले कुछ ऐसे पिछड़े हुए हैं जहां पर खेती-बारी की जो स्थिति है वह तो है ही, सबसे अधिक उनमें बेरोजगारी और बेकारी की समस्या बढ़ी हुई है। उसको दूर करने के लिये कौन–कौन से नये काम खोले जायेंगे, कौन–कौन से नये उद्योग-धंधे खोले जायेंगे इसका संतोषजनक हल नहीं दिखलाया गया है। साथ ही हमारे यहां व्यापार काफी पिछड़ गया है। उसके कारणों पर बार–बार सरकार के सामने प्रकाश डाला गया और निवेदन किया गया कि सरकार हमारे यहां अपने इनीशियेटिव पर कम से कम रेलवे लाइन को दुरुस्त करावे जिससे भारतवर्ष के और प्रदेशों से उसका सम्पर्क हो सके, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक इस ओर कदम नहीं उठाया गया। बक्सर में एक पुल बनाने की प्रार्थना की गई जिससे बलिया जिले का सम्बन्ध बक्सर के रेलवे पुल के द्वारा दूसरे प्रदेशों से भी हो सके, लेकिन इस ओर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न कोई कार्यवाही की गई है।

सब से बड़ी दुख की बात यह है कि सन् १९२८ और २९ से जिसके लिये हम प्रयास करते आ रहे हैं जबकि यह देश गुलाम था, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के सम्बन्ध में आज तक कोई निपटारा नहीं हो सका। यह पता नहीं चलता कि कौन-सी समस्या उनमें आ उपस्थित होती है हर साल। यह बात मालूम होती है कि सीमा का निपटारा अब हुआ, अब हुआ, अब हुआ, लेकिन आजतक वह नहीं हो सका जिसके कारण हमारे प्रदेश को बड़ी क्षति हो रही है और हमारे जिले को खास तौर से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के प्रथम वर्ष में कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा सम्बन्धी झगड़ा खत्म कर दिया जाय और जब तक यह खत्म नहीं होता तब तक गंगा के कटान से और घाघरा के कटान से बेघरबार हुये भूमिहीन जो साधन विहीन होकर अकिंचन की तरह शरणार्थी हुये मारे मारे फिर रहे हैं उन पर सरकार मेहरबानी करे। मानवकारी शरणार्थियों के लिये तो सरकार ने सब कुछ दिया, करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाये गये, लेकिन दैवी प्रकोप से परेशान हाल मानव जो चारों तरफ रोते-बिलखते फिरते हैं जिनके पास कोई जरिया माश नहीं, उन्हें कोई सहारा इस प्रदेश की सरकार की ओर से नहीं मिलता और न किसी व्यवसाय में उनको प्रायरटी दी जाती है और न ही उनमें भूमि का बटवारा किया जाता है और न उनको कहीं बसाने का प्रयास किया गया है, न नौकरियों में ही उनको लेने का कोई प्रयास सरकार की ओर से होता है। ऐसे लोगों को कुछ प्रिफ़रेन्स दिया जाय जिससे उनका जीवन निर्वाह सुख-पूर्वक हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—मान्यवर, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार आपके द्वारा व्यक्त करना चाहता हूं। आज इस प्रदेश में इस बात की परमावश्यकता है कि यह देखा जाय कि जो धन हम प्लान के लिये मुकर्रर करते हैं, चाहे वह ६०० करोड़ हो या १,२०० करोड़ हो, उसका कितना वास्तविक भाग जनता तक पहुंचता है। श्रीमन्, सारा रुपया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां करीब ६० प्रतिशत रुपया केवल इस्टैब्लिशमेन्ट पर ही खर्च हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि २५ परसेन्ट से ज्यादा इस्टैब्लिशमेन्ट पर नहीं खर्च होना चाहिये ताकि ७५ परसेन्ट जनता के कामों में और स्कीमों में खर्च किया जा सके। अगर देखा जायगा तो मेरे इस कथन की सत्यता का अनुमान लग जायगा।

इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि जो बड़ी-बड़ी स्कीम्स के प्लान्स बनाते हैं, बड़े-बड़े बांधों पर रुपया खर्च करते हैं उसमें न मालूम कितने धन का लीकेज हो जाता है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। अधूरे कार्य रहने का कारण यही है कि हम इस बात को नहीं देख पाते कि वास्तव में जो खर्च किया है उस कीमत या स्टैण्डर्ड की वह चीज बनी भी है या नहीं। यहां पर अक्सर सुनने को मिलता है, बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि आज रिहन्द में दरार पड़ गई या पी० डब्लू० डी० द्वारा बनाई गई अमुक इमारत खराब हो गई और उसके ठीक करने में इतना पैसा और लगा। इस तरह से उसी काम के लिये हमें अनुमानित लागत से दूना

[श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह]

खर्च करना पड़ता है और कार्य पूरा नहीं होता। इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे के अपव्यय की तरफ खास ध्यान देना चाहिये।

कहा जाता है कि हमारी आमदनी बढ़ी है। लेकिन दो पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने पर भी, यानी १० साल में, केवल .७६ परसेन्ट आमदनी बढ़ी है। मुझे तो इसमें भी शक है कि यह कैपिटलिस्टों और शहर के लोगों की ही आमदनी होगी न कि देहात की। देहात की जनता की आमदनी नहीं बढ़ी है। इसका कारण यह है कि उनको किसी किस्म का भी बढ़ावा नहीं मिल रहा है। प्लान का रुपया वहां नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है। दूसरे, जो कुछ भी विकास पैदा करता है उसके मार्केटिन्ग की फैसीलिटी नहीं है। हर चीज का मूल्य बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर खाद्यान्न का मूल्य बढ़ता है तो सरकार फौरन सस्ते गल्ले की दूकान खोल देती है ताकि अनाज की कीमत कम हो जाय और किसान बरबाद हो जाय मगर जब कपड़े आदि का मूल्य बढ़ा तो सरकार ने कोई दूकान नहीं खोली। क्यों नहीं सरकार . . .

श्री सुल्तान आलम खां—क्या आप चाहते हैं कि सस्ते गल्ले की दूकानें न खोली जावें?

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—जी नहीं। मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जाती हैं वैसे ही कपड़े की, जूते की, चप्पल की छाते की, सभी चीजों की दूकानें खोली जावें ताकि किसानों को रोजाना की जरूरत की चीजें सस्ती मिलें। क्यों नहीं सरकार डिक्लेयर कर देती है कि गेहूं इस भाव बिकेगा, धान इस भाव पर बिकेगा? अगर किसान को यह मालूम हो जाय तो वह प्लान्ड तरीके से अपनी फसल बोवेगा। इस वक्त अगर एक किसान २० मन गेहूं पैदा करता है और उसे १० रुपये मन के हिसाब से २०० रुपये मिलते हैं। अगर वह १० मन गेहूं पैदा करे और वह २० रुपये मन बिकता है तो भी उसे २०० रुपये ही मिल सकते हैं। जब मेहनत करने से उसे उतना ही पैसा मिल सकता है तो वह क्यों ज्यादा मेहनत करे? इससे देश का बहुत अहित हो रहा है। अगर किसान को प्रोत्साहन मिले कि तुम जितना अधिक पैदा करोगे कीमत में फरक न होगा तो देश के लिये कल्याणकारी बात होगी और अधिक उत्पादन होगा। इसलिये इस बात की बहुत आवश्यकता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और कारखानों की प्रोडक्यूस की कीमतों में सन्तुलन रखा जाय। दोनों एक दूसरे के साथ घटें बढ़ें।

दूसरी बात यह है कि हम कितना ही अन्न पैदा कर लें, कितने ही अस्पताल और स्कूल खोल लें, लेकिन जब तक वहां पहुंचने की सुविधायें नहीं होंगी तब तक वे सब बेकार हैं। अगर मार्केटिंग के लिये सड़क की या यातायात की सुविधा नहीं है तो क्या होगा? अगर हम अपनी चीज को सड़क द्वारा ले जाकर बाजार में नहीं बेच सकते हैं तो मिडिलमैन उसे कम दामों पर लेकर मंहगे दामों पर बाजार में बेचता है। श्रीमन्, इसलिये जब तक अनाज कृषकों के पास रहता है कम कीमत रहती है और जब बाजार में दुकानदारों के पास आता है तो मूल्य बढ़ जाता है पर किसान का कोई लाभ नहीं होता। इसलिये मंत्री जी को प्लान में उन सड़कों के लिये भी प्रबन्ध करना चाहिये जो मंडियों तक जाती हों, अस्पताल, स्कूल तथा विकास खंड के कार्यालयों को मिलाती हों। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कनेक्ट हो जाय ताकि गांवों के रोजगार सुगमतापूर्वक चल सकें। इससे गांवों की आर्थिक उन्नति होगी। गोंडा जिले में बूढ़ापार व सादुल्लानगर परगना है जिसकी सड़कों में आठ महीने पानी भरा रहता है, पुल टूटे हैं, वहां का इलाका ऐसा है जिसमें दो फसलें हो सकती हैं। अगर उसको पक्की सड़कों द्वारा स्टेशन से कनेक्ट कर दिया जाय और सिंचाई का ठीक इन्तजाम हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह गोंडा जिले को ही नहीं प्रदेश के ४–६ जिलों को वह खूराक दे सकता है। लिहाजा उन सड़कों को जो गांवों को प्रदेश की मंडियों से मिलाती हैं जल्दी से जल्दी

बना दिया जाना चाहिये। ११ सौ मील की सड़कें ऐसी हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की पड़ी रह गयी हैं इससे यह मालूम होता है कि सरकार सड़कों के निर्माण के लिये विशेष ध्यान नहीं देना चाहती।

इस बात की चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है कि डाक्टर लोग देहात में नहीं जाते हैं। चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, कोई भी पद्धति हो सब को प्रोत्साहन मिलना चाहिये मगर मैं एलोपैथिक डाक्टरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि यूनिवर्सिटीज को यह रोक लगा देनी चाहिये कि डाक्टरी पास करके प्रत्येक डाक्टर को देहात में कम से कम दो वर्ष रहना होगा तभी उसको डाक्टरी की डिग्री मिलेगी। मेरे क्षेत्र बूढ़ापार से सादुल्लानगर में सिंगारघाट पुल तक सड़क बनाने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् ने और वहां के लोगों ने कई बार निवेदन किया। वहां के केन यूनियन ने १०,००० रुपया तथा पंचायतों ने दस हजार तथा परिषद् ने भी दस हजार रुपया देना मंजूर किया है और कुछ रुपया जमा भी हो गया है। लेकिन अभी तक वह पुल नहीं बना है इसलिये अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में उसको पहले बनवाने की कृपा करें। इसके अलावा एक सड़क जो गौरा चौकी से टेहरा तक जाती है उसको अन्तरिम जिला परिषद् ने गोंडा जिले से सर्वप्रथम प्राथमिकता दी थी। यह सड़क भी पहले बनना चाहिये। इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा और परेशानी दूर होगी।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये मुझे समय दिया। हमारे अगले जो आने वाले पांच वर्ष हैं उनमें हम प्रदेश के अन्दर क्या-क्या करना चाहते हैं और उससे प्रदेश के रहने वालों के जीवन के विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये सारी चीजें अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लायी गयी हैं। हमारी जो पिछली पंचवर्षीय योजनाएं थीं उनके द्वारा बहुत-सा काम हमने प्रदेश में किया है और उससे कुछ अंशों में हमारा जीवन स्तर आगे बढ़ा है। लेकिन प्रदेश की जितनी समस्याएं हैं उनको देखते हुए जितना काम हुआ है वह अधिक नहीं कहा जा सकता, उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे जो विरोधी दल हैं उनसे भी यह आशा की जाती है कि कम से कम उनके जिले में और ग्रामीण क्षेत्र में जिनके लिये यह योजना बनायी गयी है, अगर कोई कार्य हो तो उसमें उनका पूरा-पूरा सहयोग होना चाहिये। परन्तु देखा यह जाता है कि जब गांवों में खड़ंजा बनाना हो, कोई मार्ग बनाना हो, पुलिया बनानी हो या बंधी बनानी हो या गूलें बनानी हों, इस तरह के जब काम आते हैं तो उनमें श्रमदान की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पैसे सरकार देती है और कुछ गांव वाले देते हैं और जब ऐसा समय आता है तो अक्सर यह देखा जाता है कि विरोधी पार्टीज होती हैं वे उस काम में बजाय सहयोग देने के लोगों को भड़काती हैं, उनके अन्दर एक भ्रम पैदा करती हैं जिसकी वजह से जो सहयोग उस काम में मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता। और ऐसे काम के लिये जितनी तेजी होनी चाहिये वह तेजी नहीं हो पाती। मैं समझता हूं कि अकेली सरकार के प्रयत्न से वह काम नहीं चलने वाला है। उसके लिये साथ ही साथ सारे कामों को पूरा करने के लिये, जीवन स्तर को आगे ले जाने के लिये जितने पैसे की आवश्यकता पड़ती है वह सारे के सारे सरकार जुटा दे। यह सम्भव नहीं है कि इतना अधिक पैसा जो खर्च होने वाला है वह थोड़े समय के अन्दर उपलब्ध हो जाय। इसमें समय लगेगा, इसके लिये जरूरी है कि जो कुछ सरकार के पास साधन हैं उन साधनों को साथ लेते हुए जो हमारे प्रान्त का जनबल है वह हमें मिल जाय और पूरा-पूरा उसका सहयोग हो जाय तो जितने काम की हम आशा करते हैं उससे कई गुना आगे बढ़ सकते हैं।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा की बात है, इस सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है। हमारे मुल्क को स्वतंत्र हुये काफी अर्सा हो गया। अब हमारे प्रांत के अन्दर प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य हो जानी चाहिये और साथ ही यह होना चाहिये कि प्राइमरी शिक्षा का जो स्तर गिरा हुआ

[श्री मुरलीधर कुरील]

है वह सुधारा जाना चाहिये क्योंकि जब तक शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठेगा हमारी आगे की सब तरक्की रुकी रहेगी। प्राइमरी स्कूल से निकलने के बाद बालक के अन्दर इतना ज्ञान हो जाना चाहिये कि अगर वह ऊंचे दर्जे की शिक्षा न ले सके तो प्राइमरी शिक्षा खत्म होने के बाद अपने जीवन निर्वाह के लिये किसी काम में लगना चाहे तो तो उसमें लग सके।

जहां तक अध्यापकों के वेतन की बात है उसमें सुधार किया जाना चाहिये लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिये कि ऐसे अध्यापक जिनके ऊपर जनता का इतना पैसा खर्च हो उसका बदला भी उनको देना चाहिये शिक्षा के रूप में कि बालकों के अन्दर अच्छी अच्छी आदतें हों, अनुशासन से रहने की भावना हो। मैं समझता हूं कि उनके अन्दर इतना ज्ञान होना चाहिये कि वे अपने जीवन में सफलता पा सकें। अगर हम इन तमाम बातों को सोचें तो मैं समझता हूं कि प्राइमरी शिक्षा बहुत कुछ कामयाब हो सकती है और हम आगे तरक्की कर सकते हैं।

इसके अलावा हमारे यहां बहुत-सी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं उनकी तरक्की होनी चाहिए। इन पिछड़ी हुई जातियों में जो हरिजन कहे जाते हैं, उनका सामाजिक स्तर के साथ ही साथ आर्थिक स्तर भी नीचा है। अगर उनका स्तर ऊंचा हो जाय तो मैं समझता हूं कि उसका असर उनके सामाजिक स्तर पर पड़ेगा। आज जो छोटे-बड़े का भेद-भाव है उसमें भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हमारी शिकायत है कि पिछले वर्षों में इस सम्बन्ध में जो काम हुआ है उसमें हमें उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। अभी उसमें बहुत कुछ कमी है। आज चूंकि शिक्षा की कमी है इसलिये सबसे अधिक जरूरत है कि उनके बीच में शिक्षा हो।

इसके साथ ही जो दूसरी आवश्यकता है वह बेकारी दूर करने की है। बेकारी दूर करने के लिये आवश्यक है कि उनको उद्योग-धंधों में लगाया जाये। वैसे उनके लड़के ज्यादा तादाद में पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन वे सब भी सरकारी नौकरियों में या बड़ी-बड़ी मिलों या कल-कारखानों में खप जायं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये, जो अभी तक नहीं हो पायी है। वे लड़के इधर-उधर बेकार घूमा करते हैं और उनको पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल पाया है। सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिये बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सहकारिता द्वारा उद्योग-धंधे चलाने हैं या दूसरे कार्य करने हैं उनमें उनको सहायता दी जाय। सहकारी समिति बनाने के लिये आवश्यकता पड़ती है कि अपनी निजी पूंजी के साथ उसे अपनी जमानत भी देने की जरूरत पड़ती है वह सब चीजें उनके पास नहीं होतीं क्योंकि वह ऐसा सर्वहारा वर्ग है, जिसके पास जमीन-जायदाद नहीं है जिसकी जमानत देकर सहकारिता के द्वारा सरकारी पैसे से लाभ उठा सके। मैं समझता हूं कि सहकारिता के नियमों में परिवर्तन होना चाहिए था। उनमें परिवर्तन नहीं हो पाया। वह साधारण होने चाहिए जिससे कि सर्वहारा वर्ग उससे लाभ उठा सके। ऐसे नियम शीघ्रातिशीघ्र बनने चाहिएं।

हमारे प्रान्त में कृषि की उन्नति के लिये काफी कार्य हुआ है। मैं समझता हूं कि उन्नत किस्म के बीज और खाद आदि की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन खाद और बीज का वितरण त्रुटिपूर्ण है। उसमें बहुत से ऐसे चतुर किसान हैं जो अपना असर रखते हैं, किसी न किसी बहाने से दूसरे के नाम से या और किसी तरह से अधिक खाद और बीज ले लेते हैं और बाजार में बेचकर रकम पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि जरूरतमन्द के पास बीज और खाद पहुंचे, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमारे यहां कानपुर जिले में कुछ ऐसे पुराने मार्ग हैं जो पक्के हैं और उनकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि जो नये मार्ग मिलने चाहिए, पक्के मार्ग मिलने चाहिएं, पुल मिलने

चाहिएं वह नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जब औसत लगाया जाता है कि कितने मील सड़क दी जाय, कितनी पुलिया दी जायं तो उसमें यह हो जाता है कि इस जिले में तो इतनी मौजूद हैं। उसमें कानपुर को बहुत घाटा हो जाता है यह ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनको १०–१० और १५–१५ मील चलने पर सड़क नहीं मिलती है, कम से कम ऐसे क्षेत्रों के लिये बहुत जल्द व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्रीमन्, १५ ट्यूबवेल पहली पंचवर्षीय योजना में मिले थे, लेकिन सिर्फ ४ ही बन पाये। २० ट्यूबवेल के करीब दूसरी योजना में बनाने के लिये तय हुआ था, लेकिन अब तक एक भी बन कर तैयार नहीं हुआ, सिर्फ ४ की नाप-जोख होकर रह गई। इस तरह की प्रगति तो असन्तोषजनक है। जब कि पहली पंचवर्षीय योजना में तय हुआ था कि ३० ट्यूबवेल बहुत आवश्यक हैं। वहां न नहरें हैं और न बनाई जा सकती हैं इसलिये वह ३० ट्यूबवेल बन जायें तब दूसरे क्षेत्रों की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, आज हम अपने प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विवाद कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर बहस करते समय हम यह नहीं भुला सकते कि आज प्लानिंग का युग है। लेकिन साथ ही साथ हमको जनता में विश्वास पैदा करने के लिये, जनता को यह बतलाने के लिये कि प्लानिंग से किस तरह से हम अपने प्रदेश को आगे ले जाएंगे, यह जरूर देखना होगा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना का हमारे प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा है और किस तरीके से उसको कार्यान्वित किया गया है।

जब हमारा ध्यान पहली और दूसरी योजना की तरफ जाता है तो हम यह नहीं भुला सकते कि हमारा प्रदेश और प्रदेशों से पीछे है, बहुत पीछे है। जहां तक आमदनी की बात है मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश की आमदनी पिछले ९–१० वर्षों में केवल १३.८ प्रतिशत बढ़ी जबकि हमारे देश की आमदनी ३२.१ प्रतिशत बढ़ी। इतना ही नहीं, हम यह भी नहीं भुला सकते कि कृषि से जो आमदनी हमारे प्रदेश में बढ़ी वह केवल १५ प्रतिशत बढ़ी जब कि तमाम देश में २८.६ प्रतिशत बढ़ी।

मैं यह कहना बहुत आवश्यक समझता हूं कि पर कैपिटा नेशनल इन्कम हमारे देश में सन् १९५०–५१ में २४६.३ थी और सन् १९५८–५९ में २९३.६, परन्तु प्रदेश में अगर देखा जाय तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो १९५०–५१ में २५८.२६ थी वह १९५८–५९ में २५९.०२ हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे प्रदेश में आमदनी पर कैपिटा लगभग ज्यों की त्यों रही। कोई खास नहीं बढ़ी जब कि देश में बढ़ी है। इसलिये बहुत ही गम्भीरतापूर्वक तीसरी योजना पर विचार करना चाहिये ताकि प्रदेश के रहने वालों में इस बात का विश्वास हो सके कि तीसरी योजना के बाद हमारे गांवों में रहने वाले लोगों की और शहर में रहने वालों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें सुविधायें प्रदान होंगी और तीसरी प्लान का भी वही भाग्य नहीं होने जा रहा है जो पिछली दो योजनाओं का हुआ है। आज हम नहीं कह सकते कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, यह शर्म का विषय है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक बात के लिये बधाई देना चाहता हूं। आज उन्होंने दूसरी प्लान के फेल्योर को मानते हुए कुछ बातें यहां साफ तरीके से सदन में मानीं। उन्होंने कहा कि हमारे विभागों में कोआर्डिनेशन की कमी है। हमारे यहां हमारे मंत्रियों की गलती है, सरकार की गलती है। जिस सफाई के साथ उन्होंने इन कमियों को स्वीकार किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। इतना ही नहीं अगर और कमजोरियों को भी मानते तो उनके लिये और भी शोभनीय बात थी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण शुरू करते हुए दो बातें कहीं कि इस प्लान के खिलाफ दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह कहा जा सकता है कि यह बहुत बड़ा प्लान है

[श्री जगबीर सिंह]

अगर हम अपने रिसोर्सेज को देखें । दूसरे यह कहा जा सकता है कि यह प्लान बहुत छोटा है अगर हम अपनी जरूरतों को देखें । मैं उन दोनों बातों में से कोई बात नहीं कहना चाहता । तीसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारा प्लान अनबैलेंस्ड प्लान है, उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि गांव वालों के लिये क्या करने जा रहे हैं और शहर वालों के लिये क्या करने जा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मेरा चार्ज इस प्लान के विरुद्ध यह है कि इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि कितने आदमी आज देहात में रहते हैं और कितना पैसा हम खर्च करने जा रहे हैं ? किस तरह से गांव में रहने वालों की आमदनी शहर में रहने वालों के बराबर लायेंगे ? आज भी अगर आंकड़े देखें जायं तो गांवों और शहर में रहने वालों की आमदनी में १ और ३ का अन्तर है। किस तरह से आप विश्वास दिलायेंगे गांवों में रहने वालों को, उस गरीब किसान को जिसके पास आज पहनने के लिये कपड़ा नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, जिसके लिये कच्चा मकान क्या, रहने के लिये ठीक झोपड़ी भी नहीं है कि हम तुम्हारा जीवन स्तर ऊंचा करेंगे । ठीक है गांव में सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्ट की, बच्चों को पढ़ाने की । कैसे गांव में रहने वालों को विश्वास होगा कि उसका जीवन स्तर कुछ भी न सही, लेकिन अपने प्रदेश के शहर में रहने वालों के बराबर उसका जीवन स्तर ला सकेंगे ?

इस प्लान को अगर ध्यान से देखा जाय तो एक बात भुला नहीं सकते । आज हमारे प्रदेश में ऐग्रीकल्चर पर, जिसको मैं ग्रामीण जनता से संबंधित विषय मानता हूं और पहले अपने विचार भी प्रकट कर चुका हूं, हो सकता है कि कुछ किसान देहात में न रह कर शहर में रहते हों, लेकिन विशेष कर कृषि ग्रामीण जनता से संबंधित विषय है, इसलिये उस पर हम ६०० करोड़ में से २८३ करोड़ ही खर्च करने जा रहे हैं। जिसके मानी होते हैं जितना उचित हक हमको गांव में खर्च करना चाहिये था हम नहीं करने जा रहे हैं ।

इतना ही नहीं, मैंने हाउसिंग की बात देखी । गांव में रहने वालों की हाउसिंग स्कीम पर केवल २२५ लाख रुपये हमारी सरकार खर्च करना चाहती है । मुझे बड़ी खुशी हुई जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में आज यहां यह बात कही कि हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं अगर हम सेंटर से पापुलेशन बेसिस पर अपनी बात कहते हैं । मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं। आप से गांव में रहने वाले भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं आबादी के लिहाज से । माननीय मुख्य मंत्री ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह एक फारमूला एप्लाई करें और दूसरी जगह दूसरा फारमूला एप्लाई करें । मैं भी यही कह रहा था कि आज गांव में रहने वाले मुख्य मंत्री जी से भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं जब वे यह कहते हैं कि हमारा इतना जायज पैसा है, हमारी आबादी इतनी फीसदी है । ७८ फीसदी लोग गांव में रहने वाले हैं तो ७८ फीसदी प्लान का पैसा गांव में क्यों खर्च नहीं किया जाता ?

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सहमत हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमारे प्रदेश में आवश्यकता है, हैवी इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितने फीसदी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज आप देहात में खोलने जा रहे हैं । अगर इस तरह का संकेत हमारे प्लान में होता तो मुझे प्रसन्नता होती ।

कृषि की बाबत में यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ज्यादा अन्न पैदा हो सकता था, लेकिन कभी हमने यह सोचा है कि ज्यादा क्यों नहीं पैदा होता है ? आज किसान को मालूम नहीं है कि उसकी पैदावार का उसे क्या मूल्य मिलने जा रहा है । आज पैरिटी इन प्राइसेज की बड़ी आवश्यकता है । पैरिटी होलसेल तथा रिटेल की । किसान अपनी पैदावार होलसेल में बेचता है और अपनी आवश्यकता की चीजें रिटेल में खरीदता है । सरकार को इन दोनों प्राइसेज में पैरिटी हो ऐसा एनाउन्स करना होगा। हमारे पड़ोस का प्रदेश, पंजाब क्राप इंश्योरेन्स की बात सोच सकता है, लेकिन हमारा प्रदेश पैदावार बढ़ाने की बात सोच सकता है, क्राप इंश्योरेंस की बात नहीं सोचता, जिससे पैदावार बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा ।

आबादी के लिहाज से पश्चिमी अंचल के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है । उसको इतना पैसा नहीं दिया गया है जितना उसका हक है । मेरठ में सरकार यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है उसके लिये उसे बधाई है, लेकिन पश्चिम में एक भी मेडिकल कालेज नहीं है और एक भी हाई कोर्ट की बेंच वहां कायम नहीं हो सकी, इसके लिये दुख है ।

मैं एक शब्द अपने जिले की बाबत कहना आवश्यक समझता हूं । कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज बड़े जोरों से खोली जा रही हैं और मुझे आशा थी कि एक बुलन्दशहर में खोली जायगी । लेकिन आप देखें कि शुगर फैक्टरीज कई जगह खोलने जा रहे हैं और ऐसी जगहों पर जहां पर बुलन्दशहर से ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता । आज आवश्यकता थी कि बुलन्दशहर जिले में एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी का निर्माण होता ताकि वहां के निवासी सोच सकते कि हमारे लिये कुछ हो रहा है ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—इस तृतीय पंचवर्षीय योजना की पांडुलिपि का मैं स्वागत करता हूं । यह मैं बलपूर्वक कह सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार की जो दृष्टि है वह कुछ स्वच्छ हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय तक इसका चित्र धुंधला था, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश को कुछ बल मिला है । कुछ हकीकत तथा सजगता की दृष्टि से यह तृतीय पंचवर्षीय योजना की पांडुलिपि तैयार की गयी है ।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान कुछ और चीजों की तरफ दिलाना चाहता हूं । योजनाओं का जन्म दो चीजों से होता है—अभाव की पूर्ति योजनाओं की बड़ी सहायक होती है । संयम और आगे उन्नति की दृष्टि से योजनाओं का जन्म होता है तभी योजनायें कल्याणकारी हुआ करती हैं । लेकिन योजनाओं पर हमें सिंहावलोकन करना चाहिये । सबसे बड़ी बात यह है कि इन योजनाओं का मूल्यांकन सही तरीके से होना चाहिये । मूल्यांकन के सम्बन्ध में बहुत भ्रामक आंकड़े उपस्थित किये जाते हैं । संख्या विभाग की ओर से क्षेत्र समितियों में जो एक व्यक्ति रहता है वह ग्राम साथियों की रिपोर्ट का संग्रह करके एक प्रतिशत जोड़ करके जो इकाई निकलती है उसको ले कर जो मूल्यांकन किया जाता है उसके अन्तर्गत बहुत खोखलापन है । हमारे सामने मूल्यांकन का सही चित्र होना चाहिये । हमारा ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये कि इतनी योजनाओं के होने पर भी हमारा किसान क्यों ऋण में ग्रस्त होता जा रहा है । आज किसानों की अवस्था अगर हम देखें तो इस नतीजे पर आयेंगे कि उनके अन्दर एक बेचैनी-सी बढ़ती जा रही है । सेना और खेती का काम सदैव रिजर्व से होता है । किसानों के बीज के लिये चाहे हम हजारों बीज गोदाम खोल दें, लेकिन एक बार अगर किसान सवाया न दे सका तो फिर उसका ऋणोद्धार नहीं हो पाता है और उसका समूल नाश होने लगता है । तो इस ओर भी हमें इन योजनाओं के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये । बीज गोदाम खोल कर बीज वितरण के इस पवित्र नाम से हम समस्या का हल नहीं करते । जब तक उनके पास पैसा नहीं होता सवाया लेना जो एक रक्तचूसक महाजन का कर्त्तव्य था, उसकी दुधारी तलवार किसानों पर चलती है । सेना का भी यही हाल है कि एक बार सेना भेज दें और रिजर्व न हो तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती यही हालत आज किसान की है । प्रत्येक क्षेत्र में यदि गहराई के साथ मूल्यांकन करें तो हम इन्हीं परिणामों पर आयेंगे जिनका वर्णन मैंने अभी बहुत जोरों से किया है ।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका इस योजना के संबंध में स्पर्श ही नहीं किया गया । प्रथम योजना समाप्त हो गयी; द्वितीय योजना भी मार्च में समाप्त हो जायगी और तृतीय योजना का प्रारम्भ होगा, लेकिन बस्ती जिले के ट्रांस राप्ती एरिया में डुमरियागंज तहसील को योजनाओं ने स्पर्श तक नहीं किया । सरकार का ध्यान उधर जाना चाहिये । पहले कहा गया कि सिंचाई के सम्बन्ध में जलकुंडी नाम की एक योजना से वहां पर पूर्ति की जायगी । नेपाल राज्य के विरोध पर जलकुंडी योजना जलकुंडी में समाप्त हो गयी । वहां चकबन्दी भी हो गयी है । जिस क्षेत्र में हम योजना बना कर चकबन्दी करें वहां के किसानों को हमें सिंचाई की योजना पूर्ण रूप से देनी चाहिये । वहां सड़कों का तो इस कदर अभाव है कि जो अभी वहां पलड का बड़ा

[श्री रामलखन मिश्र]

भारी हैवक आया उसमें बस्ती से कोई सरकारी रथ या कोई सरकारी कर्मचारी उस क्षेत्र में जा नहीं सका। या तो वह गोरखपुर से जाता या गोंडा हो कर जाता। शासन की दृष्टि से ये सब अंग योजना के हैं। इसी कारण से मैंने सरकार का इधर ध्यान दिलाया।

सरकार की ओर से योजना के सम्बन्ध में बोलने वालों को जो सब से बड़ा कंटक आता है वह है जन-संख्या की वृद्धि। मुझे दुख है कि जनसंख्या की वृद्धि भी भारी समस्या हो गयी है। एक समय था जब कि हमारे आचार्य कहा करते थे 'पुत्री गातनिर्माणस्य, स्वर्गे नैव च नैव च"। मनुष्य इतना संयमी था कि वह निरर्थक, समय, असमय, आहार-विहार नहीं करता था और हमें उसके लिये उद्घोष देना पड़ता था, लेकिन आज यन्त्रीकृत हो जाओ ऐसा विरोधी नारा हमें लगाना पड़ता है। कहा जाता है "मत्स्य भोजन करो" लेकिन उससे जो विचार उत्पन्न हों उसके बाद कहा जाय कि यन्त्रीकृत हो जाओ।

"After all man is nothing but a collection of thoughts."

लेकिन जब हम आदर्शवाद का स्लोगन देते थे तो यही देते थे कि "आहार शुद्धौ सत्यबुद्धि ततः ध्रुवा स्मृतिः"। यदि हमारा आहार शुद्ध हो तो हमारी स्मृति ठीक होती है और वह ठीक होती है तो सत्यबुद्धि चलती है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उससे हमारी समस्याओं का हल होने वाला नहीं है, किन्तु हमें आचार्य विनोबा भावे के पथ पर चलना चाहिये और मैं अपने शर्मा जी से कहता हूं कि उन्हें बलपूर्वक कहना चाहिये कि संयम का पथ अपनाने पर लोगों में बल डाला जाय यह नहीं कि फेमिली प्लानिंग की ओर ही संकेत करते रहना चाहिये। हमें योजनाओं का मास्टर होना चाहिये, उनका दास नहीं। हमारी योजनाओं में बहुत-सी कमियां हैं और वह कमी है इंट्रास्पेक्शन की। योजना वैसे तो बड़ा सुनहला-सा नाम है और बहुत सुन्दर भी है, लेकिन हमें देखना है कि वास्तविकता क्या है। बेकारी की समस्या घुन की तरह से लगी हुई है। सरकार को सबसे पहले इसकी ओर ध्यान देना चाहिये कि आखिर यह रोग किस तरह से दूर हो। हमारे युवक जो लाखों की संख्या में जो शिक्षा उनको दी जाती है उसको पढ़कर निकलते हैं उसके बाद किंकर्तव्यविमूढ़ से ग्रामों में घूमते रहते हैं। यह चीजें कब तक चलती रहेंगी, इसकी ओर योजना बनाने वालों को अवश्य ध्यान देना चाहिये। (लालबत्ती जलने पर) चूंकि समय नहीं है, लाल झंडी देखने के पश्चात् तो मेरा हृदय कांपने लगता है और आगे नहीं बढ़ पाता इसलिये इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को इस समय समाप्त करता हूं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का जो प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण सदन में दिया उसे बहुत ध्यान से मैं सुनता रहा। योजना का अध्ययन करने के बाद मेरे ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि इस योजना का और कोई नाम भले ही हो लेकिन समाजवादी समाज की ओर ले जानेवाली यह योजना कदापि नहीं है। इस योजना का प्रारम्भ क्षमायाचना से होता है और अन्त "किन्तु", "परन्तु" से होता है। उसे यदि हम परमुखापेक्षी योजना कहें तो अतिशयोक्ति न होगी।

पिछली योजनाओं के सम्बन्ध में यह बतलाया गया था कि चूंकि केन्द्र से हमें समुचित सहायता नहीं मिल सकी चूंकि हमारे विभागों के अनुभवों की कमी के कारण समय से कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, चूंकि हमारे पास जिन प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी वह न थे इसलिये हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सके। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस योजना की असफलता का मूल कारण है जिस पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये और जिसके लिये हमें प्रेरणा की आवश्यकता प्रतीत हो रही है वह प्रेरणा नहीं मिली है। उसका कारण यह है कि सबसे पहले हमारे सामने बहुत साफ-साफ यह नक्शा होना चाहिये था कि आखिर हमारे राज्य में इस समय साढ़े ६ करोड़ आदमी बसे हुये हैं उनके लिये हमें क्या करना है? कितने मकान बनाने हैं, कितना अन्न उत्पादित करना है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है और जिनके लिये रोजगार

उपलब्ध करना है ? अगर ऐसी कोई रूपरेखा रखी गयी होती कि उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे करें तो शायद हम कामयाब हो सकते थे। यहां तो मैं ऐसा समझता हूं कि विभिन्न विभागों के ऊपर एक बोझा डाल दिया गया कि तुमको इतना रुपया खर्च करना है, इसलिये उसके अनुसार योजना बनाकर दो। जब योजनायें विभागों से बनकर आ गईं तो हमारे सामने प्रस्तुत कर दी गईं पुस्तिका के रूप में। क्या यह सही नहीं है कि हमारी दो योजनाओं के पूरे हो जाने पर भी हमारे जीवन की सब से आवश्यक वस्तु अन्न का भाव निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। श्रीमन्, यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। मान्यवर, अन्न का मूल्य ४२ प्रतिशत बढ़ गया, कच्चे माल का मूल्य ४०.६ प्रतिशत और बने हुये माल का मूल्य १७.६ प्रतिशत बढ़ गया। फिर हमारी योजनाओं का लक्ष्य क्या है ?

जहां तक मुख्य मंत्री जी का संबंध है, मैं समझता हूं कि उनकी बात को सुन कर मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि वह विरोधी दल में अपने को बैठा हुआ मानते हों। उन्होंने प्रारम्भ ही इस बात से किया और जो साहित्य हमको दिया गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आज हम देश के अन्य राज्यों के मुकाबिले में पिछड़े हुये हैं। हमारे प्रदेश की आमदनी दूसरे राज्यों के मुकाबिले में नहीं बढ़ी है। यह जो पुस्तिका हमको दी गई है इसमें "उत्तर प्रदेश में आर्थिक प्रवृत्तियां" के चैप्टर में कहा गया है कि "उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते शायद हमारी औसत आय राष्ट्रीय औसत से १६ प्रतिशत कम हो जाय"। श्रीमन्, आगे कहा गया है कि "स्पष्ट है कि अभी तक अपनी गरीबी को दूर करने के लिये हम अपना पहला कदम भी नहीं उठा पाये हैं"। आपका काम अच्छा रहा, आपने देश के करोड़ों रुपये बरबाद कर दिये और आप गरीबी मिटाने का पहला कदम भी नहीं उठा पाये हैं। आपकी हालत मान्यवर, उस स्त्री की तरह से है जिसके एक दर्जन बच्चे हों और पहले बच्चे को संभाल न पाये और दूसरा बच्चा उपद्रव मचाना शुरू कर दे। एक वस्तु पर आप नियंत्रण करते हैं तो दूसरी वस्तु का भाव बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आपने कभी सोचा है ?

आज गांव की जनता अच्छी तरह से जानती है कि पंचवर्षीय योजना के नाम पर किस तरह से प्लानिंग कमेटियों में बैठकर फैसले होते हैं, किन लोगों को अनुदान मिलते हैं और कैसे खर्च किये जाते हैं ? श्रीमन्, मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों को पैसा मिलता है जो लोग उसका उपयोग अपनी उदर पूर्ति के अलावा अन्य ऐश आराम में करते हैं और जिनको आवश्यकता होती है उनको नहीं मिल पाता है। उद्योग-धंधों के संबंध में यदि जांच की जाय तो सैकड़ों ऐसे लोगों को मदद दी गई है कि जिन्होंने अपने उद्योग का "क", "ख" भी प्रारम्भ नहीं किया। यह ऐसी बातें नहीं हैं जिन से आप लोग परिचित न हों, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां हैं। आपका एक ही लक्ष्य है कि कैसे गद्दी पर आसीन हों और उसको बनाये रखने के लिये आंख मूद कर अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं। जहां पर आपने यह कबूल किया कि हमारे विभाग के अधिकारी अनुभवहीन थे, ठीक उसी प्रकार यह क्यों नहीं कबूल किया कि हमारे कंधों पर जो दायित्व था, जिस मजबूती के साथ प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाना चाहिये था, उस मजबूती के साथ नहीं बढ़ सका, जितनी ईमानदारी हमारी तरफ से बरती जानी चाहिये थी उतनी नहीं बरती गयी। हमसे कहा गया है कि हम बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये व्यग्र हैं, इतने लाख आदमियों को बेकारी के जाल से मुक्त कर सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह बेकारी की समस्या क्या चीज है ? अर्थ शास्त्री जानता है कि जब तक उत्पादन का वितरण समाज में ठीक-ठीक नहीं होता है, जब तक वितरण की समस्या ठीक नहीं होगी तब तक बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती। जिस समय तक समाजवादी ढंग पर ठीक वितरण नहीं होने लगेगा, गांव में खेती के सुधार में लगे हुये श्रमिकों को जब तक उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तब तक वांछित धन विकास के लिये प्राप्त नहीं हो सकता। बेकारी की समस्या के हल करने के लिये मैं नहीं समझता कि कोई विशेष योजनायें इस में रखी गयी हैं, केवल एक लाइन में लिख दिया गया है कि इस योजना के पूरे होने से इतने हजार आदमियों को काम मिल जायगा।

[श्री रामायणराय]

आज उद्योग धंधों का लक्ष्य क्या है ? उनका लक्ष्य है ऐसे लोगों की मदद करना जो लोग धंधा चलाते हैं, मुनाफे के लिये । उनका लक्ष्य कदापि नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को तौलिये की जरूरत है, जूते की जरूरत है, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वस्थ रखने के लिये कितनी चीनी चाहिये ? उनका लक्ष्य होता है मुनाफा—— जिस समाज में मुनाफा लक्ष्य होगा, उद्योग के क्षेत्र में कदापि उस समाज में बेकारी नहीं दूर की जा सकती ।

अन्न की समस्या के बारे में बार-बार आग्रह किया गया कि आप मूल्यों को क्यों नहीं तय कर देते हैं कि फसल के कटने के पहले किसान को मालूम हो जाय कि वह कितने पर बेचेगा और जब उसको अन्न की आवश्यकता होगी तो उसको बाजार में किस भाव से अन्न मिलेगा । हमारी ओर से बार-बार कहा गया कि सरकार बफर स्टाक तैयार करे । उसके द्वारा वह आवश्यकता के समय उचित मूल्यों पर अन्न दे सके । अभी राज्य द्वारा चलायी जाने वाली अन्य व्यापार की योजनाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया । सस्ते गल्ले की दूकानों की एक योजना हमने चला रखी है । लेकिन उसके बावजूद भी दो-तीन दिन पहले बताया गया कि कानपुर और दूसरे शहरों में जो चीजें आपकी फेयर प्राइस शाप्स पर मिलती हैं, उससे मंहगे दामों पर मिल रही हैं । इसका कारण यह है कि जिस ढंग से उस क्षेत्र में प्राइस फिक्सेशन पालिसी होनी चाहिये, उस ढंग से नहीं है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि कभी यह राज्य अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा ।

इसके अतिरिक्त जो सब से बड़ी समस्या है उत्पादन की, जिसका आधार भूमि ,है माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कबूल किया कि ७५ प्रतिशत लोग भूमि पर आश्रित हैं, उस भूमि के कानून को देखा जाय तो एक मामूली-सी भूल या जान-बूझ कर की गयी गलती का नतीजा यह है कि पटवारी को काबिज लिखने का अधि कार देने से आज हजारों किसान खेत बिना हो गये । वकीलों का घर भर गया है । यह भूमि कानून की हालत है, जिस भूमि पर राज्य का बहुत ज्यादा किसान आश्रित है । बार-बार कहा जाता है कि भूमि-समस्या जो इस राज्य की बुनियादी समस्या है उसके लिए एक निश्चित नीति और कानून बनाइये, लेकिन छोटे-छोटे संशोधन तो कभी-कभी ला दिये जाते हैं जो पिछले प्राविजन्स से मेल नहीं खाते हैं । नतीजा यह होता है कि हाईकोर्ट उनको अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर देता है । भूमि के सम्बन्ध में अभी कुछ दिनों पहले हमारे सामने एक कानून लाया गया । समझ नहीं पाया मैं कि इस कानून को लाने के पहले वह क न सा सिद्धान्त था जिसके आधार पर यह तय किया गया कि ४० एकड़ अधिक से अधिक सीमा भूमि की होनी चाहिए ? एक ऐसे राज्य में जहां कि जनसंख्या दिन रात बढ़ती जा रही हो और साढ़े छः करोड़ इन्सानों के राज्य में जो राज्य कि दूसरों से मांगकर अन्न खाता हो उस राज्य में ४० एकड़ सीलिंग का क्या अर्थ है ? एकोनामिक होल्डिंग्स अगर सवा छः एकड़ आप मानते हैं तब भी ४० एकड़ एक परिवार के ऊपर देना यह कोई समाजवादी ढंग नहीं था और वह भी ऐसे ढंग से दिया गया । मान्यवर, मैं पूछता हूं कि उस सीलिंग के कानून से कितनी भूमि मिल जायगी जिसे आप भूमिहीनों को बांट सकेंगे ? भूमिहीनों के लिये कुछ जमीन इधर पीलीभीत और कहां-कहां, सुनता हूं, दी जाती है । मैं जानता हूं और दावे के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भूमिहीन किसानों के नाम पर वहां जमीन ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके पास भूमि है । ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं ।

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—बिलकुल गलत ।

श्री रामायणराय—सौभाग्य से हमारे अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं । मैं जिम्मेदारी के साथ और चुनौती के साथ कहता हूं कि जिन लोगों के नाम मैं देता हूं और सबूत देता हूं, आप जांच कराइये कि उनके पास भूमि है या नहीं ।

तो मान्यवर, भूमिहीनों को भूमि कितनी मिलेगी इस सीलिंग के द्वारा ? मैं सोचता था कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम उसका समावेश तो होगा ही ? शुरू से आखीर

तक पन्नों को पलट गया। कहीं उसका पता नहीं चला कि इस कानून के द्वारा जिसके बनाने में लाखों रुपया खर्च हुआ, सदन के कई कीमती दिन व्यतीत हुए, उस कानून से कितने लोगों को जमीन मिलेगी?

पूर्वी जिलों का तो अजीब हाल है। योजना में यदा-कदा कह दिया जाता है कि ८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और एक-एक वर्गमील में १–१ हजार आदमी वहां बसते हैं। यह सब बातें कह दी जाती हैं, लेकिन आप ने दिया क्या है उनको? क्या यह सही नहीं है कि वहां धरती के ऊपर जनसंख्या का बोझ हलका करने के लिए आपको उद्योग-धन्धे प्रारम्भ करने चाहिये थे। कितने धन्धे आप दे रहे हैं? अगर देंगे भी तो कहीं नैनी में खोल देंगे या वाराणसी में दे देंगे। बस, उसके आस-पास खुल जायेंगे। राष्ट्रीय डेवलपमेंट कौंसिल का यह फैसला है कि अगर विकास होना है तो समग्र विकास होना चाहिए। पिछड़े भागों में कितने कारखाने आपने लगाये? वाराणसी का विकास हो जाने से पूर्वी जिलों का विकास हो जायगा? मान्यवर, मैं आप के द्वारा यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? पश्चिम के भाई नाराज हो जाते हैं, जहां कहीं पूर्वी जिलों का नाम आया वह समझ जाते हैं सारा रुपया पूर्वी जिलों को चला जा रहा है और पूर्वी जिलों को मिलता क्या है? जो आपके लिए चीनी पैदा करते हैं, जिसके बिना आप जिन्दा नहीं रह सकते, उस चीनी पैदा करने वाले इलाके को आप क्या दे रहे हैं? कोई निश्चित योजना है? लिख दिया आपने कि कुछ सिंचाई की योजनायें वहां चालू की जायेंगी, छोटी योजनायें चालू की जायेंगी। फिर लिख दिया गया कि चूंकि छोटी योजनायें बरसात में गड़बड़ हो जायेंगी इसलिये कुछ बड़ी योजनायें चालू की जायेंगी। मैं तो यह जानना चाहता था और उम्मीद लिये बैठा था कि डेढ़ करोड़ के उस भू-भाग में जहां हजारों नवजवान बेकारी के शिकार हो रहे हैं, उस भू-भाग को आप कौन-कौन से धंधे दे रहे हैं? और जो धन्धे आज खुलते हैं उन धन्धों में एम्प्लायमेंट देते समय क्या इस बात का भी खयाल रखा जाता है कि यह पूर्वी जिले का है या नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर हमारे यहां इंजीनियर नहीं पैदा होते तो चपरासी तो पैदा होते हैं, क्लर्क तो पैदा होते हैं, लेकिन जितने भी कारखाने खोले गए हैं उनमें एक भी वहां का नहीं रखा गया है?

(व्यवधान)

पर्वतीय जिलों की उपेक्षा की बात कहां तक कहें? बुन्देलखंड की बात में पढ़ रहा था। उनके लिये मीठे पानी का इन्तजाम किया जा रहा है। प्रगति की बात जब कही जाती है तो यह कह दिया जाता है कि अब तो मोटे अनाज की जगह लोग चावल खा रहे हैं और अब हमारे गांवों में पक्के मकान बन गए हैं। अब हम रे लोग मोटा नहीं महीन कपड़ा पहन रहे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक भेद है। गुड़ की जगह चीनी खाना प्रगति का लक्षण नहीं है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि प्रगति का अर्थ वास्तव में वह होता है कि अगर हमारे राज्य में १ लाख व्यक्ति बिना मकान के होते और उनमें से ५०,००० को आपने मकान दे दिया होता। राज्य में यदि दो करोड़ व्यक्ति बेकार हैं और उनमें से आपने एक करोड़ को रोजगार दिया तो वह वास्तव में प्रगति है। मगर गुड़ की जगह चीनी खाना प्रगति का लक्षण नहीं है। एक तरह से सेल्फ कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। आप स्वयं कबूल करते हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी है और अन्य राज्यों के मुकाबले में हम पिछड़े हुए हैं।

शिक्षा के बारे में मैं क्या कहूं। यह उत्तर प्रदेश, जिसमें तुलसीदास हुए, कबीर हुए तथा बुद्ध हुए, ऐसे महर्षि जहां पैदा हुये, उसका सिर शर्म से झुक जाता है, जब हम दूसरे राज्यों की ओर निगाह उठाते हैं। आज उड़ीसा और बिहार के मुकाबले में हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इतने स्कूल, कालेज खुल गये, इतने लाख व्यय बढ़ गया है, लेकिन १९४७ में जहां एक मास्टर २० लड़कों को पढ़ाता था वहां आज एक मास्टर पर ४० लड़के पढ़ाने के लिये लाद दिये गये हैं। बड़ी तरक्की हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता—आप का समय समाप्त हो गया।

*श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस आवश्यक विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिस पर आज चर्चा हो रही है, का हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो विचार सदन में प्रकट किये हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि किसी भी देश की जो योजना होती है उसकी अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि वह थोड़े से पैसे में, सस्ते ढंग से, अच्छे तरीके से सफल हो और उससे देश के रहने वालों को लाभ मिल सके। इस योजना के अन्दर इस बात की कोशिश की गई है कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और उसके रहने वालों को सुख-सुविधा प्राप्त हो। बड़ी खूबी इसके अन्दर एक यह है कि इसमें यह कोशिश की गयी है कि नीचे से कुछ विचार लेकर ऊपर उन्हें ठीक से ओत-प्रोत करके कार्य करने की कोशिश की गयी है और उन्हें किया जायगा। यह एक बड़ी खूबी है इस योजना की। हमारे पूज्य महात्मा गांधी का यह आदेश था कि हम देहात का उद्धार करें, देहात की तरफ चलें।

(इस समय ३ बज कर १३ मिनट पर अधिष्ठाता ,श्री मलखानसिंह पीठासीन हुए।)

परन्तु देहात की तरफ अभी तक कदम नहीं बढ़ा था आज उसकी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जीता-जागता नमूना हम देखने जा रहे हैं और हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हमने किया है। अगर यह कहा जाय कि कुछ नहीं हुआ है, तो यह बात माननीय नहीं है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि जितना होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है और यह बात सही है, लेकिन काम हुआ है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आज प्रदेश के लोगों के रहने की दशा में, कपड़े की दशा में, उनकी एजूकेशन में बहुत कुछ सुधार हुआ है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। हां, जिन चीजों की तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होना चाहिये उनकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिये, देने की जरूरत है।

आज देश में गरीबी है। हमारे देश में आज ८५ फीसदी आदमी खेती पर निर्भर हैं। अगर उनका जीवन खेती पर ही निर्भर रहे तो हम उन देशों के मुकाबले में उतनी उन्नति नहीं कर पायेंगे। हम यह समझते हैं कि खेती ही केवल हमारे लिये उन्नति का जरिया नहीं है, उसके लिये और दूसरे उद्योग धंधों का होना भी अत्यन्त जरूरी है। इसके लिये आवश्यकता है कि हमारे प्रदेश में उद्योग-धंधे बढ़ाये जायं। जब हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ाये जायेंगे, तभी हम दूसरे प्रदेशों का मुकाबला कर सकेंगे और अपनी बेरोजगारी की समस्या को भी हल कर सकेंगे। आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या एक भयानक समस्या है और इस समस्या को अभी तक हम नहीं सुलझा पाये हैं। हम अपनी थर्ड फाइव ईयर प्लान में कितनी बेकारी को दूर कर पायेंगे, इसका उल्लेख भी इसमें होना चाहिये था। आज प्रदेश में लाखों, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मकानों की भी हमारे सामने एक समस्या है। आज हमारी गरीब जनता अधिकतर ऐसी बस्तियों में रहती है जहां कोई भी भला आदमी रहना पसन्द नहीं करेगा। आज हमारे यहां छुआ छूत भी बहुत अधिक है। इसलिये हमको अपनी इस प्लान में गन्दी बस्तियों के सुधार की ओर भी ध्यान देना होगा।

हमारे प्रदेश में हरिजन और पिछड़े भाइयों की भी एक समस्या है। वे काफी पिछड़े हुए हैं और उनके सुधार की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। इनके सुधार के लिये हमें कार्य करना पड़ेगा। अगर यह केवल कागज तक ही सीमित रहता है और हम इस ओर कोई कदम नहीं उठाते तो हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। हमारे जो राज्य के कर्णधार हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको इस योजना के कार्यान्वित करने में पूरा सहयोग देना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और मुझे कहनी है और वह यह कि हमारी योजनाओं की सफलता जनता के सहयोग पर ही निर्भर है। जनता के सहयोग के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। आज जरूरत इस बात की है कि सब मिल कर इन योजनाओं को पूरा करने में अपना सहयोग दें। आज हमें चाहिये कि हम दूसरे देशों से अन्न न मंगायें। आज हमारे लिये बड़े-बड़े उद्योगों की जरूरत है, किन्तु साथ ही हमें छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देना है। गांवों में छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर ही हम बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने सीलिंग का भी जिक्र किया। हमने जो ४० एकड़ की सीलिंग रखी है इसके द्वारा भी हम बहुत कुछ बेकारी को दूर कर सकते हैं। उस समय साढ़े १२ एकड़ की सीलिंग का प्रस्ताव रखा गया था, अगर वह स्वीकार होता तो हम और भी अधिक बेरोजगारी की समस्या को हल कर पाने में सफल होते।

इसके अलावा हमारे यहां भिखमंगों की भी एक भीषण समस्या है। इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिये। भिखमंगी हमारे यहां का निहायत ही गन्दा पेशा है। इस ओर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। इसके लिये पंचवर्षीय योजनाओं में जिक्र है और इस ओर हमें सफलता भी मिली है, पर हमें अभी काफी ध्यान प्राइमरी एजूकेशन की तरफ देना है। आज हमारी जो शिक्षा है वह हमें प्रैक्टीकल योजनाओं की तरफ नहीं ले जा रही है। बल्कि एक दफ्तरी बनाने की तरफ ले जा रही है। इसलिये इस तरफ भी ध्यान होना चाहिए कि एजूकेशन हो हमारे उत्थान के लिये और हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए।

इस योजना में हमारे देश के एक-एक बच्चे, एक-एक व्यक्ति को हाथ बटाना चाहिए। वह अपना थोड़ा-थोड़ा सहयोग देकर इस योजना को कामयाब करें ताकि दूसरे देशों के जो हम कर्जदार हैं और कर्जा लेना पड़ता है, वह न लेकर हमारे प्रदेश के हाथ में ही यह बात हो। बेकारों को रोजगार मिले और खेती की भी समस्या हल करनी है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसका ध्यान कृषि की तरफ बढ़ा है।

मैं समझता हूं कि इन सब बातों से हमारा प्रदेश उन्नति कर पायेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एक नयी परम्परा प्रदेश में डाली है। आज से दो बार पहले पार्लियामेंट के मेम्बरों का कनवेंशन किया गया और आज पहला मौका है जब कि हम सदन में तृतीय योजना पर विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया कि हमारे सूबे की बहुत बड़ी आबादी खेती के ऊपर निर्भर करती है, हम उसकी तरफ से आंख नहीं मूंद सकते। हमको विचार करना है कि जब प्रदेश की आबादी के ७५ फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं तो उसके रहन-सहन का स्तर कितना ऊंचा उठा है, मकान की समस्या कितनी हल हुई है, सिंचाई और कृषि के साधनों या भूमि सुधार के जरिये जो इतनी बड़ी आबादी को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं उससे उसका फायदा कहां तक हुआ, इस पर भी विचार करना है।

आप देखेंगे कि १३ वर्षों के बाद आज हमारी खाद्य समस्या उसी तरह से उलझी हुई है जिस तरह से पहले थी। सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किये जाते हैं कि उत्पादन बढ़ गया, मैं उनके जाल में नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार इसके ऊपर जरा सोचे। आज खाद्य का उत्पादन बढ़ा नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि जो खामी हो उसको लोग बता दें, इसलिये सरकार इस पर ठंडे दिल से गौर करे कि हमारा उत्पादन कितना घटा या बढ़ा है, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगी कि मुश्किल से सवा परसेंट बढ़ा है। ७–८ फीसदी उत्पादन बढ़ा है तो साढ़े पांच फीसदी के करीब हमारे यहां जमीन बढ़ी है इससे साफ मालूम होता है कि मुश्किल से १।। फीसदी उत्पादन बढ़ा है। तो यह समस्या बहुत जटिल है। भूमि सुधार के बावजूद भी आर्थिक हालत किसानों की इतनी खराब है कि कहा नहीं जा सकता। आज बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं

[श्री ऊदल]

है। लोग ताल से और रद्दी पानी ले कर पीते हैं। रामायणराय जी ने इशारा किया, हम चाहते थे कि सूबे में हदबन्दी का जो कानून बने उससे जमीन जोतने वालों के हाथ में जमीन जाय, लेकिन इस सदन ने जो कानून बनाया उससे कोई जमीन मिलने वाली नहीं है। ७०–७५ फीसदी किसानों के पास ५ एकड़ जमीन है और ३५ फीसदी से ज्यादा जमीन मुश्किल से ३ फीसदी लोगों के हाथ में है: कानूनी सुधार के बावजूद भी इतनी खराबियां हैं कि जिन लोगों के हाथ में जमीन है वह इस कानून के पंजे में नहीं आ सके और तिकड़म के जरिये जमीन को बचा ले गये। इसलिये इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में सिंचाई का मुख्य स्थान है इसलिये इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें कि अरबों रुपया खर्च करके जो सिंचाई के साधन जुटाये गये उनका किसान ठीक से उपयोग कर रहा है या नहीं। सन् १९५३ से जब से कि सिंचाई रेट बढ़ा तब सिंचाई का क्षेत्रफल बजाय बढ़ने के और सिकुड़ता जा रहा है। इसलिये आज सिंचाई रेट में कमी करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकें, सस्ते रेट पर दे सकें और समय पर दे सकें ताकि अन्न की पैदावार बढ़े।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात यह कही कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का २० करोड़ रुपया खर्च नहीं किया जा सका और उसके सम्बन्ध में उन्होंने कई दिक्कतें बतलाईं। उन्होंने एक दिक्कत विदेशी मुद्रा की बतलाई। मैं इस कठिनाई को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सिर्फ विदेशी मुद्रा की ही दिक्कत थी। टांडा पम्प्ड कैनाल के लिये पहले ६ पम्प मंगाये गये, आज भी चार पम्प मंगाने बाकी हैं। अब सरकार ने जर्मनी की एक फर्म को उसके लिये ठेका दिया है, वह पम्प शायद अगले वर्ष या उससे भी देर में यहां पहुंच सकेंगे। इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक-एक पम्प पर डेढ़ लाख ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है जब कि शुरू में कोई दिक्कत नहीं थी उसी समय इन पम्पों को मंगा लेना चाहिये था।

इसके अलावा श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो नक्शा या प्रारूप बनाती है उसे अफसरान दफ्तर में ही बैठकर न तैयार कर लिया करें क्योंकि उसमें ज्यों-ज्यों दिन बढ़ते हैं वह योजना खर्चीली होती जाती है। टांडा पम्प्ड कैनाल पहले ६५ लाख की योजना थी जो कि अब १०८ लाख की हो गयी है। नहर की लम्बाई तो केवल चार मील ही बढ़ी, लेकिन रुपया करीब-करीब दूना हो गया। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि यहां से जो रुपया स्वीकार किया जाय उसके लिये माननीय सदन का कर्त्तव्य है कि वह जानकारी रखे और यह जांच पड़ताल करे कि वह रुपया उन कामों में इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं। हमारे यहां आज उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे हैं। बनारस का पीतल के बर्तनों और साड़ियों का उद्योग और कालीन का उद्योग जो मिर्जापुर, कछवा और भदोही की पूरी तहसील में छाया हुआ है वहां एक मजदूर को दिन में सिर्फ दस, आठ या ६ आने मिलते हैं, यह सारे उद्योग चौपट होते जा रहे हैं। तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिये यह छोटे-छोटे उद्योग कैसे पनपें, इस पर हमें विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। इन उद्योगों के बाजार मुख्य रूप से विदेशों में हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि इनकी कोआपरेटिव सोसायटीज खोलें और दिल्ली में एक सेन्टर कायम करे और विदेशों में अपने एजेन्ट मुकर्रर कर के इन उद्योगों को प्रोत्साहित करे क्योंकि इनमें लाखों आदमी लगे हुये हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमको ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण करना है। श्री रामायणराय जी ने कहा कि ज्यादातर रुपया बनारस में जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर अगर आप देखें तो एक आध जगह छोड़कर आज तक जब कि दो योजनायें व्यतीत हो गईं कोई सड़कें नहीं पूरी हुईं। खास बनारस की तहसील में एक सड़क भी नहीं बनी। अगर

ज्यादा से ज्यादा सड़कों के बनाने की बात हो तो मेरा सुझाव है कि कुछ सड़कें हमारे यहां बहुत जरूरी हैं, जैसे पंचकोशी सड़क उस को बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है उस सड़क को शीघ्र पूरा होना चाहिये क्योंकि दूसरे देशों के यात्री उससे आते-जाते हैं। दूसरी सड़क भोजूबीर से सिधोरा होते केराकत जाती है, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये। बाबतपुर एरोड्रोम भी एक खास जगह है, वहां भी २-३ सड़कें मिलती है। आज भी एक सड़क बाबतपुर एरोड्रोम से बड़ागांव होते हुये कालका धाम को जाती है दूसरी बसनी से जमालपुर जाती है। उनको बनाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लोग वहां आते हैं। कालकाधाम के पास वरुणा नदी में पुल नहीं है जिस पर हजारों आदमी प्रतिदिन गुजरते हैं, उसके न बनने से काफी कठिनाई लोगों को होती, उसको भी शीघ्र बनना चाहिये। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इन बातों की तरफ जरूर ध्यान दें तथा मंत्री जी पिछली पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन करायें कि उनके द्वारा प्रदेश की तरक्की हुई है या नहीं, इससे उनको तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहायता मिल सकती है।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे सामने माननीय मुख्य मंत्री जी ने तृतीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया। उससे उनकी प्रदेश को ऊंचा उठाने की लगन जाहिर होती है तथा उससे उनके देशभक्त होने का भी प्रमाण मिलता है। मगर उसके साथ ही साथ उससे उनकी कुछ बेबसी जाहिर होती है। उनकी इस बेबसी को हम भी अनुभव करते हैं। उस बेबसी को, थर्ड प्लान का जो इन्ट्रोडक्शन प्लानिंग सेक्रेटरी ने लिखा है, उसमें भी हम देख सकते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है—

"The Third Five-Year Plan for the State has been drafted on the basis of studies conducted by the Working Groups set up by the State Government for this purpose and within the frame-work indicated by the Planning Commission."

यानी जो फ्रेम वर्क प्लानिंग कमीशन द्वारा तैयार किया गया है उसके अन्दर रह कर ही यह प्लान तैयार किया गया है।

श्रीमन्, हम अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर रहे हैं। दो पंचवर्षीय योजनाऐं बीत चुकी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक स्वाभिमानी की तरह यह भी कहा कि हम भीख नहीं मांगते है बल्कि हक मांगते हैं। आज सारे हिन्दोस्तान का जो प्लान बनता है उसका एक हिस्सा हमारे प्रदेश को भी मिलता है क्योंकि अभी तक प्लान को रुपये के हिसाब से ही जांचा जाता है कि कुल कितना रुपया मिला और उसका कितना हिस्सा हमें मिला। मुझे तो यह कंसेप्शन ही गलत लगता है। क्योंकि अभी तक जितना रुपया खर्च हुआ है उससे यह प्रत्यक्ष हो चुका है कि केवल रुपया से किसी मुल्क की उन्नति नहीं हो सकती है बल्कि जब तक इस मुल्क का प्रत्येक स्त्री-पुरुष का यह ख्याल न हो जाय कि यह प्लान मेरा है अथवा यह प्लान पीपुल्स प्लान है तब तक हजारों साल में भी तरक्की होना मुश्किल है। पिछली दो पंचवर्षीय योजनायें पूर्ण होने के बाद हमें यह देखना होगा कि हमने कितनी तरक्की की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने १६५८ करोड़ रुपया विदेशों से सहायता के रूप में प्राप्त किया। जिसमें से १३१५.९४ करोड़ कर्ज के रूप में और ३४२.१३ ग्रान्ट्स के रूप में प्राप्त किया। इतना सारा कर्जा लेकर यह प्लान चलाई जा रही है।

श्रीमन्, दो प्लान समाप्त हो चुके हैं और जो तीसरे प्लान का प्रारूप हमारे सामने पेश है, स्पष्ट है कि यह किसी पार्टी बेसिस पर नहीं बना है। आज के माननीय मुख्य मंत्री जी के व्याख्यान से भी स्पष्ट है कि राष्ट्रिय भावना से ही इस प्लान को देखना चाहिये। इस प्लान को जो किताब है उसके पेज ३ पर इस बात को कबूल किया गया है कि और

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

स्टेट्स के मुकाबले में इस प्रदेश की नेशलन एकोनामी में आल राउंड गिरावट आयी है । इसके साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि हमने दो पंचवर्षीय योजनाओं में क्या-क्या अचीव किया है । श्रीमन्, कागज पर बेशक लिखा हुआ है कि हमने ये ये अचीवमेंट किया है । लेकिन मैं क्या कहूं ? "तू कहे कागज में लेखा, मैं कहूं आंखिन देखा" । कागज में कुछ है और असल में कुछ और है । उदाहरण के लिये मैं आपके सामने एक मामूली उदाहरण पेश कर रहा हूं । हमारे पर्वतीय जिलों में कुछ ऐसे गांव हैं जहां के लोग ६ महीने के लिये अपने बाल-बच्चों और पशुओं के साथ तराई में उतर आते हैं, वहीं पर कमाते खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर कुछ बचा कर ले जाते हैं जिससे अपनी गुजर बसर ६ महीने तक पहाड़ों पर करते हैं । श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने से यह बात चली आ रही है । यह कितने शर्म की बात है कि दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी जिन पर अरबों रुपये खर्च हो चुके और आज जनता का एक तबका ऐसा है जो खानाबदोशी करता फिरता है, उस तरफ हमारा ध्यान न गया । एक बिलकुल उल्टी बात है कि जिन पहाड़ों की तराई के जंगलों में जा कर वे रहते थे और उसी जंगल के आश्रित रह कर अपना जीवन यापन करते थे, अपने पशुओं को जंगल से चरो-चरा लाते थे और उनको पालते थे, उन पर रुकावट डाल दी गयी । उसके लिये मैंने हजारों बार सरकार से कहा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया ।

आप देखेंगे कि इसमें जहां डेलपमेंट की बात है वहां फारेस्ट का क्या डेवलपमेंट होगा, इस सम्बन्ध में भी लिखा है । फारेस्ट के सिलसिले में इस किताब के पेज ७४ पर पैरा ८४ में जो लिखा है उसको देख कर मैं तो दंग रह गया । उसमें लिखा है—

"A Scheme to supplement the 'Manure and Fertilizer Programme' of the Agriculture Sector will be pushed up in the shape of extension of forest area round villages."

मान्यवर, इसे देख कर तो मैं भय से कांप जाता हूं । हमने जो दो पंचवर्षीय योजनाओं में अचीव किया है उससे हमको सबक लेना चाहिये । जो कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया से शिकायत थी और जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के शार्ट फाल रह गये हैं उनका भी तज्करा इस किताब में है । लेकिन जिस-जिस प्रकार के शार्ट फाल का जिक्र किया गया है उस सम्बन्ध में मेरा थोड़ा मतभेद है । मैं समझता हूं कि आज तक हम जिस प्रकार से चले हैं उससे हम जनता में यह विश्वास नहीं पैदा कर सके हैं कि यह प्लान जनता का प्लान है । दूसरी बात यह है कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना शुद्ध और मजबूत हो कि वह प्लान को पूरी तरह से आगे बढ़ा सके, यह उसकी बुनियादी चीज है । अभी प्लानिंग कमीशन के चेयरमेन ने भी कहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट, शुद्ध और मजबूत हो ।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने और बातों की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा है कि डिपार्टमेंट्स में कोआर्डिनेशन नहीं रहा । इसको उन्होंने कबूल किया है और हमारी भी यही शिकायत है । माननीय मंत्री जी तथा स्टेट गवर्नमेंट को मेरा सुझाव है कि जहां उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से यह सब शिकायत की है कि यहां का एलोकेशन कम हुआ है रुपये के हिसाब से और वह ज्यादा होना चाहिए, और जैसा उन्होंने कहा है कि उनको बंदिश में रख दिया जाता है, तो यह बातें वहां तक पहुंचाई जानी चाहिए कि इस प्लानिंग का जो सेट-अप है इसको आमूल-रूप से सोचने की जरूरत है । अगर दो वर्ष की देरी भी की जाय इस तृतीय योजना को लागू करने में तो कोई हर्ज नहीं है । यह कोई जरूरी नहीं है कि दो योजनाएं जिस तरह से चली हैं, बिना उनके नतीजों को देखे हुए, यह भी उसी तरह से चले । मेरी स्टेट गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट तक तथा प्लानिंग कमीशन तक इस बात को पहुंचाया जाय कि जनता आज तक नहीं समझ सकी है कि यह पीपुल्स प्लान है । इसके कारणों को खोजकर दूर किया जाना चाहिए, चाहे इस प्लान में कदम रखने में हमें कुछ देरी हो जाय. . . .

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त ।

***श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मसविदा पेश किया है उसको हम लोगों ने पढ़ा । मैं तो समझा नहीं । असल में योजना का मतलब क्या है ? जहां तक मैंने समझा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि योजना का मतलब है कि हमारे देश के जितने भी साधन हैं उन सबका उपयोग हो जाय, और साथ ही साथ हमारे देश का उत्पादन बढ़े ।

अधिठाता महोदय, इस योजना में बुनियादी गलती यह है कि इस योजना का ३/४ रुपया बड़े कामों पर खर्च होता है और १/४ छोटे कामों पर । बड़े काम में जो रुपया खर्च होगा उससे फायदा पहुंचेगा बड़े लोगों को और छोटे कामों में जो खर्च होगा उससे फायदा पहुंचेगा छोटे लोगों को, जो गरीब हैं उनको । यह सरकार विदेशी मुद्रा का नाम लेकर कहती है कि हमारे सामने यह कठिनाई पैदा हो गयी । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप विदेशी मुद्रा के झगड़े में फंसते ही क्यों हैं । मिसाल के तौर पर, सरकार ने रिहन्द बांध बनवाया । कंकरीट का बनवाया । इस बांध को बनाने में विदेशी मशीनों का बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया गया । अगर सरकार इसी बांध को ईंट का बनाती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रदेश के लाखों व्यक्तियों को काम मिला होता और सीमेंट भी कम खर्च होता जो दूसरे कामों में काम आता ।

इसी तरह से माताटीला, शारदा सागर बांध और दूसरी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं जिन पर अरबों रुपया खर्च किया गया है । अगर इस रुपये को छोटी-छोटी योजनाओं में लगाया जाता तो आज गरीब किसान और खेतिहर मजदूर इस काबिल हो जाता कि उसे काम मिल जाता, वह पैदावार बढ़ाता और अपनी तरक्की भी करता । लेकिन यह सरकार तो प्रदेश के अन्दर लोगों को दिखाना चाहती है कि हम काम करते हैं । जो विकास का काम करते हैं वह सड़कों के किनारों पर करते हैं और बोर्ड लगा देते हैं ताकि आने-जाने वाले लोग देखें और समझें कि सरकार काम कर रही है । तो मान्यवर, ३/४ रुपया योजना का छोटे कामों पर खर्च किया जाना चाहिए और १/४ बड़े कामों पर ।

मैंने किताब को पढ़ा । खास तौर से तीन क्षेत्रों की तरफ सरकार का ध्यान है । पूर्वी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखंडी क्षेत्र । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भी आबादी की बिना पर केन्द्रीय सरकार से पैसा मांग रहे हैं और उनका कहना है कि पिछड़े हुए जो प्रदेश हैं उन पर सरकार कुछ थोड़ा-बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन आबादी के लिहाज से केन्द्रीय सरकार को हमको पैसा देना चाहिए इसी तरीके से मैं सरकार से कहता हूं कि विशेष क्षेत्र के लिये पैसा खर्च न किया जाय । बनारस, बहराइच या झांसी की तरफ ही पैसा न खींचा जाय बल्कि प्रदेश के अन्दर जितने जिले हैं उनकी आबादी के हिसाब से पैसा खर्च किया जाय तभी यह योजना कामयाब होगी ।

मुख्य मंत्री जी कहते हैं मूल्य संतुलन जब तक नहीं होगा तब तक योजना सफल नहीं हो सकती है । बिलकुल ठीक है । सोशलिस्ट पार्टी ने तो दाम नीति के सिलसिले में कई साल से नारा बुलन्द किया है । अगर वाकई सरकार गरीबी दूर करना चाहती है तो चीजों के दाम बांधे । आज दाम नीति न होने के कारण प्रदेश का अरबों रुपया चन्द लुटेरे लूट लेते हैं । हमारी पार्टी ने कहा है कि गल्ले का दाम २ फसल के बीच में १ आना सेर से अधिक नहीं होना चाहिये इससे गरीबों को भी राहत मिलेगी और शहर के लोगों को भी फायदा होगा ।

दूसरा उसूल सोशलिस्ट पार्टी का है कि कारखाने की चीजों का दाम इस तरह से लगाया जाय जितना उस पर लागत खर्चा आया उससे डेढ़ गुने से ज्यादा नहीं बिकना चाहिये । जैसे शकर दाना ८ आने सेर तैयार होता है तो हर उपभोक्ता को १२ आने सेर से ज्यादा दाम न देने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रूमसिंह]

पड़ें। इसी तरह से किसान के कच्चे माल और मिलों के माल के मूल्य में ऐसा संतुलन होना चाहिये जिससे किसान को परता पड़े। क्या सरकार इसको अपना रही है ?

कांग्रेसी सदस्य कहते हैं कि शिक्षा बढ़ी है। हम भी मानते हैं तादाद बहुत बढ़ गई है शिक्षा के क्षेत्र में और उन्नति हुई है। लेकिन इनकी शिक्षा पद्धति कैसी है ? कोई भी हाई-स्कूल पास लड़का या बी० ए० पास लड़का नौकरी के लिये घूमता है, लेकिन शारीरिक परिश्रम करने के लिये तैयार नहीं है। अगर वाकई शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा का यह असर लाजमी पड़ना चाहिये। जैसे इंजीनियर है तो काम के समय उसके हाथ साफ न हों, उसके कपड़े तथा हाथ सने हुए हों। लेकिन क्या आप कह सकते है कि कोई भी ओवरसियर, इंजीनियर तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसा मिलेगा जिसके हाथ काम के समय सने हुए हों। साफ कपड़े पहने हुए ही मिलेंगे।

कृषि के क्षेत्र में देखें, मुख्य मंत्री जी कहते हैं ७४ फीसदी आदमी खेती पर निर्भर है, उसका क्या आलम है ? यह सरकार खेती की गहराई की तरफ नहीं देखती है बल्कि उसके फैलाव की तरफ देखती है। यह सरकार कोशिश नहीं करती कि थोड़ी खेती से ज्यादा उपज पैदा करे बल्कि छूट दे दिये है कि एक एक आदमी हजारों एकड़ जमीन रख सके। सीमा आरोपण विधेयक में जमीन के फैलाव की तरफ सरकार ने नजर डाली, गहराई की तरफ नजर नहीं डाली। इन्हीं तमाम चीजों को देखने से पता चलता है कि यह योजना जनता की नहीं है बल्कि सरकार के मंत्रियों की है या नौकरशाही की है। यों तो सरकार ने पिछली दो योजनाओं में ८, १० लाख आदमी ऐसे तैयार किये हैं जिनकी तरक्की हुई है, लेकिन बाकी जनता गरीबी की दल-दल में फंसी हुई है। वह लोग कौन हैं ? जिनको सरकार की मेहरबानी पर नौकरी मिल गई। बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, तहसीलदार और इंस्पेक्टर बना दिया गया या परमिट देकर सरकार ने मेहरबानी दिखाई तो उसको बाजार में बेच कर पैसा कमा लेता है और आमदनी कर लेता है। इतना ही मुझे कहना है।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो एक ऐसी जगह से आया हूं जो बहुत पिछड़ा हुआ तथा गरीब इलाका है। हम सोचते थे कि रियासत जब मर्ज होगी तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी रियासत का किसी तरह से उद्धार नहीं किया जा सका। १७, १८ रुपये एकड़ लगान वहां अब भी लगता है जबकि और जगह ६ रुपये, ४ रुपये और ३ रुपये एकड़ लगान लिया जाता है। नहरों की हालत भी वहां अच्छी नहीं है, सड़कों के साधन ठीक नहीं है। एजूकेशन के लिये भी कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है। सन् ६२ आयेगा तो हम जनता से क्या कहेंगे। हमने क्या काम उसके लिये किया। जैसे हम पिछड़े तथा दबे हुए थे वैसे ही हम अब भी रहेंगे। हमारे यहां एजूकेशन की बहुत कमी है, उसे आगे बढ़ाना है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे बोलने का भी मौका नहीं मिलता। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि आप कुछ कहते ही नहीं।

हमारे यहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। एक सड़क घनेर, परतापुर, जिला बरेली में तीन मील है और १५ मील आगे चल कर हल्द्वानी तक चली जाती है। हर प्लान में वह आती है, लेकिन अभी तक वह बनी नहीं है। जहां मैं रहता हूं इतना कठिन रास्ता है कि सिवा हाथी के कोई नहीं पहुंच सकता। चौधरी साहब अभी एक पुल का उद्घाटन करने के लिये जीप से गये थे तो जीप कभी इधर घूम जाती थी और कभी उधर घूम जाती थी। ११,६०० रुपया मैंने अपने पास से दिया है। दो हाथी पहले मेरे पास थे अब एक रह गया है। उसकी वजह से मैं वहां पहुंच जाता हूं वर्ना पहुंच भी नहीं सकता था। इसलिये उस क्षेत्र की तरफ तवज्जेह की जाय। अगर रुपयों की कमी है तो सेंटर से कहा जाय, तो सेंटर इन्तजाम करेगा और जगहों पर तो काफी रुपया खर्च किया गया, लेकिन रामपुर में, जहां कि ८० फीसदी जनता गरीब है, पिछड़ी

और दबी हुई है वहां पर कुछ खर्च नहीं किया गया। वहां खर्च करने की अधिक आवश्यकता है क्योंकि वह बहुत पिछड़ा तथा गरीब इलाका है। हमारी स्टेट का जो इलाका मुरादाबाद से मिला हुआ है वहां मुरादाबाद का सर्किल रेट करिये, जो नैनीताल से मिला है वहां नैनीताल का सर्किल रेट करिये नहीं तो वहां की जनता क्या कहेगी और कब तक वहां की जनता बरदाश्त करेगी। इसलिये आपको वही सर्किल रेट करना चाहिये।

इसके अलावा वहां की एजूकेशन और सड़कों पर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि कम से कम हर तहसील में एक स्कूल हायर सेकेंडरी हो। स्टेट होने की वजह से तालीम वहां पहले थी नहीं क्योंकि अगर लोग पढ़-लिख जाते तो स्टेट का मुकाबला करते। एक हमारे डिप्टी मिनिस्टर वहां से चुन कर आये हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां की तरफ काफी तवज्जेह करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो आज सदन में बहुत दिनों के बाद जो एक नयी बात हुई है उसके लिये मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज प्रदेश की जो सही स्थिति है उसको सामने रखने की कोशिश की। इतनी बात जरूर है कि अगर स्टेट की असली हालत बहुत पहले वे सदन के सामने रखे होते तो इस स्टेट का अधिक भला हुआ होता। ऐसा लगता है अधिष्ठाता महोदय, कि इसके पहले जितने भी भाषण दिये गये प्लानिंग या ऐसे विषयों पर या तो वे सब गलत थे या आज का भाषण गलत है। लेकिन आज का भाषण गलत नहीं है।

(इस समय, ३ बज कर ५६ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, इतना मुख्य मंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट भाषा में कहा है कि हमारे प्रदेश के हक की हकतलफी हुई है। इसको हम बराबर कहते रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने नहीं कही। एक बार, अध्यक्ष महोदय, मैं आसाम प्रदेश में गया। वहीं के एक सज्जन थे उनसे मैंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में न भाखरा नंगल है न सिन्दरी है। इस पर उन्होंने चाय पर हंसते हुये कहा कि तुम्हारे प्रदेश में तो इंडस्ट्री आफ मिनिस्टर्स है। सेन्टर में जब मिनिस्टर की जरूरत होती है तो उत्तर प्रदेश से जाता है और जब कोई इंडस्ट्री देने की बात होती है तो वह बंगाल या और दूसरे प्रदेशों में जाती है। उन्होंने तीन, चार नाम गिना दिये जवाहरलाल जी से लेकर केशवदेव मालवीय तक। सीधी बात यह है कि प्रदेश के कल्याण की भावना ऊपर होनी चाहिये न कि राजनीति में सुप्रमेसी। उन लोगों को हमसे इसीलिये डाह है कि हमारे यहां मिनिस्टर्स की इंडस्ट्री है। लेकिन अगर दूसरी इंडस्ट्रीज हमारे यहां हों तो हमारा ज्यादा कल्याण होगा। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कही कि हमारे प्रदेश में जो गलतियां हुई हैं उसका कारण यह है कि हमारे विभिन्न विभागों में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, वे एक दूसरे को सहायता नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई सुझाव दिया जायगा तो उसका वे स्वागत करेंगे कि आज की बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल उनके नियम नहीं हैं। जो नियम सरकार के हैं, बड़े पुराने हैं। जितने मैनुअल्स हैं चाहे वह रेवेन्यू मैनुअल हो, चाहे वह जेल मैनुअल हो या बजट मैनुअल हो, जितनी कार्यप्रणालियों के लिये नियम सरकार के बने हुये हैं वे सब उस जमाने के बने हुये हैं जब योजना का युग नहीं था और आज के युग के लिये वह सारे मैनुअल्स, सारे नियम पुराने पड़ गये हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना काल के लिये नये प्रकार के नियम बनाये जांय।

पी० डब्लू० डी० के लिये मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमने कहा कि इतने मकान बना दो उन्होंने नहीं बनाये। ऐसा मालूम हुआ कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सेंक्शन नहीं आयी या कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेंक्शन नहीं आया। सबसे आश्चर्य की बात तो यह मालूम पड़ती है कि यहां से रुपया मंजूर हो जाने के बाद यह पता चलता है कि एस्टीमेट इसका सेंक्शन नहीं हुआ। लगता है कि एस्टीमेट के पहले ही सदन से स्वीकृति ले ली गयी है और उसके

[श्री गौरीशंकर राय]

सिलसिले में जमीन भी नहीं ली गयी है। इसलिये हम कहते हैं कि This is the most unplanned planning प्लानिंग का अर्थ है कि सुनियोजित ढंग से, विधिवत् काम किया जाय। जब आप एक चीज बनाना चाहते हैं उसके लिये जितनी आवश्यक सामग्री है वह सब पहले से मुहइया हो।

एक बात यह है कि प्लानिंग होती है प्राब्लम्स को सुलझाने के लिये, लेकिन प्रदेश में ज्यादा-तर प्लानिंग ऐसी हुई है जिसने प्राब्लम्स क्रियेट किये हैं। मान लीजिये कि बांध बना दिया गया, लेकिन अब हाल यह होता है कि पानी रुक गया और वाटर लागिंग हुई। तो प्लानिंग का सारा कांसेप्ट यही है और उसका सारा दृष्टिकोण यही है कि वह और उससे सम्बन्धित सारा चित्र उसके सामने स्पष्ट हो, उसका लक्ष्य और उसकी पूर्ति के साधन उसके सामने स्पष्ट हो।

हमारे स्वशासन मंत्री जी बैठे हुये हैं। कल उन्होंने कहा कि डिमोक्रेसी और प्लानिंग कंट्रेडिक्टरी चीजें हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर प्लानिंग का कन्सेप्शन डिमोक्रेटिक कन्सेप्शन नहीं है तो वह मुझे क्षमा करेंगे कि उनके मस्तिष्क में सफाई नहीं, वे भ्रम में हैं। दोनों का कन्सेप्शन बिलकुल साफ है। उनका तो सर्वोदय में और बड़ी-बड़ी बातों में बहुत विश्वास है, लेकिन उनका विश्वास है कि प्लानिंग डिमोक्रेसी में नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर क्यों डिमोक्रेसी को मानते हैं और क्यों प्लानिंग को मानते हैं। आत्मविश्वास के अभाव में, कान्विक्शंस, ईमानदारी और दृढ़ता के अभाव में प्लानिंग के अनुसार किस देश का निर्माण हुआ है। दुर्भाग्य है कि देश और प्रदेश के निर्माताओं के मस्तिष्क में सिद्धान्तों और योजनाओं में एकरूपता नहीं है और इसीलिये उनके कार्यों में प्रतिरोध और विरोधाभास दिखाई देता है। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि डिमोक्रेटिक प्लानिंग के लिये सबसे पहले हमें उन पुराने तरीकों को बदलना पड़ेगा।

मैं निवेदन करूं कि कहा गया है कि २० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने कम दिया है। हमें तो इंडस्ट्री आफ मिनिस्ट्री मिलती रही तो रुपया तो कम मिलेगा ही, लेकिन जो मिला भी २० करोड़ रुपया उसमें भी खर्च नहीं हुआ। कहते हैं कि इसके लिये अफसोस है। आपको अफसोस तो है, लेकिन यह ऐसा अफसोस है जिसे इतिहास के पन्नों से यह स्पष्ट है कि जनता ने कभी माफ नहीं किया है और आपको भी वह माफ नहीं करेगी। लेकिन आप केवल अफसोस जाहिर न करें आगे काम करें। आप ६ सौ करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। इससे अधिक आपको मिलना चाहिये अधिक मिलने का आपका हक है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि वह रुपया जो आप लें उसका सदुपयोग हो इसी का मुझे अफसोस है और वही इस प्रदेश की जनता आप से चाहती है

प्लानिंग के सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस प्रदेश के कुछ भाग बहुत बैकवर्ड कन्डीशन में हैं? यह सही है बड़ी दरिद्र कन्डीशन हमारी है। हमारे पास अगर सबसे बड़ा साधन है तो वह जनबल है। दूसरे किसी प्रकार के साधन का अभाव है। जो सबसे आवश्यक बात आज है वह यह है कि योजना के लिये हमारा जनबल, हमारे साधन और दूसरी प्राविधिक सुविधायें जो भी हों उनमें एक कोआर्डिनेशन होना चाहिये, उसमें एक सहयोग होना चाहिये लेकिन स्थिति कुछ और है। जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारे देश में इंजीनियरों और ओवरसियरों का अभाव है और उनके लिये हमें ओवरसियर स्कूल्स खोलने चाहिये। अब वह इतने ज्यादा खुलने लगे कि इस साल ३ सौ उचेवर सियर्स ज्यादा हैं। सरकार को यह नहीं मालूम है कि उसको कितने ओवरसियर्स चाहिये सरकार को यह नहीं मालूम है कि कितने आदमी इस योजना में चाहिये और कितने नहीं चाहिये। श्रीमन्, यह निश्चित बात है कि अनियोजित ढंग से कोई भी योजना कभी भी सफल नहीं हो सकती है। इसलिये श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को सजग होकर और आवश्यकता को महसूस करते हुये अपनी योजना को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, पावर के सम्बन्ध में कहा गया है कि बहुत कम काम हुआ है। मैं पुरानी बात को ही दुहराना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रदेश के पूर्वी हिस्से का जिक्र करते हुये कहा कि हमारे प्रदेश की ८२ प्रतिशत जनता खेती पर गुजर बसर करती है। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये जो किसान को बिजली दी जाती है उसकी किसान से तिगुनी कीमत ली जाती है बनिस्बत उस बिजली के जो बिड़ला जी को अल्मूनियम के कारखाने के लिये दी जाती है। अपने प्रदेश में शारदा ग्रिड का १७९ पर किलोवाट रेट है, गंगा ग्रिड का १५९ है और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस् के रहने वालों को ४६८ पर किलोवाट के रेट से बिजली मिलती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसका बड़ा खयाल मंत्री जी को है उसको तो बिजली तिगुने रेट पर दी जाती है। आज सरकार अपनी योजना में अल्मूनियम के कारखाने का महत्व कृषि से ज्यादा समझती है।

अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी बात तो आज हमारे प्रदेश में है वह बेकारी की समस्या है। आजकल हमारे यहां बेकारी बहुत बढ़ी हुई है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि हम इसका समाधान नहीं कर सके हैं और यह भी स्पष्ट कहा है कि अगले पांच वर्ष तक नहीं कर सकेंगे। श्रीमन्, आज हमारे प्लान में अगर हमारी बेकारी की समस्या का कोई हल नहीं निकला तो सब व्यर्थ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन से केवल एक ही बात कह देना चाहता हूं कि हमारे इतने बड़े प्लान में फ्लड्स से प्रोडक्शन के लिये केवल ११ करोड़ रुपया रखा गया है। मैं नहीं समझता हूं कि जितनी बड़ी नदियां हमारे प्रदेश में उतनी शायद ही किसी प्रदेश के हिस्से में हों। गंगा और घाघरा नदियां हमारे यहां बहुत बड़ी नदियां हैं। मान्यवर, मैं अपने प्रदेश की बात तो नहीं जानता, लेकिन जिस जिले से मैं आता हूं उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन प्रतिवर्ष कटकर बिहार में चली जाती है और इसकी रक्षा करने का कोई भी प्रबन्ध हमारी सरकार के पास नहीं है

अध्यक्ष महोदय, उस दिन प्रश्न के सम्बन्ध में भी यह बात आई थी। मैं आज उसको जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे देश में एक केन्द्रीय फ्लड बोर्ड है जो शहरों को बचाने के लिये तो रुपया देता है, लेकिन देहातों की रक्षा के लिये कोई रुपया उसके पास नहीं है। गांव कटते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

अब मैं आपकी योजना के सम्बन्ध में बात बताऊं। मैं उस इलाके से आता हूं जिसमें गंगा और घाघरा दोनों नदियों के किनारे हैं। इस कारण से वहां पर ट्यूबवेल्स तक नहीं लग सकते हैं और योजना का कोई काम नहीं होता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उस इलाके में, उन ब्लाकों में कोई योजना चालू न की जाय बल्कि जो रुपया वहां की योजनाओं का हो उसको फ्लड प्रोटेक्शन एंड लैण्ड इरोजन के रोकने में लगा दिया जाय। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और सुझाव यह भी दिया था कि अगर अधिक रुपयों की जरूरत हो तो वहां के लोगों पर लेवी लगाई जा सकती है और वहां के लोग पैसा दे सकते हैं। इसलिये वहां की गरीब जनता की फ्लड से तथा लैंड इरोजन से रक्षा की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्रदेश के बहुत से प्रश्न हैं। हमारे यहां प्लानिंग के लिये आवश्यकता है कि सारी चीजों की ओर सरकार को एक दृष्टि रखनी चाहिये। आज इस हालत में जब कि हम १९५० में फूड में सेल्फ सफीशेंट होने की बात करते थे। लेकिन आज १९६० होने पर भी हमारी सरकार को दूसरे देशों से अन्न मंगाना पड़ता है और सब्सीडी देनी पड़ती है। जिस देश में और प्रदेश में योजनायें चलती हों फिर भी वहां बेकारी बढ़ती हो और जो कृषि प्रधान देश हो उसमें भी सरकार को दूसरे देशों से अन्न मंगाना पड़े और सब्सीडी देनी पड़े तो हमारे लिये यह कोई गौरव की बात नहीं है। इसलिये श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो भाषण दिया गया है और उसमें जो स्पष्टवादिता रही है अगर यह ५, ७, ८ वर्ष पहले आई होती तो सारे प्रदेश का कल्याण हो जाता। फिर भी मैं

[श्री गौरीशंकर राय]

आशा करता हूं कि इस बदली हुई परिस्थिति में योजना को पूरी तेजी के साथ और जनता को प्रेरणा देकर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी । अध्यक्ष महोदय, जो योजना जनता में प्रेरणा पैदा नहीं कर सकती है वह योजना सफल नहीं हो सकती है । आज हमारे प्रदेश की सरकार को वह सब कार्य करने हैं जिससे जनता में योजना के प्रति एक प्रेरणा पैदा हो सके । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा सौभाग्य का समय है कि हम अपने प्रदेश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए अपनी पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं । श्रीमन्, बतलाया गया है कि यह जनता की योजना है । बात भी ठीक है । नीचे के स्तर से यह योजना बनायी गयी है । लेकिन मेरा जहां तक विश्वास है यह योजना चलते-चलते आखिर में, हमारे केन्द्रीय योजना सदस्य जो चाहेंगे, वैसी होगी । वही चीजें इसमें रखी जायंगी ।

श्रीमन्, मेरा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । यहां पर सबसे बड़ी आवश्यकता किसानों को सुधारने की है । मैं देख रहा हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना जो अब समाप्त होने को है, उसमें कृषि की उन्नति करने के लिए काफी उपाय किये गये, लेकिन अफसोस यह है कि हम अपनी योजना में सफल नहीं हो सके । तृतीय पंच वर्षीय योजना में भी हम अपनी खाद्य समस्या को स्वावलम्बी बनायें इसके लिए विशेष प्रयत्न किया गया है । मेरी राय में सरकार की तरफ से, खाद्य समस्या को स्वावलम्बी बनाने के लिए, काफी प्रयत्न होते हैं । खरीफ और रबी आन्दोलन बड़े जोर-शोर से चलाये जाते हैं । यहां सरकार से अन्दोलन शुरू होते हैं । फिर जिलों में जाते हैं । जिलों में भी इस पर काफी चर्चा होती है । जिलों के बाद बी० डी० ओ० या पंचायत राज इंस्पेक्टर के हेडक्वार्टर पर जा कर इनकी प्रचार योजना बनती है । लेकिन मेरा तो ऐसा विश्वास है कि वह योजना उनके दफ्तरों में ही बन जाती है, उनकी डायरियां गलत भरी जाती हैं, लेकिन किसान के पास सही ढंग से नहीं पहुंचती । आज हम देखते हैं कि किसान इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है । उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है कि हमारी तरक्की के लिए कौन-कौन योजनाएं बनती हैं ।

मैं जब देखता हूं तो आश्चर्य होता है कि आज तकावी की बात बड़े जोरों से कही जाती है । हर चीज की तरक्की की बात कही जाती है । लेकिन मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जो लोग बहुत ही चालाक और तेज होते हैं, वह तो फायदा उठाते हैं और जो सीधे-सादे काश्तकार हैं, वह उससे फायदा नहीं उठा पाते । मैंने देखा कि मेरे पास ऐसी काफी शिकायतें आती हैं । अभी हाल की घटना है, एक काश्तकार शिकायत कर रहा था, कि मेरे बैल पिछले मेले में बिक गये थे । बच्चे की शादी थी मैंने सोचा कि सरकार से तकावी मिल रही है, बैल ले लूंगा । पैसा मेरे पास नहीं रहा । मैं दूसरा प्रबन्ध नहीं कर सका । तकावी की दरख्वास्त दी । दो महीने से दौड़ रहा हूं, लेकिन तहसीलदार साहब के यहां कोई सुनवायी नहीं होती । एक दूसरा शख्श जो वहां बैठा था उसने कहा कि आप बेवकूफ हैं । अगर आप मुझे दस रुपये दें तो तकावी मैं कल मंजूर करवा दूं । मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं क्या करूं । समझ में नहीं आता कि इन जिला स्तर के अधिकारियों से कैसे पेश पाया जाय । ऐसी स्थित है । सही माने में जब तक सरकार इस स्थिति पर ध्यान नहीं देगी तब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा । मैं देखता हूं बहुत सी जगह काश्त के फायदे के लिये ट्रैक्टरों को खरीदने के लिये तकावी दी जाती है । पांच-पांच और सात-सात हजार रुपये दिये जाते हैं कि काश्त की तरक्की के लिये ट्रैक्टर लाये जायं । लेकिन वह लोग उस पैसे से दूसरा काम करते हैं । ट्रैक्टर नहीं खरीदते । मुझे ऐसी इत्तलायें मिलीं हैं । मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से शिकायत की कि क्यों नहीं इनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है जो कि गलत नाम से पैसा लेते हैं और उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में करते हैं । तो इस तरह की चीजें हैं । जब तक यह दूर नहीं होगीं तब तक सही माने में काश्त की तरक्की नहीं होगी ।

दूसरी चीज यह है कि किसी भी देश को सम्पन्न बनाने के लिये, किसी भी प्रदेश को सफल बनाने के लिये इसके बाद पहली आवश्यकता होती है यातायात के साधनों की। मैं यह जानता हूं और समझता हूं कि शरीर में रीढ़ की हड्डी या उसकी नसें जिस प्रकार उसका संचालन करने के लिये होती हैं उसी तरह से अगर यातायात के साधन सही हों, ठीक ढंग के हों तो हर काम में सफलता मिलती है। मगर हमें असन्तोष इस बात का है कि जो प्लान बनते हैं उनमें सड़कों के लिए जो पैसा दिया जाता है वह धीरे-धीरे कम हो जाता है। मुझे ऐसा खयाल है कि सड़कों की स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर मैं पिछले समय था और उसमें ऐसा मालूम हुआ कि जो पैसा केन्द्रीय योजना से मिला था सड़कों के लिए वह पैसा कम कर दिया गया। हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास करके भेजा कि सड़कों के लिए पैसे की आवश्यकता है, हमें कुछ ज्यादा पैसा मिले लेकिन नहीं मिला। इसलिए इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारे यातायात के साधन ठीक हों।

इसके अलावा श्रीमन्, उद्योग की बात आती है। मैं अपने जिले के लिए कहता हूं। मेरा जिला इटावा दुर्भाग्य से न तो पूरब में है और न पश्चिम में है, न पर्वतीय ही है। इन जिलों की बातें तो अक्सर हुआ करती हैं यह भी दुर्भाग्य है कि बहुत अरसे से हमारे यहां कोई जोरदार व्यक्ति भी नहीं रहा है जिससे कारण वहां की कोई समस्या ठीक ढंग से हल हो पाती। हम लोग काफी परेशान रहते हैं। वहां उद्योग की बात चली थी तो यह मालूम हुआ कि कागज की एक मिल खुलेगी। ऐसी सम्भावना हुई कि शक्कर की मिल होगी जिससे हमारे यहां जो बेकार हैं जिनको काम नहीं मिलता है, जो मजदूर पेशे के व्यक्ति हैं, उनको कुछ कार्य मिल सकेगा। आवश्यकता आज इस बात की है। तो मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा श्रीमन्, कि वह वहां भी इस समस्या के ऊपर सोचे। इस तृतीय चवर्षीय योजना में वहां पर कोई ऐसी कार्यवाही करे, कोई ऐसा बड़ा उद्योग वहां पर लगाये जिससे जो गरीब हैं जो मजदूर हैं उनको मजदूरी मिल सके।

श्रीमन्, इसके अलावा मेरा जिला मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। वहां पर डाकुओं की एक समस्या हमेशा सामने खड़ी रहती है। बड़ी परेशानी इस बात की है कि डाकू दिन में आकर के ग्रामों में घुसकर के २०, २० आदमिओं का कत्ल कर जाते हैं और इस समस्या का कोई हल नहीं हो पाता है। श्रीमन्, इस लिये यह आवश्यक है कि जो जगहें ऐसी हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उसमें सुधार किया जाय।

हमारे यहां दो नदियां हैं, जमुना और चम्बल। उनके पुल की बात चल रही है और काफी समय से चल रही है। इस योजना में भी शायद उसका कुछ जिक्र है। मैं माननीय निर्माण मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि सोचा जा रहा है। इन दो नदियों पर पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर मध्य प्रदेश और हमारा उत्तर प्रदेश मिल जाय तो वहां पर वह पुल बन जाय। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार के यह निवेदन करूंगा कि वह हमारे जिले की इन समस्याओं को देखें और तृतीय पंचवर्षीय योजना में उस पर विचार करें।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गयी और इस भावना के साथ प्रस्तुत की गयी कि यदि जन-सहयोग इसके लिये प्राप्त हो तो वह सफल हो सकती है। वास्तव में दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है और ऐसे समय में यह तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने प्रस्तुत की गयी है। पिछली प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें देखने से हमें पता चलता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनमें हम ठीक से सफल नहीं हो पाये हैं और अगर उन योजनाओं में हमें पूरी तरह से सफलता मिल गयी होती तो अपने सूबे की समस्यायें बहुत हद तक हल हो गयी होतीं।

देखने में यह आता है कि इन दोनों योजनाओं में, उनके अन्तर्गत हमने कृषि के लिये, कृषि की उन्नति के लिये योजनायें बनायीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि योजनाओं पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। यह इसलिये कि हमारे प्रदेश में उत्पादन बढ़े और इस के साथ ही साथ उद्योग

[श्री शिवराम]

के द्वारा भी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गयी है। ऐसा करने से बेकारी की समस्या हल हो सकेगी। लेकिन देखने में यह आता है कि आज भी सूबे के बहुत से गरीब लोग प्रान्त के बाहर अपने रोजगार की खोज में जाते हैं। पूर्वी इलाकों के लोग विशेष कर पंजाब और बंबई में रोजगार के लिये जाते हैं, मजदूरी पाने के लिये जाते हैं। गरीबों के लिये, बेकारों के लिये कोई खास योजना इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है कि जिससे उनकी बेकारी की समस्या हल हो सके। कृषि की समस्या आज भी है और अन्न के मामले में हम अपने को आत्मनिर्भर नहीं बना सके हैं। अन्न हमें आज भी करोड़ों रुपये का बाहर से मंगाना पड़ता है और अन्न के अलावा भी और बहुत सी चीजें बाहर से हमें मंगानी पड़ती हैं। उद्योग धंधे जो खोले जाते हैं वे शहरी इलाकों में खोले जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे खोलने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। आज गांव के रहने वाले कारीगर को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और आज यह दशा है कि प्रशिक्षण केन्द्रों में तो लोगों को सरकारी सहायता मिल जाती है, लेकिन गांव के कारीगर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। उनकी सहायता करने की किसी को सुध नहीं होती और वे बेकारों की श्रेणी में आते जा रहे हैं। आज हथकरघे के काम करने वाले जो कारीगर हैं उनकी स्थिति कुछ सुधरती जा रही है, लेकिन अन्य रोजगार वालों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। विकास खंडों में उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन वहां ग्रामीण उद्योग, कुटीर-उद्योग सफल होते नहीं दिखाई देते। इसके के लिये आवश्यकता है कि वहां लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय, लेकिन उनको यह कठिनाई है कि उनके पास रहने के लिये कोई ठीक स्थान नहीं होता। इसके लिये आवश्यकता है कि विकास खंडों में छात्रावास बनाये जायं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप जरा ठहर-ठहर कर बोलें ताकि रिपोर्टिंग ठीक हो सके।

श्री शिवराम—यह ज्यादा अच्छा होगा कि विकास खंडों में, जहां प्रशिक्षण की व्यवस्था है वहां, छात्रावास बनाये जायं ताकि वहां रह कर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो पिछड़े हुये और बेरोजगार हैं, उन कामों को सीख सकें और अपनी रोजी कमा सकें। ऐसा होने से ही वे लाभ उठा सकेंगे। जब वे काम सीख जाते हैं तो काम चालू करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उनको योजना बनानी पड़ती है और उसके लिये उनको जो सहायता दी जाती है वह उन तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि वे रोजगार करने के लिये सहायता प्राप्त करना चाहें तो वह शीघ्र ही उनको मिल सके।

कृषि के संबंध में, सहकारी समितियों के संबंध में, अगर देखा जाय तो पता चलगा कि जो सहायता कृषक को दी जाती है वह उसके पास तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। उसके सामने अनेक कठिनाइयां होती हैं उस सहायताको प्राप्त करने में। अभी एक माननीय सदस्य ने भी उनका जिक्र किया था। वास्तव में हमारी योजनायें करोड़ों अरबों रुपये की होती हैं और इसलिये न तो उनमें ठीक से रुपया ही लगता है और न उस रुपये का ठीक से वितरण होता है। यदि उस रुपये का सही वितरण करके ठीक से उसका उपयोग किया जाय तो बहुत सी योजनायें सफल हो सकती हैं। लेकिन आज देश में और अपने प्रदेश में जो अशान्ति दिखलायी पड़ती है वह केवल इस कारण है कि उस रुपये का ठीक से वितरण नहीं होता और करोड़ों, अरबों रुपये की संपत्ति यूं ही चली जाती है। तो जब हम देश को समृद्धिशाली बनाने की योजनायें बनाते हैं और उनके लिये करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करते हैं और यदि उस रुपये का ठीक से उपयोग नहीं किया जाता तो उस हालत में हमारे देश के लोगों को उससे फायदा कैसे पहुंच सकता है। हमको इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिये।

हमारे प्रदेश की भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जंगल से ढ़का हुआ है। हमारे सूबे का साढ़े १३ प्रतिशत भाग जंगली इलाके से घिरा हुआ है। मेरा अपना क्षेत्र जो है वह तराई इलाके में है और वह इलाका नैनीताल से लेकर हरिद्वार तक लगा हुआ है। इसमें बहुत सी नदियां हैं और

उन नदियों पर पुल वगैरह नहीं है। हमारे यहां एक खो नदी बहती है। उस नदी के ऊपर एक पुल की अत्यन्त आवश्यकता है। न तो पहली पंचवर्षीय योजना में कोई पुल बना, न दूसरी योजना में इस ओर ध्यान दिया गया और न जो यह तृतीय योजना बनाई गई है उससे इस पुल के लिये कोई व्यवस्था नजर आ रही है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और इस योजना में कम से कम इस नदी पर पुल अवश्य बन जाना चाहिये।

इसके अलावा यहां पर न बिजली की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है और सिंचाई के भी कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। वहां पर काफी लागत से कुयें बनते हैं। अगर खो नदी पर पुल बन जायेगा तो इससे हमारी बहुत सी जरूरतें दूर हो जायेंगी।

इसी प्रकार से कोटद्वार से हरिद्वार तक सड़कों पर पुलों का होना जरूरी है। पुलों के न होने से हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जो सड़क है वह बरसात में बन्द हो जाती है। इसलिये इस ओर भी इस योजना में ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि नदियों पर पुल न होने से वहां के बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी बड़ी परेशानी होती है।

इसके अलावा शेरकोट से बढ़ापुर और बढ़ापुर से नजीबाबाद तक भी पक्की सड़क होनी चाहिये इससे सारे प्रदेश को लाभ होगा।

बनों के संबंध में मुझे कुछ और कहना है। बनों में भावड़ एक किस्म की घास होती है जो बहुत बड़ी तादाद में होती है और बेकार चली जाती है। यह बहुत उपयोगी घास होती है इससे लोग रस्सी वगैरह तैयार करते हैं। यह बहुत सस्ते दामों पर वहां के लोगों को उपलब्ध होना चाहिये। नगीना में हजारों लोग इस घास से रस्सी वगैरह बनाने का काम करते हैं। इसलिये बन विभाग के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इसे सस्ते दामों पर लोगों को देना चाहिये। इस बात का प्रबन्ध हमारी सरकार को करना चाहिये ताकि भावड़ घास सस्ती कीमत पर वहां के लोगों को मिल सके।

हमारे तराई भावर के इलाके में जो घी दूध का काम करते हैं तथा अपने जानवरों को वहां के जंगल में चराने ले जाते हैं उन पर बन विभाग की तरफ टैक्स अधिक लगा दिया जाता है, इससे उनके पेशे पर बहुत अधिक असर पड़ता है। सरकार को उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। उनको उस इलाके में अपने जानवरों को चराने के लिये सुविधा होनी चाहिये और किसी चरागाह आदि का प्रबन्ध होना चाहिये।

एक बात मैं चमड़े के व्यवसाय के बारे में कहना चाहता हूं। सन् १९५८–५९ में १८ लाख टन चमड़ा हमारे यहां से बाहर गया। सन् १९५९–६० में २७ लाख टन चमड़ा बाहर गया। इससे पता चलता है कि काफी संख्या में हमारे यहां पशु मारे जा रहे हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि काश्तकारों के लिये बैल जो बहुत महत्व का जानवर है, उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। कृषक को सस्ते कीमत पर बैल नहीं मिल पाते। इससे उनका काम दूभर होता जा रहा है। काश्तकारी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिये इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा हमारे यहां लोगों के पास कृषि के लिये जमीन नहीं है। जो सीलिंग की गयी है इससे कोई भूमि उन भूमिहीन किसानों को मिलने वाली नहीं है। आज जो भूमि उनके पास थी भी, वह आपने इसके द्वारा ले ली है। गरीब मजदूर पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करता था आज कहीं घास नहीं खोद सकता, आज उसके लिये चरागाह तक नहीं रह गये हैं, उन तक को आपने अपने कब्जे में कर लिया है। उन चरागाहों की सारी जमीन आपने काश्तकारी में ले ली है। फिर गूजर लोग जो गाय भैंस चराते थे उन पर आपने टैक्स इतना अधिक लगा दिया है कि उससे उनका व्यवसाय ही खत्म हो गया है। आपको इस ओर भी देखना होगा।

इसी क्षेत्र में रेहड़ एक कस्बा है। इसमें हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोला जाय और एक हड्डी की खाद का कारखाना खोला जाय। बढ़ापुर-अफजलगढ़ में भी हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोले जायं। गंगा नदी द्वारा १५ ग्रामों की कृषि भूमि काट कर बहा दी गई है। इस क्षेत्र

[श्री शिवराम]

के लोग बेरोजगार हो गये हैं और दिल्ली आदि स्थानों पर जाकर कार्य कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र के पढ़े-लिखे लड़कों को नौकरी अवश्य दी जाय। गंगा नदी पर रेल का जो पुल है उसके ऊपर की तरफ जो बांध है उसको नीचे की तरफ बांध कर काश्त की भूमियों की रक्षा की जा सकती है।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आज इस तृतीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा के अवसर पर मुझे भी बोलने का आपने अवसर दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व आपके सभा मंडप की जो रचना है उसके सम्बन्ध में कुछ कहने का समय अलग से दे देंगे इसके समय से अलग। पंचवर्षीय योजना का विचार तो चल ही रहा है, मेरे विचार से जो भी योजना बनती है आज कल की, उसमें अध्यात्म की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। मैं निवेदन करूं कि इस अवसर पर नेता सदन और विरोधी दल के नेता भी मौजूद हैं, वह उससे लाभ उठायेंगे।

श्रीमन्, जहां पर आप बैठे हुये हैं यह आसन हमारे विचार से इन्द्र का आसन हुआ करता है। यह तो ठीक है, लेकिन, श्रीमन्, जहां पर राजनारायण सिंह और त्रिलोकी सिंह जो बैठते हैं और झारखंडे राय तक का जो स्थान है वह यम का स्थान हुआ करता है हमारे विचार से। तो जो बात वे वहां से बोलेंगे वह उसी तरह की हो जायेगी। इस तरह से पूरब की जो दिशा है वह इन्द्र का स्थान है और अग्निकोण अग्नि का स्थान हुआ करता है, दक्षिण दिशा का मालिक यम हुआ करता है और यह जो कोण है यह नैऋत्य का कोण है। पश्चिम का जो कोण है वह अन्नत का स्थान होता है और उधर दक्षिण का वायु का। इधर (उत्तर) की तरफ कुबेर का हुआ करता है और मुख्य मंत्री जहां पर बैठते हैं वह ईश का स्थान है। इस प्रकार से सभा मंडप की रचना हुई है। मैं जहां से बोल रहा हूं वह कुबेर का स्थान है।

श्री अध्यक्ष—आप क्या प्लान करना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—श्रीमन्, मुझे कहना है कि आपके यहां जो विचार विनिमय हुआ करता है, तो जिस स्थान पर जो बैठा हुआ रहता है वहां से जो चर्चा होती है, वहां का जो अधिपति होता है उसका उस पर वास हो जाता है, इसी कारण वही भाषा वह बोला करते हैं। (हंसी)

अब मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना पर आ रहा हूं। मुझे, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यह कहना है कि हमारे यहां जो भी योजनायें बनी हैं, बहुत कुछ हुआ और इसमें सब का सहयोग रहा, देश बहुत कुछ आगे बढ़ा, किन्तु यह तो मानना ही होगा कि हमारे यहां आदमी बनाने की कोई योजना नहीं बनी अभी तक। यह बहुत जरूरी है और इस चीज को स्वीकार करना चाहिये कि जब तक हम आदमी बनाने की कोई योजना नहीं बनाते और उस पर अपना कुछ ध्यान नहीं देते तब तक अरब, खरब की चाहे जितनी योजनायें बनें, लेकिन आपका भारत उतना सुन्दर नहीं हो सकेगा जितना कि आपकी स्कीम है और योजना है।

अब, श्रीमन्, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आजमगढ़ की बात ले लीजिये। दो पंचवर्षीय योजनायें बीत चुकी हैं। वहां २३ लाख की आबादी है। वहां पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पी० डब्लू० डी० की तरफ से केवल ६ मील सड़क बन पायी है। वहां इतनी बड़ी आबादी में सरकार का एक भी स्कूल नहीं है, न पहले था और न आजतक है।

श्री अध्यक्ष—और न आगे होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—और न आगे होगा। अब तो कोई जरूरत भी नहीं है। अब ४७ हायर सेकेंडरी स्कूल, ३ डिग्री कालेज, उसमें एक ऐग्रीकल्चर का भी कालेज है, और बहुत सी संस्कृत पाठशालायें आदि भी हैं। अब मैं उस सम्बन्ध में आप से निवेदन करूं कि मैं यहां पर बोलने के लिये बहुत कम खड़ा होता हूं और मुझे बोलना भी नहीं आता है। श्रीमन्, उन्होंने निवेदन किया था कि देश में खाद्य उत्पादन की बहुत कमी है, इस प्रश्न पर देश के सारे मिनिस्टर एकमत हैं कि हमें खाद्य का उत्पादन बढ़ाना चाहिये, ऐसी दशा में यह परमावश्यक है कि आप ऐग्रीकल्चर कालेज को प्रोत्साहन दें। आयोग के लोग चाहे जानते हों या नहीं, लेकिन स्थिति यह कि तृतीय योजना के लिये कृषि स्नातक उतनी संख्या में नहीं मिल रहें हैं जिससे कि इस योजना को पूरा किया जा सके। आजमगढ़ में एक ऐग्रीकल्चर कालेज खोल दिया गया। सहायता के लिये हम चिल्लाते-चिल्लाते मर गये माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुये हैं, आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग वालों ने उनको लिखा, कि जो नये डिग्री कालेजेज हैं उनको कुछ सहायता देने के लिये वह इजाजत दें लेकिन कोई उत्तर नहीं गया। गत वर्ष भी यह प्रार्थना की गई कि जब आप कुछ नहीं कर रहें हैं तो कम से कम बन्धन तोड़ दीजिये। जब शुरू में कोई कालेज खुलता है तो उसमें लाखों रुपया खर्च होता है, आप खोलते नहीं तो कम से कम इस बन्धन को तोड़ दीजिये। वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसको तोड़ेंगे। श्रीमन् वह भी साल चला गया और बाद में शिक्षा विभाग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बात नहीं मानी। मैं जिस एग्रीकल्चर कालेज की बात कह रहा हूं वहां से सौ-सौ लड़के अच्छी-अच्छी श्रेणियों में उत्तीर्ण हो रहें हैं और सरकारी कामों में लग रहें हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां अरबों-खरबों की बात हो वहां इतनी सी बात के लिये क्या मुश्किल है। इस प्रकार की संस्थायें तो सरकार को स्वंय खोलनी चाहिये और अगर किसी ने खोल भी दीं तो क्या उसका टूट जाना उचित होगा ? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो लोग हैं उनको यह मालूम नहीं है कि हमको क्या करना है अर्थात उनका नियोजित आधार नहीं है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है उसको दिल्ली से एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की सहायता लिखकर आ गई जबकि उसने इस प्रदेश की सरकार को एक बात भी नहीं लिखी थी, ऐसी मेरी सूचना है, उसका नाम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके लिये इस प्रदेश से कोई रिकमेन्डेशन नहीं की गई, लेकिन उसको रुपया मिल गया अच्छी बात है, रुपया मिलना चाहिये।

श्रीमन् जहां तक पूर्वी जिलों की बात है, उस जिले में जहां २३, २३ लाख आदमी रहते हैं, २५ फीसदी आदमी खेती पर ही निर्भर कर सकते हों, वहां अगर इस प्रकार की संस्था की व्यवस्था हो जाय, उसके लिये अगर आयोजना के लोग कुछ ध्यान दे दें तो कोई मुश्किल बात नहीं है।

श्रीमन्, हमारे यहां न तो कोई सड़क बनी और बड़ी रेलवे लाइन के लिये हम लोग लिखते-लिखते मर गये क्योंकि वहां पर कोई व्यापार नहीं है, न इन्डस्ट्री का सेन्टर है न कोई कारखानें हैं केवल जिला ही जिला रह गया है २३ लाख की आबादी का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां पर काफी स्कूल कालेज हैं पढ़े-लिखे लोग हैं, देश सेवक हैं, वहां पर भी तो कुछ होना चाहिये। दुख की बात है कि तृतीय योजना में भी वहां पर बड़ी रेलवे लाइन का प्रबन्ध नहीं किया जा सका। मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि जब वह बड़े-बड़े काम कर रहें हैं तो फिर छोटी चीजों के लिये क्या मुश्किल है जो वे नहीं हो पा रही हैं। आजमगढ़ के तमाम लोग पूंछते हैं कि मुख्य मंत्री हमारे यहां के हैं, कैसे हमको भूल गये कि यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर के लिए पहले चार करोड़ मिला था और आबादी ७ करोड़ है। अब उसका प्रबंध कैसे किया जाय? इसलिये जरूरत इस बात की है कि ऐग्रीकल्चर को ज्यादा रुपया दिया जाय। जिन कालेजों में अच्छी पढ़ाई हो रही है उनको धन दिया जाय और अच्छे विद्वान वहां से निकाले जायं। लेकिन मेरा खयाल है कि यह भी काम उस वर्ष शुरू न होगा क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी इसके बारे में कोई चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस तरफ देखें और आजमगढ़ को कुछ धन देने का प्रयत्न करें।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और कुछ निवेदन करने से पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यही सोचता था कि यह सदन ही पूंजीपतियों का सदन है लेकिन अब आप भी पूंजीपति हो गये हैं। मैं वाक आउट कर रहा हूं, श्रीमन् । मुझे आप पर विश्वास था अब तक। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है । जब किसानों का समय आता है तो किसानों को समय नहीं मिलता और राजाओं को समय मिल जाता है । इस तरह से सदन में अन्याय हो रहा है ।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन से बाहर जाने लगे ।)

कुंवर श्रीपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, पहले पांच मिनट का समय पुजारी जी को दे दिया जाय । मैं पीछे बोल लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—उनको जाने दीजिये । कुछ तो अनुशासन कायम रहना ही चाहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—और कुछ कहने के पहले श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में शासन की जो कुछ भी कमजोरियां थीं उनको भी रखा और जो अच्छाइयां थीं उनको भी रखा । जब से मैं इस सदन में आया हूं यह पहला ही मौका है जब कि सरकार की तरफ से इस तरह की स्पष्ट बातें रखी गयीं हैं । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । दो रोज पहले अखबारों में श्री चिन्तामणि देशमुख का एक भाषण निकला था, उसमें उन्होंने यह कहा था—

"संसदीय जनतंत्र में सर्वोच्च शासकों में प्रमाणिकता, प्रवीणता तथा कर्मठता होना आवश्यक है नहीं तो नौकरशाही तंत्र द्वारा विकास, योजनाओं का अयोग्य, अपूर्ण तथा शिथिल क्रियान्वयन होकर काम न होने के हजार कारण ढूंढने का प्रयास तो होगा पर काम को सुचारुरूप से करने के पक्ष में एक भी तर्क ढूंढने की कोशिश नहीं की जायगी।"

जब माननीय मुख्य मंत्री का रुख स्पष्ट हुआ है तभी बुराई सामने आयी, नहीं तो नौकरशाही ने उस बुराई को दबा दिया होता और एक अच्छा खासा नक्शा हमारे सामने मौजूद होता और हम समझ जाते कि हम बहुत आगे बढ़ गये हैं। श्रीमन्, यह देखा जाय कि हमने इन दो योजनाओं में जितना रुपया खर्च किया, करीब-करीब ११२ अरब रुपया खर्च किया, मगर हमारी प्रति व्यक्ति आय केवल ३ प्रतिशत बढ़ी । इसी पुस्तिका के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं । वह इस प्रकार है । १९५०–५१ में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय २५८.२६ थी जो १९५८–५९ में २५९.०३ हो गयी । इसी पुस्तिका में यह बताया गया है कि हमारी आय .३ प्रति व्यक्ति बढ़ी है ।

इतना खर्च करने के बाद और इतना श्रम करने के बाद केवल इतनी सी आय के बढ़ने का क्या कारण है ? यह एक चीज समझने और सोचने वाली है । जहां तक मैंने इसको सोचा और समझा है, इसका कारण मुझे यही मालूम पड़ता है कि अपना प्रदेश कृषि प्रधान है । अपने प्रदेश की ७४ प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है और योजनायें जो हमारी बनी, वे हैं तो जरूर कृषि को उन्नति देने वाली मगर वह लांग टर्म पालिसी है वह दूर जा कर फायदा करेगी । अभी फिलहाल उससे कोई भी फायदा नहीं होगा जिससे तत्काल हमें मालूम पड़े कि कुछ फायदा हुआ । श्रीमन्, बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं पर काफ़ी खर्च हुआ । पर कृषि के लिये जिन वास्तविक चीजों पर खर्च होना आवश्यक था उस पर इसलिये नहीं खर्च हो पाया जैसा कि मेरा अनुमान है कि कृषि प्लानिंग के लिये जिन लोगों को रखा गया है उन लोगों का कृषि से कोई मतलब ही नहीं है, वे जानते ही नहीं कि कृषि है कौन सी चीज । शहरों के रहने वाले आदमी, किताबों में उन्होंने पढ़ लिया और किताब में पढ़ कर प्लान बना लिया । वह प्लान बन कर जब गांवों में रखा जाता है तो बिलकुल उल्टा सीधा हो जाता है । मैं कहां तक निवेदन करूं, मैं नाम नहीं

लेना चाहता हूं, मगर इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि इसी सदन में एक मर्तबा एक प्रश्न के उत्तर में कृषि विभाग की तरफ से यह उत्तर मिला था कि बैलों को चावल की भूसी खिलायी जाय। श्रीमन्, जिस विभाग के संचालकों को यहां तक पता नहीं है कि भूसी धान की होती है या चावल की, उनसे हम यह उम्मीद करें कि वे कृषि की प्लानिंग ठीक करेंगे, तो यह तो हमारी ही एक कमजोरी होगी और दूसरी कोई बात नहीं कहूंगा।

श्रीमन्, कृषि के प्लानिंग के लिये देखना यह चाहिये कि कौन आदमी कृषि की प्लानिंग के लिये उपयुक्त है। जैसे, ठाकुर हुकुम सिंह, चौधरी चरण सिंह, डाक्टर सीताराम या माननीय जयराम वर्मा, ये लोग कृषक परिवार के हैं, कृषक परिवार में पैदा हुए, वहीं पले और वहीं बढ़े हैं, शुरू से आखिर तक खेती का काम देखते रहे, अगर इनके हाथ से कृषि की प्लानिंग की जाय तो मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तव में कृषि की तरक्की होगी। अन्यथा उन लोगों के जरिये अगर कृषि की प्लानिंग कराते हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा यह निवेदन करने के लिये कि उन्नति के स्थान पर अवनति की ही आशा अधिक है। आज भी जो हमारे केन्द्र के कृषि मंत्री हैं वे शहर के ही रहने वाले हैं, उनका खेती से कोई ताल्लुक नहीं है। यही कारण है श्रीमन्, कि वहां की प्लानिंग के अन्दर गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से यहां की प्लानिंग भी गड़बड़ हो जाती है। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि किन्हीं-किन्हीं विभागों के पास रुपया था मगर वह खर्च नहीं हो सका और किन्हीं-किन्हीं विभाग को रुपये की जरूरत थी तो वह मिल नहीं सका यही प्लानिंग कर्ताओं की अनभिज्ञता का प्रमाण है कि बिना समझे रुपया रखा गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी शिकायत की कि रुपया मंजूर होता है तो गड़बड़ी की वजह से इस किस्म की बातें पैदा होती हैं।

श्रीमन्, एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कही कि गांव का रहन-सहन कुछ ऊंचा उठा है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उनका विचार है, मेरी समझ में उचित नहीं है, क्योंकि श्रीमन्, मैं मानता हूं कि गांवों में कुछ कपड़े पहनने की आदत जरूर पड़ी, मैं मानता हूं कि गांव में कुछ थोड़े से पक्के मकान बने, लेकिन श्रीमन्, पहले गांव में स्त्री-धन के नाम से जो गहने सोने और चांदी के भरे रहते थे वह आज नहीं रह गये। गांव के गाय-भैंस का घी-दूध खाकर जो लाल-लाल बच्चे दिखाई पड़ते थे वह नहीं रह गये, गांव की आमदनी नहीं बढ़ी अपितु खर्च का रुख बदल गया वह जो खर्चा था वह अंग्रेजियत-परस्ती की वजह से घूमकर कपड़ों पर आ गया। मानता हूं कि छींट की बुशर्ट गांव में भी पहनी जाने लगी है। रंग-बिरंगे कपड़े गांव के भी नवजवान पहनने लगे हैं। उनके सर पर भी बड़े-बड़े बाल होने लगे, है उनमें खुशबूदार तेल भी पड़ने लगा है। लेकिन उनके चेहरे पर जो स्वास्थ्य की ललामी थी घी और दूध की वजह से जो ओज तथा तेज था वह निकल गया। जो ठोस सम्पत्ति घरों में थी वह आज नहीं रह गयी। जो आमदनी पहले खाने पर और ठोस घी में लगती थी वह आज केवल पहनने में लग गई है, इसलिये दिखलाई पड़ने लग गई है, वरना यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी आमदनी बढ़ गई है।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के ऊपर जितना इस योजना में खर्च किया जाने वाला है वह बिलकुल नगण्य है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि कृषि पर २८३ करोड़ रुपया ५ साल में खर्च किया जायगा। इसको अगर हम अपने सूबे के कृषक परिवारों पर फैलाएं तो मालूम पड़ेगा कि हम किस जगह पर हैं। सन् ५१ की जो मर्दुमशुमारी हुई थी उसके आधार पर ४७० लाख पापुलेशन अपने यहां की गांवों में मानी गई थी। उसको थोड़ा-सा अगर बढ़ा दिया जाय, हालांकि होगी ज्यादा, लेकिन अन्दाजन ५ करोड़ रख दिया जाय और उस हिसाब से इस रुपये को फैलाया जाय तो करीब सवा नौ रुपया फी परिवार सालाना पड़ता है। इतना खर्च करके कृषि की कौन-सी उन्नति होगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। हमारे प्रदेश का प्राण कृषक है। सारी आबादी गांवों में ही है। वहां महज इतना खर्च किया जायगा कृषि के ऊपर, तो यह समझ में नहीं आया कि कैसे उन्नति होगी।

श्रीमन्, मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जो सबसे बड़े नेता देश के कर्णधार पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं, बंगलौर में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि इतने दिनों

[कुंवर श्रीपालसिंह]

के बाद अब मैं समझ पाया हूं कि अपने देश की सब से पहली समस्या जो है वह खाद्य समस्या है। इससे यह मालूम पड़ता है कि कृषि की तरफ क्या विचार है उनका। इतने दिनों के बाद कृषि की तरफ ध्यान आया, और ध्यान में कौन-सी चीज आई ? कोआपरेटिव फार्मिंग। उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव फार्मिंग से ही उपज बढ़ सकती है और उसके लिये एक बड़ा भारी तमाशा तैयार किया गया।

श्रीमन्, राष्ट्रीय विकास परिषद् की मीटिंग थी, १४ सितम्बर को दिल्ली में। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सहकारी कृषि सम्बन्धी समितियों की यह सिफारिश स्वीकार कर ली कि आगामी १० वर्षों में सहकारी कृषि के विकास के लिये कुछ नींव अवश्य दृढ़ बना दी जानी चाहिये ताकि कृषि योग्य भूमि में एक बड़े भाग पर सहकारी कृषि के आधार पर उत्पादन किया जा सके। यह भी कहा जाता है कभी-कभी कि सहकारी कृषि जो होगी वह जबर्दस्ती नहीं लादी जायेगी, जब लोग स्वयं चाहेंगे उस वक्त की जायेगी। मगर फिर श्रीमन्, यह परिषद् है जो इस प्रकार से यह चीज बनाना चाहती है कि १० साल के लिये हमें प्रोग्राम बनाना है और उसके लिये नींव मजबूत करनी है। यह क्या चीज है। तो सहकारी कृषि के आधार पर जो चाहते हैं कि कृषि की उन्नति होगी और उत्पादन बढ़ेगा यह केवल मृग मरीचिका है। जहां-जहां रूस, अमरीका, कनाडा में बड़े-बड़े खेत हैं इन सब जगहों में प्रति एकड़ उपज जो है वह उन देशों से कम है जिन देशों में छोटी-छोटी जोतें हैं। तो यह कहना कि उन बड़े-बड़े खेतों में प्रति एकड़ उपज कम है....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप मुख्यमंत्री जी ने रखा है उसके सिलसिले में २, १ बातें कहना चाहता हूं। द्वितीय योजना में कुल व्यय २५३ करोड़ का था जब कि इसमें ६९३ करोड़ रखा गया है। प्रथम और द्वितीय योजना को आधारशिला मानकर इस प्रदेश के विकास में कितना धन चाहिये और कितने साधन जुटा लिये हैं यह सब रख कर के मुख्य मंत्री जी ने प्रारूप प्रस्तुत किया है उससे मालूम होता है कितनी वास्तविकता इसमें है। जो साहित्य मिला है संसद सदस्यों के सामने जिसमें बताया गया है कि अन्डर डेवलप्ड कंट्रीज में योजना का क्या लक्ष्य है उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :

"भारत के नियोजन का मूल उद्देश्य, सभी अविकसित देशों के प्रारम्भ के विकास प्रयास की भांति निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना है। इस प्रक्रिया द्वारा स्थिर तथा निष्प्रवाह आर्थिक व्यवस्था को आत्म-निर्भर तथा स्वचालित अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तित किया जाता है।"

साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ सके, प्रत्येक व्यक्ति का स्तर ऊंचा हो सके यह नियोजन का लक्ष्य है। मान्यवर, इस देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है उसमें सिवा नियोजन के कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिये प्लानिंग कमीशन बनाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आबादी बहुत बढ़ी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आबादी के आधार पर इस प्रदेश के लिये कुछ मांग केन्द्रीय सरकार के सामने रखी है। आय अगर केन्द्र को एक इकाई मान लें और उसमें १० लड़के हों तो मेरी दृष्टि से मैं चाहता हूं कि प्रत्येक की जो आवश्यकता हो उसके अनुसार उसको नरिशमेंट दिया जाय ताकि उसकी स्वस्थ वृद्धि हो। न कि यह देखा जाय कि आबादी क्या है। मैं जरा इसको साफ कर दूं। प्रदेश की आबादी ८ करोड़ हो जायगी। आबादी के लिहाज से हम को हिस्सा मिले तो मेरा सुझाव यह है कि आबादी का दृष्टिकोण तो है ही, लेकिन आवश्यकता का भी दृष्टिकोण होना चाहिये। किस प्रदेश को कितनी आवश्यकता है यह प्लानिंग कमीशन के सामने सरकार को रखना चाहिये। आपने ५ क्षेत्र, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य बनाये हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र को आवश्यकतानुसार विकसित कर सकें।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश को और सूबों के साथ ले करके, सारे देश के संदर्भ में देखा जाय कि उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है ? बम्बई की समस्यायें कम हैं उस हिसाब से अगर मांग की जाती

तो मेरा खयाल है वह ज्यादा वास्तविकता के निकट होता। बम्बई बहुत बढ़ा हुआ है, गुजरात, मध्य भारत बहुत बढ़े हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश पीछे रहेगा? मुख्य मंत्री जी इस सिद्धान्त को मानते हैं कि यदि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहा तो सारे देश की प्रगति में बाधक होगा। इस कारण भी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता का ध्यान रखना है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ सितम्बर, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर)

मद्य निषेध परामर्शदात्री समिति के सदस्यगण

१—श्री रामस्वरूप यादव, उपमंत्री (गृह), अध्यक्ष।

२—श्री धर्मदत्त वैद्य, सभा सचिव, सदस्य।

३—श्री रामकुमार शास्त्री, एम० एल० सी०, सदस्य।

४—श्री श्यामसुन्दर, एम० ए०, एल० एल० बी०, सदस्य।

५—श्री रामकिंकर, एम० एल० ए०, सदस्य।

६—श्री पद्माकरलाल, एम० एल० ए०, सदस्य।

उपरोक्त मद्यनिषेध परामर्श दात्री समिति के विचारार्थ विषय (Terms of Reference) प्रदेश के ११ शुष्क जिलों तथा ३ शुष्क धार्मिक केन्द्रों में अवैध रूप से मदिरा चुआये जाने, हानिकारक मादक वस्तुओं के उपभोग तथा उनके तस्कर व्यापार की समस्या से सम्बन्धित बातों पर राज्य सरकार को सुझाव देना था।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३–५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

५३—सामाजिक तथा नैतिक आरोग्यता तथा उत्तर रक्षा सेवा योजना के अन्तर्गत सन् १९५७–५८ में ही निम्न पांच राज्य गृह स्थापित किये गये हैं :—

१—कानपुर

२—इलाहाबाद

३—लखनऊ

४—मेरठ

५—देहरादून।

इनमें से कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ के गृहों में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र गत वर्ष से ही संचालित हैं। अन्य दो गृहों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

५४—१९५९–६० में इन सदनों में प्रशिक्षण केन्द्रों पर निम्नलिखित व्यय हुए:—

	रुपये
लखनऊ	१०,२५९.५५
कानपुर	१५,९३५.४३
मेरठ	९,२१८.७८
योग ..	३५,४१३.७६

उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर होने वाले ५० प्रतिशत आवर्तक तथा शत-प्रतिशत अनावर्तक व्यय को केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में, तथा अवशेष आवर्तक व्यय को ऋण के रूप में देती है।

२—योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

सामाजिक एवं नैतिक आरोग्यता तथा उत्तर रक्षा सेवा योजना के दो भाग हैं—(१) सामाजिक तथा नैतिक आरोग्य संबंधी कार्यक्रम, तथा (२) उत्तर रक्षा सेवा योजना। पहले में वेश्यावृत्ति की रोक-थाम तथा इस घृणित व्यवसाय में निरत स्त्रियों और बालिकाओं को मुक्त करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। नैतिक संकट से विमुक्त की हुई महिलाओं तथा बालिकाओं को निस्तरण गृह, देहरादून में रखा जाता है। दूसरी योजना ऐसी स्त्रियों और पुरुषों के लिये है जो देश की शोधक (कारागार इत्यादि) एवं अशोधक (अनाथालय, विधवाश्रम इत्यादि) संस्थाओं से विमुक्त हुए हों और उनको स्थाई रूप से साधारण जीवन में पुनस्थापित करने के लिये सहायता की आवश्यकता हो। कानपुर के सदन में शोधक तथा इलाहाबाद के सदन में अशोधक संस्थाओं से विमुक्त किये हुए पुरुषों का प्रवेश होता है। इसी प्रकार शोधक एवं अशोधक संस्थाओं से विमुक्त की हुई महिलाओं के लिये क्रमशः लखनऊ तथा मेरठ में एक-एक सदन संचालित हैं।

इसके अतिरिक्त २१ जिला शरणालय एवं प्रवेशालय (९ पुरुषों के लिये तथा १२ महिलाओं के लिये) भी स्थापित किये गये हैं जहां आश्रितों को केवल अस्थाई रूप से शरण दिया जाता है। तदुपरान्त उन्हें संबंधित राज्य सदनों में भेज दिया जाता है तथा उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

———

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०३ पर)

श्री बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी, उत्तराखंड में स्थित जिन मन्दिरों की देखभाल करती है, उनकी सूची

अ–बदरीनाथ पुरी—

श्री बद्रीनाथ मंदिर, श्री शंकराचार्य मंदिर, श्री आदि दारेश्वर मंदिर, श्री बल्लभाचार्य मंदिर, श्री मातामूर्ति मंदिर।

पान्डुकेश्वर	श्री योगबदरी मन्दिर
सुभाईं	श्री भविष्यबदरी मंदिर
जोशीमठ	श्री नृसिंह मंदिर, श्री बासुदेव मंदिर, श्री दुर्गा मंदिर, श्री राज राजेश्वरी मंदिर, श्री महादेव मंदिर और श्री भक्तवत्सल मंदिर।
विष्णुप्रयाग	श्री नारायण मंदिर।
चांईं	श्री सीता मन्दिर।
अणिमठ	श्री वृद्धबदरी मंदिर।
उर्गम	श्री ध्यानबदरी मंदिर।
पाखी	श्री नृसिंह मंदिर।
दाडमी	श्री नृसिंह मंदिर।
नन्दप्रयाग	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर।
कुलसारी	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर।
द्वारहाट	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर।
अल्मोड़ा	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर।
गडसिर	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर।
बयाला (अल्मोड़ा)	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर।

ब— केदारनाथ मन्दिर—

गुप्तकाशी	श्री विश्वनाथ मंदिर।
ऊखीमठ	श्री उषा मंदिर, श्री बाराही मंदिर।
कालीमठ	श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती मंदिर।
तुंगनाथ	महादेव मंदिर।
कालशिला	श्री कालशिला मंदिर।
मदमहेश्वर	श्री मदमहेश्वर मंदिर।
गौरीकुन्ड	श्री गौरीमाई मंदिर।
त्रिजुगी नारायण	श्री नारायण मंदिर।

पी० एस० यू० बी० ए० पी०—१७१ एल० ए०—१९६०—८४५।